



सर्वशिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

2002—2007

जनपद — देवरिया



अनुक्रमणिका

क्र० सं०	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1 - 3
2.	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	4 - 11
3.	नियोजन प्रक्रिया	12 - 26
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	27 - 32
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	33 - 41
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार -1	42 - 45
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार -2 (ई०जी०एस०/ए०आई०ई०)	46 - 60
8.	ठहराव में वृद्धि	61 - 95
9.	गुणवत्ता संवर्द्धन	96 - 144
10.	परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण	145 - 161
11.	परियोजना लागत	162 - 167
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	168 - 169

अध्याय-1

प्रस्तावना

प्रारम्भिक शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये साक्षरता का प्रतिशत अपेक्षानुरूप न होने के कारण शासन की नीतियों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का समयबद्ध कार्यक्रम को सफल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई तथा इसी आवश्यकता के निमित्त अनेक कार्यक्रम वर्ष 2001-2007 तक पूर्ण करने की योजना है।

जनपद देवरिया का संक्षिप्त पृष्ठभूमि -

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित गोरखपुर मण्डल में जनपद देवरिया स्थित है। जिसकी सीमायें बिहार राज्य से स्पर्श करती है। विश्व प्रसिद्ध देवरिया (देवारण्य) जनपद को बाबा राघवदास एवं संत विनोवा भावे की कर्मस्थली तथा पूज्य देवरहवां बाबा की तप स्थली है। जनपद देवरिया के उत्तर में कुशीनगर, पश्चिम में गोरखपुर, दक्षिण में मऊ, एवं बलिया जनपद को घाघरा नदी विभाजित करती है। जनपद देवरिया का गठन वर्ष 1946 में किया गया। वर्ष 1946 के पूर्व यह जनपद गोरखपुर में सम्मिलित था। जनपद देवरिया पूर्वोत्तर रेलवे की गोरखपुर से भटनी जाने वाली मार्ग पर स्थित है।

जनपद देवरिया का कुल क्षेत्रफल 2527.2वर्ग कि०मी० है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 27,30,376 है तथा साक्षरता का प्रतिशत 59.84 है। जनपद को प्रशासनिक दृष्टि से कुल 5 तहसीलों, 16 विकास खण्डों एवं 2 नगर क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जनपद की कुल 2158 ग्राम समाओं का प्रबन्ध से किया जाता है।

जिले की प्रशासनिक इकाइयाँ

1-	तहसील	05
2-	विकास खण्ड	16
3-	न्याय पंचायत	176
4-	ग्राम पंचायत	1016
5-	राजस्व ग्राम	2163
6-	आबाद ग्राम/बस्तियाँ	2686

वर्ष 2001 की जनगणना विकास-खण्डवार

जनसंख्या

क्र०सं०	वि० क्षेत्र का नाम	सम्पूर्ण जनसंख्या			अनुसूचित जाति जनसंख्या		
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
1.	गौरीबाजार	101326	90699	192025	19251	15418	34669
2.	पथरदेवा	102348	94971	197319	15352	16145	31497
3.	लार	84653	92382	177035	15237	16619	31856
4.	सलेमपुर	90321	93587	18908	17160	16845	34005
5.	देवरिया	74025	100102	174127	15545	16821	32366
6.	भागलपुर	73714	95019	168733	13268	14253	27521
7.	भलुअनी	84627	81245	165872	15232	15436	30668
8.	भाटपार	83615	80203	16318	17568	15238	32806
9.	भटनी	82613	91983	174596	15696	18396	34092
10.	बरहज	80429	96998	177427	16890	18429	35319
11.	बनकटा	80522	69720	150242	15299	14641	29940
12.	रुद्रपुर	81929	92457	174386	15567	17567	33134
13.	बैतालपुर	81103	80987	162090	14598	14578	29176
14.	रामपुर कारखाना	80384	82754	163138	16881	17378	34259
15.	देसही देवरिया	81147	61346	142463	17041	12882	29923
16.	नगर क्षेत्र-देवरिया	60669	40365	101034	12740	8476	21216
17.	नगर क्षेत्र-बरहज	31227	30936	62163	6558	6497	13055
योग		1354652	1775724	2730376	259883	255619	515502

स्रोत:- जनगणना कार्यालय

जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद देवरिया की कुल आबादी 2730376 जिसमे कुल पुरुषों की संख्या 1354652 तथा स्त्रियों की जनसंख्या 1375724 है। जिनमे से अनुसूचित जाति पुरुषों की संख्या 259383 तथा 255619 स्त्रियों की संख्या है। कुल साक्षरता 59.84 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 76.31 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 43.56 प्रतिशत है। देवरिया जनपद मे मुख्य रूप से हिन्दुओं की बहुलता है। जनपद की कुल जनसंख्या का 84.46 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू धर्म अपनाने वालो की है तथा 15.4 प्रतिशत अल्प संख्यक जातियां है।

तहसीलवार जनसंख्या निम्नवत है—

क्र०	तहसील का नाम	कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग
1.	देवरिया सदर	510675	512096	102771
2.	रुद्रपुर	202367	202284	404651
3.	सलेमपुर	259079	266929	526008
4.	बरहज	174104	177982	352086
5.	भाटपार रानी	208427	216433	424860
	सम्पूर्ण योग	1354652	1375724	2730376

श्रोत— वर्ष 2001 की जनगणना

अध्याय-2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

जनपद देवरिया में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) का प्रारम्भ 1997-98 में हुआ जिसमें प्रबन्धन क्षमता में विस्तार, ठहराव, गुणवत्ता में वृद्धि एवं पहुँच में विस्तार को प्रभावी बनाने का उद्देश्य रखा गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है किन्तु अभी तक पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। डी0पी0ई0पी0 को गति प्रदान करने एवं अधूरे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान का प्रारम्भ जनपद देवरिया में किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। उसके पूर्व जनपद की साक्षरता एवं शैक्षिक परिदृश्य पर एक सिंहावलोकन करना उचित होगा।

सारणी 2.1

कुल साक्षरता	59.82
ग्रामीण साक्षरता	52.90
नगरीय साक्षरता	70.00
कुल पुरुष साक्षरता	65.80
कुल महिला साक्षरता	53.88

सारिणी 2.4

विकास खण्डवार साक्षरता दर

क्र०सं०	विकास खण्ड	साक्षरता का प्रतिशत		
		पुरुष	महिला	योग
1.	गौरीबाजार	55.2	16.4	36.0
2.	बैतालपुर	56.0	16.8	36.6
3.	देसही देवरिया	58.4	18.8	38.5
4.	पथरदेवा	54.2	15.6	35.0
5.	रामपुर कारखाना	57.6	18.6	38.1
6.	देवरिया सदर	60.2	21.2	40.9
7.	रुद्रपुर	55.0	17.8	36.1
8.	भलुअनी	60.5	22.0	40.7
9.	बरहज	61.2	23.9	42.1
10.	भटनी	64.9	21.9	42.4
11.	भाटपार रानी	60.5	19.6	39.8
12.	बनकटा	57.2	16.5	36.2
13.	सलेमपुर	67.6	28.9	47.6
14.	भागलपुर	65.2	29.5	46.7
15.	लार	68.2	30.1	48.6
16.	ग्रामीण कुल	59.7	20.9	40.1
17.	नगरीय	75.1	48.1	62.7

विकास खण्डों में सबसे कम पथरदेवा 54.2 प्रतिशत और सबसे अधिक लार 68.2 प्रतिशत साक्षरता दर है। जनपद की महिला साक्षरता औसत 20.9 है। परन्तु विकास क्षेत्र पथरदेवा की महिला साक्षरता दर 15.6 सबसे कम है। कम महिला साक्षरता वाले क्रमशः पथरदेवा, गौरी बाजार, रूद्रपुर, देसही देवरिया, बनकटा, भाटपार रानी है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर लार 30.1 है।

जनपद देवरिया में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। प्रत्येक 1807 (एक हजार आठ सौ सात) जनसंख्या पर एक प्राथमिक विद्यालय एवं प्रति 13409 जनसंख्या पर एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थापित है। शिक्षा सत्र 2003-04 में जनपद में कुल 1562 प्राथमिक विद्यालय एवं 240 पू० मा० विद्यालय संचालित है।

सारिणी 2.5

वर्ष	6 से 11 वय वर्ग की बच्चों संख्या			पंजीकृत छात्र संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
माह जुलाई 2003 के आधार पर	308844	325887	634731	297763	270941	568704

सारिणी 2.6

शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता -

क्र०	विवरण	परिषदीय			मान्यता प्राप्त			कुल योग		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	1526	36	1562	356	59	415	1882	95	1977
2.	उच्च प्रथमिक विद्यालय	293	11	304	234	30	264	529	41	568
3.	मा० वि० से सम्बद्ध उच्च प्रथमिक विद्यालय	141	11	152	141	11	152
4.	केन्द्रीय विद्यालय
5.	नवोदय विद्यालय
6.	माध्यमिक विद्यालय	46	2	48	46	2	48
7.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	95	9	104	95	9	104
8.	डिग्री कालेज	9	1	10	9	1	10
9.	स्नातकोत्तर	3	3	6	3	3	6
10.	विश्वविद्यालय
11.	तकनीकी संस्थान	1	1	2	1	1	2
12.	कम्प्यूटर शिक्षा	1	2	3	1	2	3
13.	आगनवाड़ी केन्द्र	847	...	847	847
14.	मकतब/मदरसा	51	...	51	51	...	51
15.	संस्कृत पाठशाला	21	2	23	21	2	23
16.	अंध व विकलांग विद्यालय
17.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	1	...	1	1	...	1
18.	बी०आर०सी	16	...	16	16	...	16
19.	एन०बी०आर०सी०	176	...	176	176	...	176

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं पू० मा० विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्वीकृति पद एवं कार्यरत संख्या/रिक्त पद एवं शिक्षा मित्रों की संख्या निम्नवत् है।

सारिणी 2.7

पद सृजन के अनुसार

क्र०सं०	स्तर	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	शिक्षामित्र
1.	प्रा० विद्यालय	4703	3123	1580	703
2.	पू० मा० वि०	1246	899	347

1:40 छात्र अध्यापक मानकानुसार आवश्यकता का आकलन।

1. प्रा० विद्या० $277051 \div 40 = 6926$ अध्यापकों की आवश्यकता है किन्तु अध्यापकों की कमी के कारण शासनादेशानुसार पैरा टीचर (शिक्षा मित्र) की व्यवस्था कर एकल विद्यालयों में दो अध्यापक की व्यवस्था की गयी है।

परिषदीय प्राथ०/पू० मा० विद्यालयों की उपलब्धता जनपद देवरिया में परिषदीय प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता निम्न सारिणीनुसार है।

सारणी 2.8

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण प्राथमिक विद्यालय	1 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय की उपलब्धता	1से 1.5 किमी० पर विद्यालय की उपलब्धता	1.5 से अधिक पर पर विद्यालय की उपलब्धता
300 से कम आबादी वाले ग्राम/बस्ती	1116	263	00
300 से अधिक आबादी वाले ग्राम/बस्ती	457	141	00
<u>उच्च प्राथमिक</u> 800 से कम आबादी वाले ग्राम/बस्ती	3 कि०मी० से कम दूरी	3 कि०मी० से अधिक दूरी	आवश्यकता
	381	102	00
800 से अधिक आबादी वाले ग्राम/बस्ती	87	000	00

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता का आँकलन जनता की माँग क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर प्रस्तुत की गयी है।

सारणी 2.9

कुल प्राथमिक विद्यालय	ग्रामीण	नगर	योग
1:2 के अनुसार			1977
प्रस्तावित			40
वर्तमान में उपलब्ध			1522
आवश्यकता मानकानुसार			40
वास्तविकता आवश्यकता			40

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें – जनपद के परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक

सुविधाओं का विवरण निम्न सारणीनुसार है।

सारणी 2.10

क्र०सं०	स्तर	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक विद्यालय
1.	एक कक्षीय भवन	15	-----
2.	दो कक्षीय भवन	803	10
3.	तीन कक्षीय	640	20
4.	चार कक्षीय	89	175
5.	पाँच कक्षीय	20	11
6.	पाँच से अधिक	26	06
7.	भवनहीन/किराया	09	18
	सम्पूर्ण योग	1522	240

डी०पी०ई०पी० संचालन की अवधि में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

	1997-98	2001-02
प्राथमिक विद्यालय	1327	1522
प्राथमिक विद्यालय अध्यापक	4116	4690

उक्तानुसार विद्यालयों एवं शिक्षकों के उपलब्धता में वृद्धि हुई है और शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुए हैं।

ड्रॉप आउट दर

वर्ष	कुल	बालिका
1998-99	45.7 %	42.6 %
1999-2000	43.8 %	40.2 %
2000-2001	42.3 %	39.3 %

प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर में लगातार कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। (मीन कैम्पेन/एमटीओ/पीटीओ/ग्रीष्म कालीन शिविर) के माध्यम से ड्रॉप आउट में कमी लाने का प्रयास किया गया है। योजना की सफलता के लिए इसकी व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान में भी की गई है। उल्लेखनीय है कि डीपीईपी कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रॉप आउट दर में कमी आयी है।

पाँच कक्षाएं पूर्ण करने के औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	पाँच कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्ष
1997-98	7.35
1998-99	7.15
1999-2000	6.98
2000-2001	6.91

रिपिटिशन दर में कमी प्रयास किया जा रहा है अर्थात् शिक्षा प्रणाली में सुधार हो रहा है।

शिक्षक छात्र-कक्षा अनुपात— डीपीईपी परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षको/पैराटीचर के पद सृजित किये गये हैं इसके अन्तर्गत जनपद में 403 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कर दो अध्यापको की व्यवस्था विद्यालयों में की गई है। नामांकन के आधार पर अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र की व्यवस्था 1:40 के आधार पर स्वीकृति प्राप्त करने पर किया जायेगा।

अध्याय—3

नियोजन प्रक्रिया

शासन की नीति के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत शत-प्रतिशत किया जाना है जिससे प्रतिशत का नाम अग्रणी प्रदेशों से बढ़-चढ़ कर हो। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान ऐतिहासिक कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा की पहुँच जन साधारण तक वर्ष 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा पद्धति से कार्य निष्पादन में सुधार तथा कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन के रूप में बढ़ चढ़ कर आवश्यकताओं को पूरा करने सम्बंधी प्रयास होगा इस कार्यक्रम में पुरुष-स्त्री असमानता तथा सामाजिक अंतर को समाप्त करने परिकल्पना भी की गयी है। जिससे सामाजिक विषमताओं को दूर किया जा सकें।

इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा सम्बंधी सभी प्रयासों में एक सूत्रता लाने का प्रयास किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ऐसे प्रयास किये जायेंगे जिसमें सामुदायिक सहभागिता से ग्राम स्तर, विकास खण्ड स्तर, तथा स्कूल स्तर से कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो। अभियान द्वारा गैर सरकारी संगठनों, शिक्षको, स्वयंसेवकों कलाकारों, महिला संगठनों एवं पंचायतीराज संस्थाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित करें।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना— सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो प्लानिंग) का विशेष महत्व है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बस्ती, मजरे, टोले, तथा ग्रामों के प्रत्येक परिवार 6-14 वर्ग के बच्चों के भौक्षिक स्थिति का आकलन किया जाना है। 2000 के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की परिकल्पना को धरातल पर कार्यान्वित करने के लिये सर्व प्रथम ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं प्रबुद्ध उत्साही अध्यापकों एवं व्यक्तियों के

लिये एक प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन कर उन्हें इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बंध में बताया गया। जनपद देवरिया में सर्वप्रथम 1998-99 में सूक्ष्म नियोजन का कार्य किया गया पुनः जून 2001 में इसका अपडेशन किया गया तथा विश्लेषण करके समस्याओं/आवश्यकताओं की पहचान की गयी। इस प्रक्रिया के कुछ मुख्य सूचनार्थे एकत्रित की गयी जो निम्नवत् है।

1. ग्राम में 6-14 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या।
2. विद्यालय में 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या जो विद्यालय नहीं जाते।
3. शिक्षा न ग्रहण करने कारण।
4. विद्यालय में कक्षावार भवन की कमी।
5. विद्यालय में कक्षावार अध्यापकों की कमी।
6. ग्राम शिक्षा समिति द्वारा असहयोग।
7. ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन की स्थिति तथा उनके सुधार के लिये ग्रामवासियों का सुझाव/प्रस्ताव।
8. यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है। तो ग्रामवासियों के सुझाव के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना।
9. क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं ?
10. क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र-अध्यापक अनुपात क्या है।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना करने के पश्चात निम्न कार्य ग्रामवासियों के सुझाव से किये गये -

1. परिवार सर्वेक्षण।
2. स्कूल का मानचित्र/शैक्षिक मानचित्र।

3. सूचनाओं का विश्लेषण।

4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण।

शैक्षिक मानचित्र, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम शिक्षा समिति की बैठक आहूत कर सर्वप्रथम विचार विमर्श किया गया। तदोपरान्त ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक, युवतियों, शिक्षकों/शिक्षिकाओं की एक खुली बैठक कर भौक्षिक समस्याओं के साथ-साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गयी। तथा समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से ग्राम के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया।

शैक्षिक मानचित्र के द्वारा गाँव के सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये सर्व शिक्षा अभियान की योजना बनायी गयी।

शैक्षिक मानचित्र द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचना एकत्र की गयी –

1. ग्राम सभा की पूरी जनसंख्या।
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या।
3. स्त्री/पुरुष की जनसंख्या।
4. पढ़ने/ न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।
5. बालश्रमिकों के विशय में जानकारी।
6. विकलांग बच्चों के विशय में जानकारी।
7. बालिका शिक्षा की स्थिति।

उपरोक्त बिन्दु पर ग्रामवासियों एवं समुदाय के सभी सदस्यों से विचार विमर्श से आये समस्याओं के निदान हेतु विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। इस योजना की अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998-99 तथा 2001-02 में पुनः उपरोक्त समस्त प्रक्रिया अपनायी गयी तथा ग्राम सभावार भौक्षिक योजनायें दृष्टिगोचर हो

सकी। इन सभी योजनाओं का अभिलेख पूर्व में विकास खण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सका। फलस्वरूप 1998-99 में माइक्रो प्लानिंग डाटा को अद्यावधि तैयार करने के लिये ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। जिसे ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया, ताकि इनका उपयोग ग्राम स्तर पर सुगमता से हो सके। वर्ष 1998-2001 तक माइक्रो प्लानिंग के जो सूचनार्य/आंकड़े प्राप्त हुये उन्हे जनपद स्तर पर संकलित कर सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने का आधार बनाया गया है ।

माइक्रो प्लानिंग से प्राप्त परिवार वार/बस्तीवार आंकड़ो को सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोगी बनाने हेतु विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की सहायता से वर्गीकृत व विकास खण्डवार एकत्रित किया गया है 6-14 आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों का 2 श्रेणी में विभक्त किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों के दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-11 आयु वर्ग तथा 11-14 वय वर्ग समुहों में संकलित की गयी।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते है तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये है, की सूची भी तैयार की गयी है। जिनमें शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान योजना की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना संकलित किया गया। विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का सर्वेक्षण कराके उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखा गया है।

ग्राम शिक्षा समिति/ग्रामवासियों द्वारा सुझाये गये कार्यक्रमों के अनुसार समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधि चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001-02 में पूर्ण किया जायेगा। इसके द्वारा

प्राप्त आकड़ों/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002-03 के अर्न्तगत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायेगा।

नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत आकड़ों का सम्बंध है। इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों के अर्न्तगत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ का दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सारिणीयन एकत्रित किया जायेगा। तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002-03 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान - जनपद में जुलाई 2003 में बालक/बालिकाओं के नामांकन वृद्धि को बढ़ाने व ड्राप आउट को समाप्त करने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान चलाया गया। जिससे बालक/बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई स्कूल चलो अभियान के अर्न्तगत शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य बुद्धिजीवी वर्गों के सहयोग से वातावरण सृजित किया गया।

स्कूल चलो कार्यक्रम के रूपरेखा दिनांक 20.06.2003 को माननीय जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, बुद्धिजीवी एवं अन्य जनपदीय अधिकारियों के विचार विमर्श से रणनीति तैयार की गयी। जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि अध्यापकों द्वारा अपने विद्यालय के ग्राम समाओं के प्रत्येक परिवार की बालगणना करके उनके मकानों पर साक्षर/निरक्षर बच्चों की संख्या गेरू से अकिंत करेंगे।

उक्त रणनीति के अनुसार जनपद स्तर पर दिनांक 03.07.2003 को स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के लिये पोस्टर, बैनर आदि के द्वारा प्रभात फेरी के माध्यम से सुभारम्भ किया गया। इसी प्रकार ब्लाक स्तर पर भी दिनांक 05.07.2003, 06.07.2003, 12.07.2003 एवं 15.07.2003 को एक नोडल अधिकारी की देखरेख में व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। और स्थानीय/ब्लाक स्तरीय/जिला स्तरीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण जैसा समय/तिथि सुलभ हो वितरण करने की भी कार्ययोजना सुनिश्चित किया गया था।

सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित स्वरूप को ध्यान में रखते हुये विकेन्द्रित नियोजन की प्रणाली दुबारा अपनायी गयी। जिससे बस्ती स्तर पर शैक्षिक योजनायें बनाने की दिशा में कार्य योजना प्रारम्भ की गयी।

देवरिया जिले में सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित प्रयास किये गये –

□ नियोजन टीम का गठन – कार्ययोजना को कार्यरूप में परिणित करने के किसी न किसी स्तर पर कोई पहल करता है जिसकी पूर्ति हेतु सर्व शिक्षा अभियान के लिये 6 सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया गया।

1. डायट प्राचार्य ।
2. उप प्राचार्य ।
3. विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी।
4. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी।
5. उपबेसिक शिक्षा अधिकारी।
6. नगर शिक्षा अधिकारी।

उक्त समिति की देखरेख में प्रशिक्षण दिनांक 28 एवं 29.09.2001 में किया गया जिससे यह कार्य उच्च कोटि का प्लान बनाने में सहायक सिद्ध हुआ।

प्री-प्रोजेक्ट गतिविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में प्रधान पंचायत सदस्य, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक यह सदेश एन0पी0 आर0 सी0 द्वारा दिया गया। ग्राम शिक्षा समितियों को यह अवगत कराया गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समुदायिक सहभागिता पर निर्भर करता है इसकी योजना एफ0जी0डी0 के जरिये समाज की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन 'ग्रास रूट लेवल प्लानिंग' के आधार पर निर्मित की जायेगी। योजना के निर्माण के पश्चात इसका क्रियान्वयन भी समाज के हर वर्ग के सहयोग से होगा। विशेषकर ग्राम पंचायतों को इसमें नियोजन/प्रबंधन सम्बंधी

पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होंगे। अनुश्रवण और मूल्यांकन सम्बंधी भी उनकी भागीदारी होगी।

जनपद स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर जनपद स्तर पर नियोजन का स्वरूप निर्धारण किया गया है।

जनपद स्तर पर नियोजन — जनपद में डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम विगत चार वर्षों से संचालित है। उसी के वृहद स्वरूप में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित किया जाना है। जिन विकास एजेन्सीज से हमें डी०पी०ई०पी० में सहयोग मिला है उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें की गयीं।

जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला बेसिक शिक्षा समितियों के साथ बैठक माननीय सांसद व विधायकगण, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, शिक्षा संगठनों, अभिभावकों आदि विशिष्ट समूहों से विचार विमर्श किया गया है। नियोजन सम्बंधी प्रक्रिया निम्नवत है —

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

क्र० सं०	स्तर जनपद /ब्लाक न्याय पंचायत/ग्राम	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचारों में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1.	न्याय पंचायत स्तर	23.08.01	मूड़ाडीह	अधिकारी-8 प्रधान पति-1 उप प्रधान-1 अध्यापक- 15 ए०आर०जी० के सदस्य-12 न्याय पंचायत	1.अध्यापकों में विद्यालय को अच्छा बनाने में सहयोग। 2.प्रधानाध्यापक एवं ग्राम प्रधानों में समन्वय। 3.अध्यापकों की कमी एवं विद्यालय शिक्षण

				प्रभारी-3 अभिभावकों-23 अन्य-53	अधिगम सामग्री की कमी को पूर्ण करने की आवश्यकता ।
					4.बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय। 5.बच्चा स्कूल में आकर भी शिक्षण से वंचित न रहे इसके लिये अध्यापक एवं अभिभावक को जागरूक होने की आवश्यकता है। 6.स्कूल मे चहारदिवारी की आवश्यकता सभी के द्वारा महसूस की गयी।
2.	ग्राम स्तर	27.09.01	असनहर गौरीबाजार	ब्लाक समन्वयक जिला समन्वयक 2 महिला प्रधान 1 न्याय पंचायत प्रभारी 1 अध्यापक 5	1.सभी बालिकाओं को विद्यालय भेजने पर विशेष जोर। 2. विद्यालय में पठन पाठन के स्तर को उन्नत बनाया जायेगा। लिंगभेद के आधार पर घर तथा स्कूल में

					<p>भेदभाव को समाप्त करने पर विशेष बल दिया जाये।</p> <p>4.स्कूल में अध्यापकों के कमी को पूर्ण किया जाये।</p>
3.	ग्राम स्तर	28.09.01	अलावलपुर मटनी	<p>जिला समन्वयक 3</p> <p>प्रा० शि० संघ के जनपदीय अध्यक्ष 1</p> <p>ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि 1</p> <p>ब्लाक समन्वयक 1</p> <p>ग्राम प्रंधान 1</p> <p>अभिभावक 63</p>	<p>1.प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने योग्य सभी बच्चों को विद्यालय भेजने की आवश्यकता</p> <p>2.स्कूल के प्रत्येक कक्षा के लिये एक अध्यापक रखा जाये।</p> <p>3.विद्यालय समुदाय के लिये है। इस बात पर समुदाय को जागरूक किया जाये।</p>
4.	ग्राम स्तर	29.09.2001	सरैया	<p>ग्राम प्रधान 1</p> <p>पूर्व ग्राम प्रधान 1</p> <p>जिला समन्वयक 2</p> <p>ब्लाक समन्वयक 2</p> <p>अध्यापक 3</p>	<p>1. गरीब परिवार के बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करने पर विशेष जोर।</p> <p>2.अध्यापकों को शिक्षण</p>

			आभभावक 129	कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में न लगाया जाये 3.अध्यापकों एवं समुदा के बीच प्राथमिक शिक्ष के उन्नयन हेतु आप में सहयोग ।
5.	न्याय पंचायत स्तर	12.10.2001	तरकुलवा ब्लाक समन्वयक के 1 अध्यापक 27 न्याय पंचायत प्रमारी 1 अभभावक 79	1.शिक्षा से वंचित समुदा के बच्चों को विद्यालय लाने हेतु विशेष प्रयास किये जाये । 2.अध्यापको की संख्य बच्चों की संख्या के अनुपात मे ही होनी चाहिये । 3.बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाये । 4.स्कूल में कम से कम एक अध्यापिका अदृश्य रहे ।
6.	न्याय पंचायत स्तर	17.10.01	सिधावें जिला समन्वयक 3 ब्लाक समन्वयक 1 न्याय पंचायत प्रमारी 1	1. बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष बल ।

			<p>अध्यापक 32</p> <p>अभिभावक 67</p> <p>ग्राम प्रधान 1</p>	<p>2. बालिकाओं के शिक्षा के साथ साथ शिल्प कला का ज्ञान कराया गया।</p> <p>3. समुदाय विद्यालय को अपना माने इसके लिये समुदाय को जागरूक किया जाये।</p> <p>4. विद्यालय के वातावरण को रूचिकर बनाया जाये।</p> <p>5. खेलकूद पर विशेष ध्यान दिया जाय।</p> <p>6. शिक्षा जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसको लक्ष्य बनाकर समुदाय को जागरूक किया जाये।</p>	
7.	जनपद स्तर	08.10.01	जिला पंचायत सभागार	<p>जिला पंचायत अध्यक्ष</p> <p>जिला पंचायत उपाध्यक्ष</p> <p>जिलाधिकारी</p> <p>मुख्य विकास अधिकारी</p> <p>जिला पंचायत राज अधिकारी</p> <p>जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी</p>	<p>1. दूर दराज के पिछड़े गाँव में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाये।</p> <p>2. सभी उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं</p>

जिला पंचायत सदस्य 17

अन्य 15

बालक बालिकाओं के लिये

अलग-2 शौचालय का निर्माण कराया जाये।

3. सभी विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।

4. सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम दो अध्यापिकाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

5. बालिकाओं के शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये।

6. सभी प्राथमिक विद्यालयों में पाँच शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

7. आर्थिक कारण से पिछड़े बच्चों को भी निःशुल्क पाठरू पुस्तक दी जाये।

8. असेवित जगहों प
मानक के अनुसा
विद्यालय या विद्या केन
खोला जाय।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सी/विभागों से समन्वय एवं सहयोग—

प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से नियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है —

1. विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय — शासन द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार विकलांगों के सहायतार्थ उपकरणों/संयन्त्रों के वितरण में छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता दी जानी है। विकलांग कल्याण विभाग से विकलांग छात्र/छात्राओं को उपकरण उपलब्ध कराने के लिये सहयोग प्राप्त किया जाता है। सभी विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलवाने के लिये भी सहयोग प्राप्त किया जाता है।
2. स्वास्थ्य विभाग से समन्वय — स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य चिन्हित रोगी छात्र/छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराना तथा बच्चों की समुचित देखभाल करना है। मुख्य चिकित्साधिकारी से विकलांग बच्चों को विकलांगता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने में सहयोग मिलता है।
3. आई०सी०डी०एस० के साथ समन्वय — जिला कार्यक्रम अधिकारी व जिला समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, एन०जी०ओ० आदि को सम्मिलित कर जिला सन्दर्भ समूह तथा विकास खण्ड सन्दर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई०सी०डी०एस० के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

1. आगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उसके निकट की जाती है।
2. आगनबाड़ी केन्द्रों का समय विद्यालयों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
3. आगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4. केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5. केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या निदान हेतु अनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

5. समाज कल्याण विभाग से समन्वय – समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः 300 रूपया, व 480 रूपया प्रति छात्र की दर से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

5. ग्राम पंचायतों से समन्वय – असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

6. उ०प्र० जल निगम/यू०पी० एग्री से समन्वय – उपरोक्त दोनों विभागों के समन्वय एवं सहयोग से प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के लिये पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है। उ०प्र० जल निगमों के सहयोग से बी०आर०सी० भवनों का निर्माण कराया गया है।

7. जिला ग्राम विकास अभिकरण विभाग से समन्वय – शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम विकास अभिकरण(डी०आर०डी०ए०) से समन्वय स्थापित कर जिला भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से तथा शेष 60% धनराशि ग्राम विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाता है।

8. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय – खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय एवं

सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा को तीन किलो प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजना अर्न्तगत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

9. युवा कल्याण विभाग से समन्वय – युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर

छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है। नेहरू युवा केन्द्रो तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्त्ताओं के सहयोग से छात्र नांमाकन में बृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते है। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय सामुदाय की सामुदायिक सहभागिता स्थापित की जाती है।

10. पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग से समन्वय – इन दोनों

विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्प संख्यक बच्चों को 300 रूपया प्रति वर्ष प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति वितरण करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सकें। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपरोक्त सभी विभागों के साथ पूर्व की भाँति स्थापित सम्बन्धों के आधार पर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

अध्याय-4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा 6-14 वर्ष तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया है, अभियान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना के अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85.15, दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अंशदान का प्रतिशत 75.25 एवं उसके आगे की अवधि के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50.50 का होगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय, शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, ग्रीष्मकालीन शालात्यागी शिविर एवं अन्य शैक्षिक क्षेत्रों के माध्यम से शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराना।
- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षापूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्राथमिक शिक्षापूर्ण कर लेना।
- गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक बालिकाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2007 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव तथा सम्प्राप्ति के अन्तर को पूर्णरूपेण समाप्त करना।
- वर्ष 2007 तक सार्वभौमिक ठहराव सुनिश्चित करना।

उपरोक्त अंकित लक्ष्यों को देवरिया जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृद्धि कार्यक्रम लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जो निम्नलिखित हैं :-

नामांकन का लक्ष्य -

बाल संख्या तथा नामांकन प्रक्षेपण हेतु अपनायी गई विधि -

जनगणना 2001 द्वारा जनपद देवरिया की जनसंख्या के आकड़े अप्राप्त है। जनगणना 1991 की जनसंख्या के आकड़ों को आधार मानते हुये विगत 10 वर्षों में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि में वर्णित कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मैथेड से जनपद की वार्षिक वृद्धि ज्ञात की गई। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.53% है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2001 से 2007 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गई है।

नामांकन के प्रक्षेपण हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुये भी० पा० नई दिल्ली द्वारा इनरोलमेण्ट रेशियों मेथड से 2001 से 2010 तक का जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बालसंख्या से उस वर्ष के लिये नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिये वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर (11-14) के लिये 2007 तक शत प्रतिशत बच्चों के नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर एज तथा अण्डरएज बच्चों भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य सौ से अधिक रखा गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चों 6-11 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही नामांकन में बढ़ेंगे।

वर्ष 2001 से 2010 तक का वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामांकन सारणी 4.1 तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या व नामांकन सारणी 4.2 निम्नवत है-

सारणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	6 से 11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी0ई0आर
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	% में
00-01	161872	167806	329678	135061	139345	274406	83.23
01-02	201355	190545	391870	195951	184189	380140	97.00
02-03	206388	195308	401696	206388	195308	401696	100
03-04	211547	200190	411837	217893	206195	424088	103
04-05	216835	205194	422029	229845	217505	447350	106
05-06	222255	210323	432578	242257	229252	471509	109
06-07	227811	215581	443392	257426	243606	501032	113

सारणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	11 से 14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी0ई0आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	% में
2003-04	102713	94142	96855	98174	85876	184050	94%
2004-05	103510	95135	198645	99126	86205	185331	94%
2005-06	104382	95871	200253	101215	92235	192450	96%
2006-07	105000	96000	201000	103500	93500	197000	98%

ठहराव के लक्ष्य -

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत शालात्यागी बच्चों को विद्यालय में लाने के अभियान के क्रम में यह संकल्पना की गई है कि वर्ष 2005-06 तक जनपद में शालात्यागी बच्चों का प्राथमिक स्तर पर प्रतिशत शून्य कर दिया जायेगा तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर इसे ही गति प्रदान करते हुये अहर्निश प्रयास के माध्यम से वर्ष 2007 तक निर्धारित लक्ष्य को सम्पूर्ण जनपद में पूर्ण कर लिया जायेगा। प्राथमिक स्तर की संकल्पना का अवलोकन प्राथमिक स्तर पर 'ड्रॉप आउट' कम करने के निर्धारित लक्ष्य निम्नवत् है-

सारणी 4.3

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट की दर	ठहराव
2001-02	42.3	57.7
2002-03	37	63
2003-04	31	69
2004-05	24	76
2005-06	17	83
2006-07	9	91

लिंग भेद के आधार पर नामांकन-अनुपात

वर्ष	कुल छात्र	बालक	बालिका	बालकों का प्रतिशत	बालिकाओं का प्रतिशत
1997-98	242353	126969	115384	52.39	47.61
1998-99	272106	138712	133394	50.98	49.02
1999-2000	268757	135218	133539	50.31	49.69
2000-2001	274406	135061	139345	49.21	50.78
2001-2002	380140	195951	184189	51.55	48.45

सामाजिक भेद के आधार पर नामांकन अनुपात

वर्ष	कुल छात्र	अनुसूचित जाति			प्रतिशत	अनुसूचित जाति की बालिकाओं का प्रतिशत
		योग	बालक	बालिका		
1997-98	242353	60007	32800	272077	24.76	45.34
1998-99	272106	74233	39197	35036	27.28	47.20
1999-2000	268757	78621	40651	37970	29.25	48.29
2000-2001	274406	88453	44942	43511	32.23	49.19
2001-2002	380140	126814	63013	63801	33.36	50.31

सारिणी 4.3 c

प्राथमिक विद्यालय सकल पहुँच दर का लक्ष्य

वर्ष	कुल बस्तियाँ	सकल पहुँच दर (प्रतिशत में)	सेवित बस्तियाँ	असेवित बस्तियाँ
2001-02	2686	81.5	2189	497
2002-03	2686	93.4	2508	178
2003-04	2686	100	2686	—

अध्याय-5

समस्यायें एवं रणनीतियाँ

शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु हमेशा से ही सरकार द्वारा कोई न कोई कार्यक्रम संचालित किये जाते रहे हैं। सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, अनौपचारिक शिक्षा के शृखंला में ही वर्तमान समय में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक कड़ी है। इसके अगली कड़ी के रूप में 'सर्व शिक्षा अभियान' का संचालन किया जाना है जिसके परिप्रेक्ष्य में परियोजना की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिये जनपद देवरिया में शिक्षा से जुड़ी समस्यायें एवं उन समस्याओं के निराकरण हेतु रणनीति बनाये जाने के उद्देश्य से बैठकों एवं फोकस ग्रुप डिस्कसन का आयोजन किया गया। जनपद में विभिन्न स्तरों पर समूह चर्चा एवं ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में चर्चा के उपरान्त प्राप्त विचारों का विश्लेषण करने के पश्चात् उभर कर आई समस्याओं के निराकरण करने के लिये रणनीति बनायी गयी।

रणनीति की रूपरेखा छात्र नामांकन के अनुपात में अध्यापक/अध्यापिका की नियुक्ति विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण, नये भवनों का निर्माण हैण्डपम्प एवं शौचालय का निर्माण जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत जैसे बिन्दुओं के आधार पर बनायी गयी है। साथ ही साथ जो बच्चें विद्यालय से बाहर हैं उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये तथा विद्यालय में उनके ठहराव को सुनिश्चित करने के लिये विशेष बल देने के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत रणनीति बनायी गयी।

क्र० सं०	समस्यायें	रणनीति
1.	सामाजिक समस्यायें सामाजिक सहभागिता का अभाव	शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में सबसे बड़ी अवरोधक कारक है कि अभिभावकों एवं ग्रामवासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वे शिक्षा के महत्त्व को समझ नहीं

पाते जिससे उनकी सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पाती। अभिभावकों को संदेह है कि पढ़ाई लिखाई के बाद भी इन्हे नौकरी नहीं मिल पायेगी। इसलिये बच्चों को पढ़ाना लिखाना बेकार है। इसे दूर करने के लिये ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा जिनसे अभिभावकों एवं ग्रामवासियों के बीच यह सोच विकसित हो सके कि विद्यालय में अच्छी पढ़ाई से ही बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। ग्राम पंचायतों को स्कूलों के सतत् मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के लिये जिम्मेदार बनाया जायेगा। शिक्षा के विस्तार के लिये गाँव के जानकार एवं गणमान्य लोगों से मदद ली जायेगी।

2.

सामाजिक पिछड़ापन

शिक्षा के प्रति समाज की सोच काफी पिछड़ी हुई है। बच्चों अभिभावकों एवं ग्रामवासियों के सोच में परिवर्तन लाने के लिये डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत 'मीना कैम्पेन' माँ-बेटी शिक्षक मेला तथा 'कला जत्था' इत्यादि कार्यक्रमों के द्वारा जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जागरूकता लाने के लिये महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, शिक्षकों, समाज, के प्रबुद्ध नागरिकों, स्वयंसेवी

		<p>संस्थाओं, बाल विकास परियोजना की कार्यकर्त्रियों एवं ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग लिया जायेगा।</p>
<p>3.</p>	<p>शिक्षण कार्यो में शिक्षकों के पर्याप्त रूचि का अभाव</p>	<p>प्राथमिक विद्यालयों में प्रायः यह देखा जाता है शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण कार्यो में पूरी तरह रूचि नहीं लिये जाते रहे है। शिक्षण कार्य को अपनी जिम्मेदारी समझने के बजाय वे विद्यालय में सिर्फ बच्चों को घेर कर रखने का कार्य करते है। इस समस्या का मुख्य कारण है कि पर्याप्त अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षकों को शिक्षण कार्य नीरस लगने लगा है। शिक्षण कार्य मे उनकी रूचि बढाने के लिये अध्यापकों की विषय-वस्तु आधारित प्रतियोगिताये आयोजित की जायेगी जिससे उनमें प्रतिस्पर्धाओं में आगे बढने तथा अपने विषय वस्तु के बारे में जानने की भावना का विकास होगा। परिणामस्वरूप वह स्व-अध्ययन की ओर उन्मुख होंगे। समय-2 पर अध्यापकों के प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिससे शिक्षक को विद्यालय के वातावरण सृजन एवं पठन-पाठन क्रिया में सहायता मिलेगी। समय-समय पर उनके लिये वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमें 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा</p>

		<p>तथा योग्यता सूची में सर्वोच्च स्थान पर आने वाले तीन अध्यापकों को पुरस्कृत किया जायेगा।</p> <p>45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अध्यापकों की दक्षता रोक एवं वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी।</p>
4.	अभिभावकों एवं अध्यापकों में विचारों के आदान प्रदान	<p>यदि हम अपना ध्यान इस समस्या के परिप्रेक्ष्य में मुख्य कारण की ओर केन्द्रित करें तो हम पाते हैं कि का अभाव छात्र/छात्राओं के अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच शैक्षिक दृष्टिकोण से सम्पर्क नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि प्राथमिक विद्यालयों में अधिकतर अशिक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चें आते हैं। अशिक्षित अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय तो भेजते हैं मगर उनके शैक्षिक प्रगति का आकलन न तो स्वयं करते हैं और न ही इसके लिये अध्यापक से ही सम्पर्क करते हैं। इस समस्या को तभी दूर किया जा सकता है जब इन दोनों के बीच सम्पर्क निरन्तर बना रहे। इसके लिये प्रत्येक विद्यालय में प्रतिमाह अभिभावक शिक्षक सम्मेलन कराया जायेगा। इस सम्मेलन में छात्र/छात्रा के माता पिता दोनो की उपस्थिति अनिवार्य की जायेगी</p>

		जिससे वे अपने बच्चों के शैक्षिक प्रगति से अवगत हो तथा उनके विचारों एवं समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर निदान की कार्यवाही की जायेगी। इसके लिये शिक्षा समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
5.	अध्यापकों द्वारा विद्यालय में कम समय दिया जाना तथा शिक्षणेत्तर कार्यों का निष्पादन	अध्यापकों को शिक्षणेत्तर कार्यों में व्यस्त होने के कारण वे अपनी कक्षाओं में शिक्षण कार्य का सम्पादन नहीं कर पाते हैं तथा शिक्षणेत्तर कार्यों को कराये जाने से उत्पन्न बाधाओं के बहाने अध्यापकों विद्यालयों के बाहर ज्यादा समय गुजारना पसंद करते हैं। अस्तु विशेष परिस्थिति में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्यों से अध्यापकों को जोड़ा जायेगा। यदि एक अध्यापक किसी राष्ट्रीय कार्य में संलग्न होगा तो अन्य शिक्षक उस समय उसकी कक्षा के शैक्षणिक कार्य का निर्वहन करेंगे।
6.	पर्याप्त निरीक्षण/पर्यवेक्षण का अभाव	लगातार विद्यालयों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण की कमी के कारण कार्य में अनियमितता होती है। इसे दूर करने के लिये विद्यालयों एवं अध्यापकों द्वारा सम्पादित हो रहे शिक्षण कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण एन०पी०आर०सी० एवं बी०आर०सी० के समन्वयक, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट के

		मेन्टर्स एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। वर्तमान समय में संचालित डी०पी०ई०पी० में विकसित अकादमिक सपोर्ट एवं सुपरविजन प्रणाली भी अपनायी जायेगी।
7.	विद्यालय में आकर्षक वातावरण का अभाव	प्राथमिक विद्यालयों में उचित देखभाल न होने के कारण विद्यालय के प्रांगण में आकर्षकता नहीं रह पाती है। इसके लिये विद्यालय के बच्चों को समूह में बैठाकर शिक्षण कार्य तथा सहायक सामग्री को बच्चों के माध्यम से तैयार की जायेगी, जो पाठ के अनुरूप होगा। विद्यालय के वातावरण को अधिक आकर्षक बनाने के लिये विद्यालय प्रांगण में पौधों, वृक्षारोपण कृषि, एवं बागवानी सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन छात्रों से कराया जायेगा। प्रत्येक कक्षा के लिये खेल-कूद का निर्धारित सामान खरीदा जायेगा जिससे विद्यालय में ठहराव को अधिक बल मिलेगा एवं बच्चें विद्यालय में पूरे समय तक रहना पसन्द करेंगे।
8.	भौगोलिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा में बाधायें	जनपद में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ नदी, नाले, जंगल इत्यादि के कारण शिक्षा का सुचारु रूप से विस्तार नहीं हो सका है। इन स्थानों पर औपचारिक स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं।

		<p>फलस्वरूप यहाँ के बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं उत्पन्न हो पाती है । इस समस्या से छुटकारा पाने के लिये ऐसे स्थान पर मानक के अनुसार शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के केन्द्रों के खोले जाने का प्राविधान है ।</p>
9.	<p>आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के पास पाठ्य सामग्री का न होना ।</p>	<p>प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चें आते है प्रायः उनके माता पिता आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं होते । ऐसे अभिभावक अपने बच्चों के पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते है । इस समस्या को दूर करने के लिये डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करायी गयी है । सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने का प्राविधान है ।</p>
10.	<p>बच्चों के गणवेश के प्रति अभिभावकों की उदासीनता</p>	<p>प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के गणवेश की अनिवार्यता का अभाव रहता है जबकि गणवेश के अभाव में विद्यालय का अनुकूलन सम्भव नहीं है और सामाजिक एकरूपता का अभाव रहता है । अभिभावक भी अपने बच्चों के लिये गणवेश नहीं बनवाते है । इस समस्या के समाधान के रूप में बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा</p>

		कि बच्चों को गणवेश में ही विद्यालय भेजा करें।
11.	शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता का अभाव	अभिभावकों में सामान्यतः यह सोच होती है कि बच्चा शिक्षित होकर रोजगार से जुड़े जबकि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का विकास है। न कि एक मात्र रोजगार उपलब्ध कराना जबकि अभिभावक की सोच है कि बच्चा पढ़कर नौकरी करें। ऐसी स्थिति में सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम संचालित कर अभिभावकों के इस सोच को परिवर्तित किया जायेगा।
12.	विद्यालय में भौतिक संसाधनों का अभाव	विद्यालयों में भौतिक संसाधनों जैसे फर्नीचर, बिजली, कक्षा कक्षों की अनुपलब्धता शौचालय, पेयजल, तथा चहारदिवारी का अभाव है। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत जनपद के विद्यालयों में 525 शौचालय, 446 हैण्डपम्प, 483 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण कराया गया है। 33 प्रतिशत से अधिक का निर्माण कार्य पर लगी रोक के कारण अवशेष का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित है।
13.	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों / विकलांग बच्चों	विकलांग बच्चों में उनके आवश्यकतानुसार शिक्षण की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसके कारण वे शिक्षा की व्यवस्था मुख्य धारा से कट जाते हैं।

डी0पी0ई0पी0 के अर्न्तगत वर्तमान में विकास खण्डवार विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इस समय दो विकास खण्डों में चिकित्सकीय आंकलन का कार्य हो रहा है तथा जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के माध्यम से बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित है। इसके अतिरिक्त अन्य शेष विकास खण्डों में चिकित्सीय आंकलन शिविर एवं उपकरण उपलब्ध कराने के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रस्ताव है। ऐसे बच्चों के अभिभावकों को जागरूक एवं संवेदनशील बनाने के लिये ग्राम शिक्षा समिति एवं समाज के गणमान्य नागरिकों, युवक मंगल दल, स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग लिया जायेगा।

उपरोक्त समस्याओं के अर्न्तगत जनपद में भविष्य में आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए रणनीति बनायी जायेगी।

अध्याय—6

शिक्षा में पहुँच का विस्तार

जनपद में 1 कि० मी० की परिधि एवं 300 से अधिक आबादी के आधार पर कुल 184 असेवित बस्तियाँ चिन्हित की गयी थी। जिला प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 97-98 में 84 एवं 98-99 में 100 कुल 184 नवीन प्राथमिक की स्थापना कर शिक्षा की पहुँच में विस्तार किया गया। आबादी में वृद्धि के फलस्वरूप मानक 97 असेवित बस्तियों में विद्यालयों की आवश्यकता उभर कर आयी है जिनमें नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कर उन्हें प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराया जा सकता है। स्वीकृति एवं निर्माण कार्यों की सीलींग के कारण 40 नवीन प्राथमिक विद्यालय की पूर्ति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय -

3 कि० मी० की परिधि में पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किया जाना निर्देशित है। वर्तमान में दो प्राथमिक विद्यालय पर एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य मिला है। भूमि की उपलब्धता एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर जनपद में कुल 90 पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता है। डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक की स्थापना हेतु निर्देशित नहीं किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2002-03 में 31 पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित किये गये है वर्ष 2003-04 में 64 पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित कर सभी असेवित क्षेत्रों को संतृप्त कर लिया जाना है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय

वर्ष	संचालित	नवीन	योग
2001-02	209	0	209
2002-03	209	31	240
2003-04	240	64	304

सारणी 6.1

क्र० सं०	स्तर विद्यालय	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	जनपद में कुल संचालित प्राथमिक विद्यालय	1475	36	1511
2.	मानक के अनुसार असेवित बस्तियाँ	117	..	117
3.	जनपद में कुल पूर्व माध्यमिक विद्यालय	198	11	209
4.	मानक के अनुसार आवश्यकता	738	18	756
5.	वास्तविक पूर्व माध्यमिक की आवश्यकता (भूमि उपलब्धता एवं अन्य कारणों सहित)	238	2	240

शिक्षक की व्यवस्था – प्रत्येक नवीन विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रत्येक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा चार सहायक अध्यापक सहित कुल पाँच अध्यापकों की आवश्यकता प्रस्तावित है। चार अध्यापकों में से एक विज्ञान एवं एक गणित तथा बालिका शिक्षा हेतु एक महिला शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी।

इस प्रकार जनपद में कुल अध्यापकों की आवश्यकता निम्नानुसार होगी—

वर्ष	कुल विद्यालय	उपलब्ध	रिक्त	आवश्यकता	कमी
2001-02	1522	3426	1226	6222	2796

विद्यालय साज-सज्जा — प्रत्येक विद्यालयों को सुसज्जित करने हेतु डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत प्रति वर्ष 2000.00 रू० विद्यालय अनुदान साज-सज्जा हेतु उपलब्ध कराया जाता है। नवीन 184 विद्यालयों में साज-सज्जा हेतु 10000 प्रति विद्यालय उपलब्ध कराया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय (प्राथमिक +पूर्व प्राथमिक) को 2000/- रू० की दर से विद्यालय अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत मेज-कुर्सी टाट-पट्टी, भयाम पट्ट, पंजिकायें आलमारी, क्रीड़ा सामग्री, पुस्ताकलय हेतु पुस्तके एवं अन्य भौक्षिक सामग्री ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव के अनुसार क्रय हेतु ग्राम शिक्षा निधि में धनराशि हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

पेयजल— बच्चों की पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु डी०पी०ई०पी०योजना अन्तर्गत 446 इंडिया मार्का ॥ हैण्डपम्प उपलब्ध कराये जाने, पुराने एवं खराब या नवीन प्राथमिक विद्यालयों पर कुल 74 हैण्डपम्प की आवश्यकता प्रस्तावित है जिससे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

शौचालय— प्रत्येक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। शौचालय विहीन 675 प्राथमिक विद्यालय को डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा। अवशेष 739 प्रा० वि० एवं 84 पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुल 823 विद्यालयों में शौचालय निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

निर्माण कार्यदायी संस्था — डी०पी०ई०पी० में निर्माण कार्यदायी संस्था (ग्राम प्रधान + बउक) द्वारा ग्राम निधि में धनराशि अन्तरित कर कार्य कराया जाना प्रस्तावित था। परन्तु

(ग्राम प्रधान + बउक) द्वारा धनराशि का अधिकांशतः दुरूपयोग किया गया। पुनः शासनादेशानुसार ग्राम शिक्षा समिति (ग्राम प्रधान+प्रधानाध्यापक) के माध्यम से ग्राम शिक्षा नेधि में धनराशि हस्तान्तरित कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। समुदाय के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण निर्माण प्रस्तावित है।

नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना – सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत 11-14 वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा सुलभ कराने के लिये क्षेत्र की आवश्यकतानुसार/भूमि की उपलब्धता के अनुसार वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में ही की जानी प्रस्तावित है। इससे कक्षा 5 उत्तीर्ण छात्रों को निकटस्थ पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा उपलब्ध हो पायेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण – शैक्षिक सुविधाओं के आवश्यकता हेतु ग्राम पंचायत/विकास क्षेत्र स्तर पर सर्वेक्षण कार्य करा कर मानकानुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रथम वर्ष सर्वेक्षण (भूमि की उपलब्धता) के आधार पर चिन्हांकन कर पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना सर्व शिक्षा अभियान के द्वितीय वर्ष में की जायेगी। सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों के अनुसार विद्या केन्द्र/ई0सी0सी0ई0 की स्थापना की जायेगी।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण – गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिये तकनीकी सुझाव एवं पर्यवेक्षण के लिये ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अवर अभियन्ताओं से कराया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय 7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

अनौपचारिक शिक्षा—

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं। आबादी के तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप देश में प्राथमिक शिक्षा की पूर्ति हेतु औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों के साथ—2 वर्ष 1979-80 से पूरे देश में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शिखा चलाया गया। इसके अन्तर्गत 6-11 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों को जो विद्यालय नहीं जा पाये हैं या जिनके क्षेत्रों में विद्यालय उपलब्ध नहीं है अथवा जिन्हें किन्हीं कारणवश विद्यालय छोड़ देना (ड्रॉप आउट होना) पड़ा हो तथा कुछ बाधाओंवश स्कूल न जा सकने वाली बालिकाओं को और कामकाजी बच्चों को औपचारिक शिक्षा के समतुल्य शिक्षा उपलब्ध करायी गयी। यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों, शहरी मलीन बस्तियों में, पर्वतीय जनजातिय तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेष रूप से चलायी गयी। अनौपचारिक शिक्षा योजना सहशिक्षा वाले अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्रों हेतु 60:40 तथा बालिकाओं के लिये केन्द्र संचालित करने हेतु 50:50 के अनुपात में केन्द्र और सम्बन्धित राज्य द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से चलायी गयी।

उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम सभी जनपदों में संचालित किया गया। जनपद देवरिया में कुल 6 परियोजनायें संचालित रही हैं। प्रत्येक परियोजना में 100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रति वर्ष संचालित किये गये। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम द्विवर्षीय तथा चार खण्डों में विभक्त था। पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात् बालक कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण करके कक्षा 6 में प्रवेश लेकर शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाता था। प्रत्येक केन्द्र पर 25 बच्चे नामांकित किये गये जिनमें बालिकाओं के पंजीकरण पर अधिक बल दिया गया।

जनपद देवरिया के 15 विकास खण्डों में से विकास खण्ड पथरदेवा, भाटपार रानी, बरहज, देसही देवरिया, भटनी तथा बनकटा में वर्ष 1988-89 से परियोजनायें संचालित थीं। विकास खण्ड भलुअनी तथा देवरिया में स्वैच्छिक संस्था बाल कल्याण केन्द्र पिड़रा द्वारा प्रत्येक परियोजना में 100 केन्द्र संचालित किये गये थे। प्रत्येक केन्द्र पर 25 बच्चे नामांकित थे कुल 600 केन्द्रों पर नामांकित 15000 बच्चों में 8171 बालिकाएं तथा 6829 बालक थे। संस्था द्वारा कुल केन्द्रों में 5000 बच्चे नामांकित थीं। जन कल्याण शिक्षा समिति फाजिलनगर द्वारा विकास खण्ड रामपुर कारखाना में 100 केन्द्र संचालित किये गये जिसमें 1173 बालक एवं 1327 बालिकाएं कुल 2500 बच्चे नामांकित थे। तथा रामपुर कारखाना में स्वैच्छिक संस्था जन कल्याण शिक्षा समिति द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये थे।

ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 के लिये नियोजन - जनपद देवरिया में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत 38 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र बाढ़ ग्रस्त विकास खण्डों रूद्रपुर तथा भागलपुर तथा न्यूनतम साक्षरता दर वाले विकास खण्ड पथरदेवा में संचालित है। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में कुल नामांकित 1297 बच्चों में 509 बालक एवं 788 बालिकायें थीं। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अतिरिक्त 162 विद्या केन्द्र ई0जी0एस0 विकास खण्ड देसही देवरिया के अतिरिक्त सभी विकास खण्डों में संचालित है। विद्या केन्द्रों पर नामांकित 6647 बच्चों में 3058 बालक एवं 3589 बालिकायें थीं जिन्हें निकट के प्राथमिक विद्यालय में नामांकित करा दिया गया है।

शिक्षा गारण्टी योजना - ई0जी0एस0 केन्द्रों का संचालन 'स्टेट सोसायटी' उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, निशातगंज लखनऊ के द्वारा किया जायेगा। इसी तरह के केन्द्रों पर 6 से 8 वर्ष के बच्चे केन्द्रित किये जायेंगे। इन केन्द्रों को ऐसे स्थल पर संचालित किया जायेगा जो मजरे, टोले, बस्ती, विद्यालय से एक कि0मी0 परिधि के बाहर होंगे तथा अनसूचित जाति अल्पसंख्यक बालिका नामांकन कम होगा व न्यूनतम 30 बच्चे उपलब्ध होंगे। विशेष परिस्थिति में 15 बच्चे होने पर भी केन्द्र संचालित किये जायेंगे इन केन्द्रों पर

कक्षा 1 व 2 की पढ़ायी होगी। इन केन्द्रों पर एक शिक्षा स्वयं सेवक रहेगा जो आचार्य जी के नाम से जाना जायेगा। केन्द्र को विद्या केन्द्र कहा जायेगा।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम —

परिवार की आर्थिक व्यवस्था के लिये बालक/बालिकाओं की शिक्षा बीच में ही छुड़ाने के फलस्वरूप ड्राप आउट की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। विशेषकर बालिकायें, कामकाजी बच्चे, तथा बाल श्रमिकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिये और ऐसे बच्चे जो बढ़ती उम्र के कारण झिझक महसूस करते हैं, मुख्य धारा से जोड़ने के लिये वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का आयोजन किया जायेगा। यह केन्द्र प्राथमिक 9 से 11 उम्र के तथा उच्च प्राथमिक 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये दोनों तरह के होंगे।

मुख्यतः झुग्गी, झोपड़ी, मलिन बस्तियों व बालश्रमिकों से आच्छादित स्थल जहाँ पर 9 से 14 वय वर्ग के ड्राप आउट उपलब्ध होंगे तथा विद्यालय न जाने वाले 20 बच्चे उपलब्ध होंगे वहाँ नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन केन्द्रों पर जिस स्तर के बच्चे होंगे उसी स्तर की पढ़ाई पूर्ण करा कर किसी भी समय योग्यता अनुरूप औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जायेगा। इन केन्द्र पर बच्चे का प्रवेश किसी भी समय किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र पर एक अनुदेशक उच्च प्राथमिक केन्द्रों पर दो अनुदेशकों की व्यवस्था प्रस्तावित है।

विकास खण्डवार डीपीईपी के अर्न्तगत संचालित विद्या केन्द्रो (ईजीएस) तथा सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रस्तावित शिक्षा गारण्टी तथा वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों का स्वरूप निम्नवत प्रस्तावित है—

सारिणी 7.3

क्र० सं०	विकास खण्ड	डीपीईपी के अर्न्तगत संचालित		नवीन प्रस्तावित		
		वै० शि० केन्द्र	ईजीएस के अर्न्तगत विद्या केन्द्र	ईजीएस	एआईई	ब्रिज कोर्स
1.	गौरी बाजार	03	2		
2.	भलुअनी	05	3		
3.	बैतालपुर	30	5		
4.	रुद्रपुर	24	04	3		
5.	बरहज	05	0		
6.	भाटपार रानी	07	3		
7.	भागलपुर	10	07	10		
8.	भटनी	11	5		
9.	लार	19	2		
10.	रामपुर कारखाना	14	0		
11.	देसही देवरिया	00	0		
12.	बनकटा	06	3		
13.	सलेमपुर	21	4		
14.	पथरदेवा	04	16	5		
15.	देवरिया सदर	14	4		
16.	देवरिया नगर क्षेत्र	1		
	योग	38	162	50		

सारिणी 7.4

प्राथमिक शिक्षा की स्कूली सुविधा

कुल बस्ती	2686
कुल प्राथमिक विद्यालय	1562
कुल सेवित बस्तियाँ	2686
कुल असेवित बस्तियाँ	000
सकल पहुँच दर (GAR)	100

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन का समय व

स्थल — सार्वजनिक स्थल चौपाल तथा विवाद रहित भवन आदि में यह केन्द्र संचालित किये जायेंगे। केन्द्र प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे के बीच 4 घटें प्रतिदिन संचालित होगा।

सभी बस्तियों व नगरीय क्षेत्रों में माइक्रो प्लानिंग डाटा को 2001-2002 में अद्यतन किया जायेगा ताकि स्कूल से बाहर बच्चों आयुवर्ग व कारणों को सही रूप से ज्ञात किया जा सकें। यह सर्वेक्षण इसलिये किया जाना आवश्यक है ताकि 2002-2003 के बाद जैसे-2 परियोजना आगे बढ़ती है ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रमों को बच्चों के अभीष्ट वर्ग/चिन्हित समूह पर केन्द्रित किया जा सके)

शिक्षा स्वयं सेवक चयन — शिक्षा स्वयं सेवक यथा सम्भव उसी स्थान एवं समुदाय का होगा जहाँ पर शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। शिक्षा स्वयं सेवक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। शिक्षा स्वयं सेवक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबंध नहीं है। शिक्षा स्वयं सेवक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुये वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। पूर्व में संचालित अनौपचारिक शिक्षा में अनुदेशक के रूप में तीन वर्ष की संतोषजनक सेवा पर 5 अंक बोनस अंक के तौर पर प्रदान

किये जायेगे। तत्पश्चात् शिक्षा स्वयं सेवक को आमंत्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी शिक्षा स्वयं सेवक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके शिक्षा स्वयं सेवक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा स्वयं सेवक का चयन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, / विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र, समासद सम्बन्धित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिये शिक्षा स्वयं सेवक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी। अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबंध नहीं है। जहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहाँ पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी का चयन किया जा सकता है। महिला अभ्यर्थी को वरियता दी जायेगी।

शिक्षा स्वयं सेवक चयन के सम्बन्ध में शिक्षा स्वयं सेवक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर एनेक्सर के साथ संलग्न किया जायेगा। शिक्षा स्वयं सेवक का प्रशिक्षण – शिक्षा स्वयं सेवक का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक चयनित शिक्षा स्वयं सेवक का एक माह का प्रशिक्षण सदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायेगा।

प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रू० 1500/- प्रति शिक्षा स्वयं सेवक की दर से धन राशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा।

शिक्षा स्वयं सेवक मानदेय वितरण – E.G.S/ AIE केन्द्रों के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षा स्वयं सेवक के मानदेय की धनराशि रू० 1000/- प्रति

शिक्षा स्वयं सेवक की दर से छः माह की अग्रिम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के शिक्षा स्वयं सेवक के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्य प्रमाणित होने पर नगर क्षेत्र के सम्बन्धित समासद/प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में भुगतान किया जायेगा।

पर्यवेक्षण— शिक्षा गारंटी एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमी सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई/ब्लाक रिर्सोस परसन/ ब्लाक संसाधन केन्द्र/न्याय पंचायत के ससाधन केन्द्र के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र में यह कार्य शिक्षा अधीक्षक एवं अन्य जनपदीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत/ब्लाक संसाधन केन्द्र के प्रभारियों द्वारा अनुदेशकों की मासिक बैठके भी ली जायेगी।

ग्राम शिक्षा समिति भी नियमित रूप से इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी और समय-2 पर अपने सुझाव अनुदेशकों को देगी। डायट में डी0आर0यू0 प्रभारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मी भी इन केन्द्रों को नियमित पर्यवेक्षण करेंगे। पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा एक रोस्टर प्रणाली द्वारा किया जायेगा ताकि सार्वभौमिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री — प्रत्येक शिक्षा केन्द्र के साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धन राशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे हस्तान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित सामग्री बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र के अनुदेशकों को उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। तथा इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद (रूपया 845/—) प्राथमिक (रूपया 1200/— उच्च प्राथमिक) से किया जायेगा। शिक्षा

गारण्टी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षण की पाठ्य पुस्तकें ही समप्रति उपयोग में लायी जायेंगी।

छात्र/छात्राओं का मूल्यांकन – अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक एवं शिक्षा गारण्टी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिये अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही, छमाही, तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक एवं लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों पर पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र ही औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिये वह योग्य हो किसी भी समय प्रवेश पा जायें केन्द्र में अध्ययनरत बच्चे निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे। उनकी परीक्षा निदेशक (बेसिक शिक्षा) तथा निदेशक सा० एवं वै०शि० द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका –

प्रस्तावित शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा योजना के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व प्रस्तावित है –

- 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की माइक्रो प्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित करना।
- कार्यक्रम के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।
- शिक्षा स्वयं सेवक का चयन करना।
- केन्द्र की साज-सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों का संचालन हेतु शिक्षा स्वयं सेवक को उपलब्ध कराना।
- शिक्षा स्वयं सेवक की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्र का प्रवर्धन एवं निरीक्षण करना।

• नियमित रूप से अनुदेशक के मानदेय का भुगतान करना।

• केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिये लगातार प्रोत्साहित करना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति –

विकास खण्ड स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिये निम्न समिति का गठन किया जायेगा।

ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / S.D.I	सदस्य सचिव
ग्राम प्रधान (ब्लाक)	सदस्य
विकास खण्ड का वरिष्ठ प्र0अ0	सदस्य

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका –

योजना को सफल बनाने के लिये विकास खण्ड स्तरीय समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित है—

1. ग्रामशिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को प्राप्त कर समीक्षा करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र की माइक्रो प्लानिंग कर योजना को मूर्त रूप देना।
3. क्लस्टर/ रिसोर्स परसन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहायता से केन्द्रो/ शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण।
4. जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भ छात्राओं की सहायता से शिक्षा स्वयं सेवक का प्रशिक्षण करना।
5. मासिक सूचनायें संकलित करना।
6. सूचनाओं का भौतिक सत्यापन कर जिला समिति को प्रस्तुत करना।

परिवार सर्वेक्षण आकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण –

माइक्रो-प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। 'अण्डर एज' व 'ओवर एज' बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सकें। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो-प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 6-8 वय वर्ग के 24414 तथा 9-14 वर्ष के 20842 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षों के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिए संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

9-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माॅडल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव रखा जायेगा। पहले दो वर्ष

में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम दो या तीन माडल विकसित किये जायेगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, अनुभवी, स्वयंसेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

सारणी संख्या 7.5

हाऊस होल्ड सर्वे 2003 में चिन्हित विभिन्न कारणों से

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

विद्यालय न जाने का कारण	बालक	बालिका	योग
घरेलू कार्य की व्यस्तता	4086	4495	8581
माई बहन की देखभाल	1739	2588	4327
विद्यालय की पहुँच से बाहर	5683	4777	10460
श्रम (मजदूरी)	1286	579	1865
विविध	1553	1933	3486
योग	14347	14372	28719

विद्यालय न जाने वाले बच्चों हेतु कार्य योजना

वर्ष 2003 में हाऊस होल्ड सर्वे के दौरान कुल 28719 बच्चे स्कूल के बाहर पाए गए। जुलाई 2003 में स्कूल चलों अभियान नामांकन अभियान तथा अन्य गतिविधियों की सहायता से 23174 बच्चों को विद्यालय में मुख्य धारा से जोड़ा गया। शेष 5545 बच्चों हेतु निम्न कार्य योजना प्रस्तावित की गयी हैं:-

एस0सी0/एस0टी0 ब्रिज कोर्स :- जनपद में अनुसूचित जाति/जनजाति के आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 7 न्याय पंचायतों में एस0सी0/एस0टी0 ब्रिज कोर्स का संचालन किया जा रहा है जिसमें कुल 304 बच्चे नामांकित

हैं। 6 माह के इस गैर आवासीय ब्रिज कोर्स के उपरान्त उन्हें विद्यालय की कक्षा में नामांकित करा कर मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा।

जनपद स्तर पर बालिकाओं हेतु आवासीय ब्रिज कोर्स :- 9-14 वय वर्ग की शिक्षा से वंचित आउट आफ स्कूल बालिकाओं हेतु जनपद स्तर पर तीन ब्रिज कोर्स का आयोजन किया जाना है जिसकी अवधि 6 माह की है। एक ब्रिज कोर्स कैम्प में 60 बालिकाएँ नामांकित होंगी। इस तरह कुल 180 बालिकाओं की आवासीय ब्रिज कैम्प के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा।

न्याय पंचायत स्तर पर दो माह के ब्रिज कोर्स :- जनपद में शिक्षा से वंचित बच्चों हेतु प्रत्येक न्याय पंचायतों में एक दो माह के ब्रिज कोर्स का आयोजन किया जाना है। इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से कुल 3200 बच्चे मुख्य धारा से जोड़े जाएंगे।

ई0जी0एस0 केन्द्रों की सीपना :- शेष बचे हुए 1861 बच्चों को ई0जी0एस0 केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जायेगी।

ई0 जी0 एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता -

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न माडल्स तथा नवाचार शिक्षा के अर्न्तगत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिये जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयंसेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान दिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अर्न्तगत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्तावों का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हिकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये

स्वयं सेवी संगठनों के कार्यक्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001/2002 दिनांक 15 जून 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है संदर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट मे दी गयी है राज्य स्तर पर ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा के लिये उच्चाधिकार प्राप्त समिति ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/539/2001/2002 दिनांक 07 जून 2001 द्वारा उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परिसर के अधीन गठित की जा चुकी है। राज्य स्तरीय उत्तराधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृति करने को वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण अथवा अनुदेशक के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिये जनपद में लिया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयंसेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशक के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है उनका भी सहयोग ई0जी0एस0 एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिये जनपद में लिया जायेगा। इन सभी संगठनो/संदर्भ सहायता की अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार रखी गयी है।

हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार विद्यालय न जाने वाले चिन्हित बच्चों को स्कूल में लाने हेतु कार्य योजना :-

1. घरेलू कार्य में लगे रहना :- ऐसे बच्चों को विद्यालय में जाने के लिए ब्रिज कोर्स एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का लक्ष्य है

कार्यक्रम	2003-04		2004-05		2005-06	
	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
ब्रिज कोर्स	40	1600	40	1600	40	1600
एस.सी./एस.टी. ब्रिज कोर्स	07	310	00	00	00	00
बलिकाओं हेतु आवासीय ब्रिज कोर्स	03	180	00	00	00	00

2. माई-बहनों की देखभाल :- जनपद में हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 4327 बच्चे अपने माई-बहन की देखभाल करने के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं ऐसी दशा में वे स्कूल नहीं जा पाती हैं। कुछ नामांकन कराकर कुछ दिन स्कूल जाती है लेकिन फिर शालात्याग कर जाती हैं और शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। ऐसे बच्चों को स्कूल में लाने के लिए शिशु-शिक्षा केन्द्र एवं ग्रीष्म कालीन शिविरों की मदद से स्कूल में लाय जाएगा।

कार्यक्रम	2003-04		2004-05		2005-06	
	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
शिशुशिक्षा केन्द्र	50	2000	50	2000	50	2000
ग्रीष्मकालीन शिविर	60	1800	40	1200	40	1200

3. विद्यालय दूर होने के कारण :- हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर जनपद में कुल 10460 बच्चे विद्यालय दूर होने के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। ऐसे बच्चों को इनके गाँव में ई.जी.एस. केन्द्र खोलकर शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा बाद में स्कूल भेजकर मुख्यधारा से जोड़ा जायेगा।

कार्यक्रम	2003-04		2004-05		2005-06	
	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	162	9720	162	9720	162	9720

4. विविध/अन्य कारण :- कुछ बच्चे रुढ़िवादिता, गरीबी व खराब भौगोलिक स्थितियों के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं। इन बच्चों को विद्यालय में जाने के लिए विद्या केन्द्र के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जायेगी।

कार्यक्रम	2003-04		2004-05		2005-06	
	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
विद्या केन्द्र	05	150	05	150	05	150
एस.सी./एस.टी ब्रिज कोर्स	07	310	00	00	00	00

अध्याय-8

ठहराव में वृद्धि

सुनियोजित प्रयासों के बाद हम नामांकन के लक्ष्य को हासिल तो कर लेते हैं किन्तु नामांकित बच्चों को विद्यालय में रोके रखना अथवा कम से कम प्राथमिक शिक्षा पूरी कराने में हमें अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद देवरिया में शालात्याग की इस समस्या से छुटकारा पाने के लिये पुरजोर प्रयास किये जा रहे हैं। इसके तहत 184 नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना एवं भवन निर्माण, 22 विद्यालयों का पुननिर्माण, 176 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र भवनों का निर्माण, 525 शौचालय, 14 ब्लाक संसाधन केन्द्र भवनों का निर्माण, 483 अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं का निर्माण कराया गया। जलनिगम के सहयोग से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 446 इण्डिया मार्का ॥ हैण्डपम्प लगाये गये ।

सारिणी 8.1

डी0पी0ई0 पी0 के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये भौतिक संसाधन -

क्र0 सं0	सुविधा/संसाधन	स्वीकृति लक्ष्य	पूर्ण
1.	नवीन प्राथमिक विद्यालय निर्माण	184	184
2.	जर्जर प्रा0 वि0 का पुननिर्माण	22	22
3.	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र भवन निर्माण	176	176
4.	हैण्डपम्प इण्डिया मार्का ॥	446	446
5.	ब्लाक संसाधन केन्द्र भवन निर्माण	14	14
6.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण	483	483
7.	शौचालय	525	525

श्रोत- जिला परियोजना कार्यालय

भौतिक संसाधन की आवश्यकता — जनपद को प्राथमिक शिक्षा से सतृप्त करने के

लिये विद्यालयों को भौतिक संसाधनों से सतृप्त कराना आवश्यक होगा। जब तक विद्यालयों में बालकोचित सुविधाओं के अनुकूल भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जायेगी तब तक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। इसलिये आवश्यकतानुसार समय-समय पर भौतिक संसाधनों की समीक्षा करके प्राथमिक विद्यालयों को धन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये नियमित रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के रख-रखाव हेतु रू० 5000.00 तथा रू० 2000.00 विद्यालय विकास अनुदान के रूप में दिये जायेगा। इस धन को विद्यालय की ग्राम शिक्षा निधि खाता में स्थानान्तरित करके ग्राम शिक्षा समिति के स्वीकृत प्रस्तावानुसार व्यय किया जायेगा। प्राथमिक/उ०प्रा० विद्यालयों के भौतिक परिवेशों को सुव्यवस्थित करने के लिये प्राथमिक विद्यालयों में 5 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3 कक्षा कक्ष के अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों की एक साथ कार्यशाला आयोजित करने के लिये एक हाल की व्यवस्था की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत जनपद देवरिया में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता की पूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर आवश्यकता निम्नवत् है—

सारिणी 8.2

भौतिक संसाधनों की आवश्यकता/प्रस्ताव

क्र० सं०	संसाधन	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1.	विद्यालय	00	00
2.	पुर्ननिर्माण	53	30
3.	मरम्मत	00	00
4.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	378	89
5.	हैण्डपम्प (इण्डिया मार्का)	00	31
6.	चहारदिवारी	00	00
7.	शौचालय	537	70

श्रोत— विभागीय आकड़े

विद्यालय में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता – जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय भवन के समुचित रख-रखाव हेतु प्रत्येक को प्रतिवर्ष रूपये 5000/- तथा विद्यालय विकास के लिये प्रति प्राथमिक/उच्च प्राथमिक को 2000/- रूपये प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षण अधिगम सामग्री (Teaching Learning Material) निर्माण हेतु प्रत्येक शिक्षक को रूपया 500/- प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान में भी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रखरखाव एवं विद्यालय विकास के रूप में क्रमशः रूपया 5000/- एवं रूपया 2000/- प्रतिवर्ष दिये जायेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु प्रति शिक्षक 500/- रूपया दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

विद्यालय भवन निर्माण – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर 40 प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 95 विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

पुर्ननिर्माण — जनपद देवरिया में प्राथमिक स्तर पर 450 विद्यालय भवन जर्जर हैं। 200 प्राथमिक विद्यालय का निर्माण डी0पी0ई0पी0 से करा लिया जायेगा। शेष 53 सर्व शिक्षा अभियान में कराया जाना प्रस्तावित है तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 30 जर्जर भवनों का पुर्ननिर्माण करने का लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है।

अतिरिक्त कक्षा कक्ष — जनपद देवरिया में विभिन्न सरकारी गैर सरकारी प्रयासों स्कूल चलों अभियान मध्याह्न भोजन (Mid-Day-Meal) निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, ग्रीष्म कालीन शिविर मीना कैम्पेन, माँ बेटी शिक्षक मेला VEC प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों के सफलता पूर्वक संचालनोन्त नामांकन में आशातीत सफलता मिली है। जिसके फलस्वरूप बढ़े हुये छात्र संख्या के अनुसार अतिरिक्त कक्षा कक्षा की विशेष आवश्यकता होगी जिससे ठहराव में सुनिश्चित की जायेगी।

प्राथमिक स्तर पर 378 अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 89 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत करने का लक्ष्य रखा गया है।

हैण्डपम्प — जल निगम के सहयोग से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये इण्डिया मार्का ॥ हैण्डपम्प लगाया जाना प्रस्तावित है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 31 हैण्डपम्प लगाये जायेंगे।

शौचालय — जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में 537 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 70 शौचालय का निर्माण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

वर्ष	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	योग
प्राथमिक	0	50	197	190	100	537
उच्च प्राथमिक	30	10	20	10	0	70

जर्जर/पुननिर्माण (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर)

विकास क्षेत्र का नाम	प्राथमिक	निर्माण का वर्ष	उच्च प्राथमिक	निर्माण का वर्ष
1. देवरिया सदर	3	1971 के पूर्व	02	1970 के पूर्व
2. भलुअनी	3	-	0	-
3. बरहज	4	-	02	-
4. रुद्रपुर	3	-	02	-
5. गौरीबाजार	4	-	04	-
6. बैतालपुर	3	-	02	-
7. देसही	6	-	0	-
देवरिया		-	0	-
8. तरकुलवा	2	-	02	-
9. पथरदेवा	3	-	0	-
10. रामपुर	2	-	02	-
कारखाना		-	02	-
11. मटनी	4	-	0	-
12. भाटपार	3	-	04	-
13. बनकटा	2	-	04	-
14. लार	3	-	04	-
15. सलेमपुर	2	-		-
16. भागलपुर	3			-
	3			
योग	53		30	

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गाववार विस्तृत आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। आंकड़े प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एव जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता

प्राथमिक शिक्षा में अपेक्षित सुधार का न हो या पाना या इसमें निरन्तर हास का एवं महत्वपूर्ण कारण है छात्रों के नामांकन में उत्तरोत्तर वृद्धि के अनुपात में अध्यापकों का न होना है। प्रति 40 छात्र के सापेक्ष एक अध्यापक का होना एवं एक प्राथमिक विद्यालय में कम से एक प्रधान अध्यापक एवं एक सहायक अध्यापक/शिक्षा मित्र होना आवश्यक है।

इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये कदम (शिक्षा मित्रों की नियुक्ति, विशेष अभियान के द्वारा विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षणोपरान्त सहायक अध्यापकों की नियुक्ति) काफी सफल है। जनपद देवरिया में 403 शिक्षा मित्र एवं 395 विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित स०अ० की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में जनपद में परीशदीय प्रा० वि० में 277051 छात्रों के अनुसार कुल 6926 अध्यापकों की आवश्यकता होगी।

यह छात्र संख्या 6-11 वय वर्ग की सितम्बर 2001 की है। जिसमें 201355 बालक, 190545 बालिकाये है। इसमें परिशदीय प्रा० वि० में कुल 277051 छात्र नामांकित है। जिसमें 141781 बालक तथा 135270 बालिकाये है। इस प्रकार 277051 परिषदीय छात्रों पर 2001 से 2007 तक की छात्र संख्या क्रमशः 5.0 प्रतिशत, 5.90 प्रतिशत, 2.00 प्रतिशत एवं बाद के वर्षों में 2.00 प्रतिशत वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के अनुमान से प्रक्षेपित की गयी है। इसके अनुसार अध्यापकों की आवश्यकता निम्न प्रकार दर्शायी गयी है—

सारिणी 8.3

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति तथा आगामी वर्षों में आवश्यकता

वर्ष	कुल नामांकित छात्र	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षामित्र	योग	40 : 1 के दर से शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	आवश्यक शिक्षामित्र	शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	शिक्षामित्र
03-04	277051	4703	1053	5756	6926	1170	585			
04-05	278657	5288	1638	6926	6966	40	20			695
05-06	284280	5308	1658	6966	7107	141	70			71
06-07	289965	5378	1729	7107	7249	142	71			71

सारणी -8.4

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में आवश्यकता

वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालयों की सं०	नवीन विद्यालय	1:5 की दर से शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यकता शिक्षक
01-02	209	0	1045	1264	0
02-03	240	31	1200	1264	0
03-04	304	64	1520	1264	256
04-05	304	0	1520	1264	0
05-06	304	0	1520	1264	0
06-07	304	0	1520	1264	0

विद्यालय विकास अनुदान

<u>प्राथमिक</u>	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
परिषदीय	0	1522	1562	1562	1562
सहायता प्राप्त	0	0	0	0	0
योग	0	1522	1562	1562	1562
<u>उच्च प्राथमिक</u>					
परिषदीय	209	240	304	304	304
सहायता प्राप्त	20	23	23	23	23
योग	229	263	327	327	327

शिक्षक अनुदान

<u>प्राथमिक</u>	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
परिषदीय	0	4080	6966	7107	7249
सहायता प्राप्त	0	0	0	0	0
योग	0	4080	6966	7107	7249
<u>उच्च प्राथमिक</u>					
परिषदीय	798	1264	1264	1264	1264
सहायता प्राप्त	0	69	69	69	69
योग	798	1333	1333	1333	1333

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वर्षवार वितरण

अनुसूचित जाति के बालक एवं सभी वर्ग की बालिकाओं हेतु

वर्ष	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
	परिषदीय	सहा. प्राप्त	योग	परिषदीय	सहा. प्राप्त	योग
2002-03	175722	0	175722	0	0	0
2003-04	191971	0	191971	30080	3452	33532
2004-05	204331	0	204331	31510	3567	35077
2005-06	220430	0	220430	33670	3682	37352
2006-07	230210	0	230210	35280	3818	39098

बालिका शिक्षा के अन्तर्गत चलाये जा रहे तमाम कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा करने से हम यह पाते हैं कि इन तमाम-कार्यक्रमों का उद्देश्य कम्बोवेश बालिका शिक्षा की दर को बढ़ाना है क्योंकि यह सर्वविदित है कि जब एक बालिका शिक्षित होती है तो न सिर्फ उसका परिवार एवं समाज शिक्षित होता है बल्कि पूरे राष्ट्र का उन्नति एवं विकास होता है। इस तथ्य की महत्ता को समझते हुये हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की धारा 45 में यह व्यवस्था की गयी कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। विगत कई पंचवर्षीय योजनाओं, 1986 में नई शिक्षा नीति एवं अनेकों वित्त आयोगों को गठित करके बालक/बालिका की शिक्षा की समानता पर विशेष बल दिया गया है किन्तु अभी तक हम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। वर्तमान में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में बालिका शिक्षा पर काफी बल दिया जा रहा है।

बालिका शिक्षा के अवरोधक तत्व — अनवरत प्रयासों के बावजूद अब तक के महिला साक्षरता दर के कम स्तर से यह स्पष्ट होता है कि कुछ जटिल कारक हैं जो बालिका शिक्षा को अवरोधित करते हैं। इन कारकों में जहाँ प्रमुख संरचनात्मक कारको जैसे— शिक्षा के विस्तार में पहुँच की कमी (बस्तियों में विद्यालयों की कमी) पुरुष शिक्षकों का व्यवहार, महिला शिक्षकों की कमी, सामाजिक सोच, गरीबी एवं प्रचलित सामाजिक मान्यताएँ एवं अन्धविश्वास इन सबके कारण तमाम मेधावी बालिकाएँ अपनी प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी किये बगैर ही शालात्याग कर जाती हैं और एक पुरुष अनुगामी जीवन जीने के लिये बाध्य होकर रह जाती हैं। इन कारकों को और अधिक खोजने के उद्देश्य से जनपद देवरिया के पथरदेवा विकास खण्ड में ग्राम पंचायत तरकुलवा में अल्प संख्यक वर्ग की महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ दिनांक 12.10.2001 को फोकस ग्रुप डिस्कशन किया गया जिसमें बालिका शिक्षा से जुड़े कुछ व्यवहारिक कारक सामने उभर कर आये। वहाँ की महिलाओं ने कहा कि विद्यालय पहुँच से

दूर है। क्योंकि मदारीपट्टी मजरा जहाँ पर F.G.D की गयी। विद्यालय रहित था दूर गाँव के विद्यालयों में बालिका को भेजने से अभिभावक कतराते थे। क्योंकि उनके मन में बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर डर बना रहता था। एक और जो अहम कारक समाने आया वह है कि मौसम विशेष में जैसे फसल, कटाई के समय विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को विद्यालय नहीं जाने दिया जाता है। ऐसे ही कई अनेक समस्याओं (कारकों) का विश्लेषण इस प्रक्रिया के अर्न्तगत किया गया। जनपद मे मुसहर जाति की बस्तियाँ आज भी प्रायः प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा से वंचित है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कई ऐसे प्रयास किये जायेंगे जिनसे इन सभी कारकों पर काबू पाया जा सके। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है।

1. समाज में जन जागरूकता क्रिया कलापों के द्वारा लिंग संवेदीकरण (जेण्डर सेन्सिटाइजेशन) जिसमें लिंग भेद को समाप्त किया जा सके।
2. ऐसी सहायक सामग्रीयों को विकसित किया जा सके जिसमें बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला जा सके।
3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित कर आयोजित सहयोग प्राप्त करने के लिये कार्यक्रम का आयोजित किया जायेगा।
4. वैकल्पिक शिक्षा/ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना
5. ऐसे प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया जायेगा जिससे शिक्षकों को कक्षा में जेण्डर भेदभाव आधारित क्रिया कलापों को रोकने हेतु प्रशिक्षित किया जा सके।

बालिका शिक्षा के लिये विशेष कार्यक्रमों का आयोजन –

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत बालिकाओं की शिक्षा के लिये समुदाय के साथ मिलकर काम करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

बालिका शिक्षा के लिये विशेष कार्यक्रमों का आयोजन -

1. - - ग्राम शिक्षा समिति (वी0ई0सी0)- के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिये बैठकों/सेमिनार का आयोजन करना जिनमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जायेगा।

(क) VEC/MTA/PTA को सक्रिय करना।

(ख) महिला प्रेरक समूहों, महिला मंगल दलों आदि महिला संगठनों से सम्मनवय स्थापित करना।

(ग) बालिकाओं के नामांकन ठहराव एवं विद्यालय प्रबंधन में VEC/MTA/PTA से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना।

(घ) बालिका शिक्षा के लिंग संवेदीकरण पर बल देना।

मीना कैम्पेन आयोजित करना -

यूनीसेफ द्वारा तैयार की गयी फिल्म की वीडियो कैंसेट का विशेष अवसरों पर प्रदर्शन किया जायेगा जिससे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा रहा है। लक्ष्य समूह एवं जनसमुदाय को प्रेरित करने वाली यह फिल्म एक मीना नामक लड़की की शिक्षा प्राप्त करने वाली एक समस्याओं का, एक तोता - मिट्ठू के सहयोग से किस प्रकार सामना करती है, का संघर्षपूर्ण एवं हास्यप्रद कार्टून फिल्म है जो विशेषकर बालिकाओं एवं बच्चों पर विशेष प्रभाव डालने में सफल है।

माँ-बेटी शिक्षक मेले का आयोजन - कहा जाता है कि माँ ही बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है। यदि माँ पढ़ी लिखी है तो पूरा परिवार साक्षर हो सकता है। इसी को केन्द्र मानकर जनपद में माँ-बेटी शिक्षक मेलों का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला न्याय पंचायत स्तरीय एक दिवसीय है। इसमें न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के अन्दर आने वाली सभी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होती है।

बच्चों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता, खेल-कूद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सामूहिक चर्चा-परिचर्चा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

माताओं शिक्षकों द्वारा लोकगीत/सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

इस मेले के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं -

- बालक-बालिका में लिंग भेद को समाप्त करने के लिये जन जागरूकता।
- बालिका शिक्षा पर विशेष बल देना।
- शिक्षकों-अभिभावकों के बीच बेहतर तालमेल का वातावरण बनाना।
- सामुदायिक सहभागिता के द्वारा बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि लाना जिससे शत-प्रतिशत नामांकन करना एवं शाला त्याग रहित गाँव बनाया जाना।
- बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली अनुभव जन्य समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट कर उनके निवारण पर बल देने के लिये प्रेरित करना।
- जन समुदाय खासकर माताओं-अभिभावकों को शिक्षा की महत्ता के बारे में जानकारी देना।

वी०ई०सी० मेला - डी०पी०ई०पी० के प्रथम चरण में माडल क्लस्टर डवलपमेंट एग्रोच (एम०सी०डी०ए०) के तहत ग्राम शिक्षा समितियों का एक दिवसीय न्याय पंचायत मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सम्बन्धित माडल क्लस्टर के अर्न्तगत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। इस मेले में ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारियों से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया जाये पर गहन चर्चा होती है। इस मेले की कुछ प्रमुख विशेषतायें निम्नवत् हैं-

- प्राथमिक शिक्षा एवं ग्राम शिक्षा समिति का क्रियात्मक अर्न्तसम्बन्ध कैसे स्थापित किया जाय।

— ग्रामीण समुदाय/वीईसी सदस्यों में प्राथमिक विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना का विकास किस प्रकार हो।

— प्राथमिक विद्यालय एवं समुदाय का जुड़ाव कैसे किया जा सकता है।

— वीईसी के उत्तरदायित्व का चर्चा करना।

— अपवंचित बच्चों पर विशेष ध्यान देना।

— हमारे समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता एवं लिंग विभेदीकरण समाप्त करने के लिये यह एक अत्यन्त कारगर प्रक्रिया हो सकती है।

ग्राम शिक्षा समिति (V.E.C) की कार्यशाला — अब तक सरकारी/गैर सरकारी कार्यक्रमों गतिविधियों को आयोजन का अपेक्षित लाभ न मिल पाना एक अहम मुद्दा है क्योंकि जिसके लिये कार्यक्रम बनाये जाते हैं। जब तक उनको जागरूक कर अपने कार्यक्रम से जोड़ा नहीं जा जायेगा तक तब यूँ ही परिणाम आते रहेंगे। प्राथमिक शिक्षा में अपेक्षित सुधार लाने हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति कार्यशाला का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया गया। जन समुदाय में विद्यालय के प्रति लगाव/जुड़ाव लाने में यह एक कारगर माध्यम है। जिससे समाज में व्याप्त बालक बालिका में भेद की सामाजिक सोच को परिवर्तित करने में सहयोग मिलता है।

समानता के लिये शिक्षा — महिला प्रेरक समूह (Womens motivator Group), महिला मंगल दल द्वारा विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिये विशेष शिक्षा (ईसीसीई), एएस, एआई) को समृद्धि किया जायेगा। इसके तहत 6-11, 9-14 वय वर्ग की बालिकाओं एवं बालकों के लिये किशोरी/किशोर केन्द्रो/महिला शिक्षण केन्द्रो की स्थापना किया जाना है। इस हेतु दृष्टिकोण निम्नवत् है —

1. बालिकाओं की शैक्षिक वरियताओं का समादर किया जाना।
2. शैक्षिक, सामाजिक दृष्टिकोण से लिंगभेद को समाप्त किया जाना।

3. बालिका शिक्षा के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाना।
4. महिलाओं की सहभागिता को पुर्नवलित किया जाना।
5. व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आदर एवं सोच विचार/समझ के लिये उपर्युक्त वातावरण का निर्माण किया जाना।

समेकित शिक्षा

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तबतक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जा सकता है। बच्चों की विकलांगता जहां बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है।

सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Policy of Education) का गठन किया गया जिसमें कि विकलांगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नीति बनी, विकलांग बच्चों को जहां तक सम्भव हो सके सामान्य बच्चों के समूह में शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि विकलांग बच्चों सामान्य बच्चों के साथ जल्दी सीखते हैं। इस प्रकार ऐसे बच्चों को भी समाज का अंग माना जाने लगेगा और समाज की मुख्य धारा से जुड़ जायेंगे क्योंकि समाज की मुख्य धारा से कटना ही सबसे बड़ी विकलांगता है।

सन् 1995 में Person with Disability Act (P.W.D./P.D.Act) का गठन हुआ जो अपने आप में बहुचर्चित Act है। इस Act के द्वारा विकलांगों को उन सभी सुविधाओं को देने की बात कही गयी है जो सुविधाएं एक सामान्य व्यक्ति को दी जाती हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया है—

विकलांगता/अक्षमता के प्रकार :-

विकलांगता/अक्षमता मुख्य रूप से निम्नप्रकार की होती है—

1. शारीरिक विकलांगता
2. दृष्टि
3. श्रवण एवं वाणी
4. मंद मानसिक
5. अधिगम अक्षम

विकलांगता/अक्षमता का कारण :-

जहाँ तक विकलांगता के कारण का प्रश्न है, यह तीन प्रकार की होती है—

1. जन्म से पहले — गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री द्वारा धूमपान करना, अनावश्यक दवाइयों का सेवन एवं पेट में किसी प्रकार का चोट लगना आदि विकलांगता का कारण हो सकता है।
2. जन्म के समय — अप्रशिक्षित दाई द्वारा प्रसव कराना, साफ सफाई का ध्यान न देना आदि।
3. जन्म के बाद — बच्चे के जन्म के बाद तेज मस्तिष्क ज्वर, टीकाकरण का समय पर न होना आदि।

जनपद देवरिया में सन् 1999-2000 में Micro Planing (सूक्ष्म नियोजन) का कार्य हुआ था। जिसका Updation (अद्यतन) माह जून-2001 में किया गया। वर्ष 2003 में जनपद में हाऊस होल्ड सर्वे किया गया था जिसके अनुसार विकलांग बच्चों की स्थिति निम्न प्रकार है—

विकलांगता	बालक	बालिका	योग
दृष्टि विकलांगता	288	224	512
श्रवण विकलांगता	466	276	742
मानसिक मन्दता	266	186	452
अधिगम अक्षमता	191	211	402
शारीरिक अक्षमता	1318	752	2070
अन्य	98	74	172
योग	2627	1723	4350

अक्षमता के प्रकार – विकलांगता के कारण बच्चों में आत्मनिर्भरता की कमी, समाज में उपेक्षित आदि बातों का बच्चों के मानसिक विकास पर असर पड़ता है।

अक्षम बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ हैं। बहुत से शिक्षक, बुद्धजीवियों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। जबकि वास्तविकता यह है कि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिये विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। केवल गंभीर विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता होती है।

संवेदीकरण – संवेदीकरण का सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है। समुदाय के संवेदीकरण एवं परिवार के संवेदीकरण एवं मार्गदर्शन हेतु शिक्षकों को जागरूक (Sensitise) करना अति आवश्यक है। शिक्षकों एवं ग्राम शिक्षा समिति (VEC) के माध्यम से तथा महिला मंगल दल, युवक मंगल दल एवं आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के माध्यम से समुदाय में जागरूकता लायी जा सकती है। अध्यापक एवं आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री प्रत्येक परिवार से काफी जुड़े रहते हैं। इसलिये समुदाय के लोग इनकी बात आसानी से स्वीकार कर लेते हैं।

इसके अतिरिक्त पोस्टर, फोल्डर्स इत्यादि के द्वारा समाज को जागरूक बनाया जा सकता है।

इस प्रकार यदि परिवार एवं समाज इन बच्चों की शिक्षा के प्रति ध्यान दें, तो विकलांग बच्चों भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। प्रायः देखा जाता है कि अक्षम बच्चों के लिये सहानुभूति तो सभी दिखाते हैं जबकि इन्हें सहानुभूति की नहीं बल्कि सहायता की आवश्यकता है, जरूरत है उनकी क्षमताओं को विकसित करने की।

उपकरण एवं उपस्कर — अक्षम बच्चों की विकलांगता, उपकरण की आवश्यकता ज्ञात करने के लिये डाक्टरों की टीम जिसमें एक आर्थोपैडिक सर्जन, एक ई0एन0टी0 सर्जन एवं एक नेत्र सर्जन होते हैं। जिनके द्वारा मेडिकल असेसमेंट कराया जाता है; फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होती है। जिससे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों भी मुख्य धारा से जुड़ सकें।

जनपद देवरिया में डी0पी0ई0पी0 के अर्न्तगत दो विकास खण्ड भलुअनी एवं देसही देवरिया को चुना गया है जिसमें से भलुअनी विकास खण्ड में मेडिकल असेसमेंट कैम्प हो चुका है। जिसमें कुल 434 बच्चों आये और जिसमें से 89 बच्चों स्कूल से बाहर के थे। जो कि उपकरण के अभाव में विद्यालय नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस प्रकार असेसमेंट कैम्प के उपरान्त यह पाया गया कि कुल बच्चों को उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता है। दिनांक 14 अगस्त 2003 को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में उपकरण वितरण शिविर आयोजित कर निम्न विवरण के अनुसार बच्चों को लाभान्वित किया गया।

उपकरण वितरण शिविर

क्रम संख्या	उपकरण का नाम	वितरित संख्या
1.	ट्राई साइकिल	63
	ब्लाइन्ड स्टिक	02
	हियरिंग एड	08
	वाकिंग स्टिक	07
	बैशाखी	24
	व्हील चेयर	09
	योग	113

समेकित शिक्षा को सफल बनाने वाले कारक — समेकित शिक्षा विशेष वर्ग की शिक्षा के लिये लायी गयी है, और यह तभी सफल होगी जबकि विशेष वर्ग इससे लाभान्वित हो सकें। इसके लिये सर्वप्रथम ब्लाक वार विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करायी जायेगी। उसके बाद बच्चों का मेडिकल असेसमेंट कराना और आवश्यक उपकरण एवं उपस्कर उपलब्ध कराना जिससे वे बच्चों भी विद्यालय में आ सकें। जो उपकरण व उपस्कर के अभाव में विद्यालय नहीं आ पाते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाना, जिससे वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता को समझ सकें जिससे विकलांग बच्चोंको भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा मिल सके।

प्रस्तावित कार्यक्रम — समेकित शिक्षा को सफल बनाने के हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित है।

मेडिकल असेसमेंट कैंप — जनपद में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मेडिकल असेसमेंट कैंप कराया जायेगा जिसमें डाक्टर के यात्रा भत्ता एवं परिवहन की व्यवस्था की जानी

होगी। यह कैम्प NPRC स्तर पर दो-दो तीन-तीन NPRC को मिलाकर प्रत्येक विकास खण्ड में कराया जायेगा।

मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण— जनपद में समस्त अध्यापकों को सवेदनशील करने के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। जिसके लिये प्रति विकास खण्ड पाँच-पाँच मास्टर ट्रेनर को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा इसके लिये इन्हे मानदेय भी देय होगा।

अध्यापकों का प्रशिक्षण — चार विकास खण्डों में शिक्षामित्रों को मिलाकर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिशिक्षित अध्यापकों की सं० 1032 है। शेष विकास खण्ड के अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। इस प्रशिक्षण में कक्षा प्रबन्धन के विषय में विस्तृत जानकारी दी जायेगी। तथा विभिन्न अक्षमता ग्रस्त बच्चों का प्रशिक्षण के अन्तर्गत ही रोल प्ले कराया जायेगा। जिससे विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दिया जा सके।

स्वास्थ्य परीक्षण — “स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है।” अस्तु जनपद में विद्यालय के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट लिखने हेतु प्रत्येक विद्यालय में एक रजिस्टर रखा जायेगा। इन रजिस्टर्स में लाल रंग का रजिस्टर गम्भीर रोगों के लिये पीला रजिस्टर, कम गम्भीर एवं हरा साधारण रोगों के लिये होगा।

पाठ्य पुस्तक का विकास — शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षक हस्त पुस्तिका तथा पाँच विकलांगताओं — दृष्टि, श्रवण, अधिगम, अस्थि, एवं मानसिक विकलांगता, पर फोल्डर्स का मुद्रण कराया जायेगा। तथा जन समुदाय को सवेदनशील बनाने के लिये “ आप क्या कर सकते हैं।” फोल्डर्स विकसित किया गया है।

फोल्डर्स के प्रकार —

अधिगम अक्षम — इस प्रकार के बच्चों की पहचान एवं उनके लिये प्रस्तावित कार्यनीति, शिक्षक की भूमिका आदि के बारे में जानकारी दी जायेगी।

मानसिक मन्दता – इसके अन्तर्गत मानसिक पिछड़ेपन के कारण पहचान एवं पाठ्यक्रम में किस प्रकार का अनूकूलन किया जा सकता है बताया जायेगा।

श्रवण एवं वाणी – इसमें ऐसे बच्चों की पहचान एवं कक्षा प्रवन्धन के बारे में चर्चा की जायेगी।

दृष्टि अक्षम – दृष्टि अक्षम बच्चों को मौखिक निर्देश तथा सामान्य बच्चों को पढ़ने पाठन में सहयोग देने के लिये जानकारी दी जायेगी।

शारीरिक अक्षम – शारीरिक अक्षम बच्चों की आवश्यकता एवं उनके अनुरूप कक्षा के प्रबंधन के बारे में बताया जायेगा।

रिसोर्स केन्द्र की स्थापना – जनपद में बी० आर० सी० को रिसोर्स केन्द्र के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तथा कुछ विशेष प्रकार की शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

जैसे – ब्रेल, स्टाइलिस, एबाकस, टेलरफ्रेम तथा मुलायम खिलौना इत्यादि।

विद्यालय में रैम्प का निर्माण – प्रत्येक विद्यालय में एक रैम्प होना चाहिये जिससे विशिष्ट बच्चों को सीढ़ी इत्यादि से कठिनाई न हो और शारीरिक अक्षम बच्चों की व्हील चेयर एवं ट्राइसाइकिल इत्यादि उनके कक्षाकक्ष तक जा सकें।

शिक्षण अधिगम सामग्री – विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का TLM सामान्य बच्चों से कुछ हटकर होगा जिसके लिये विद्यालयवार अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। टी०एल०एम० के आवश्यकता का आकलन करके बी०आर०सी० एवं एम०पी०आर०सी० स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

उपकरण एवं उपस्कर की उपलब्धता – निशुल्क उपकरण एवं उपस्कर हेतु निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जा सकता है।

1. जन विकलांग संस्थान, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, राजपुर रोड, देहरादून।

3. एलिम्को, जी०टी०रोड, कानपुर ।
4. मंगलम ए 445 इन्दिरा नगर, लखनऊ ।
5. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेंट सेन्टर ।
6. विकलांग केन्द्र, 13, लुकरगंज, इलाहाबाद ।

आई०ई०पी० का निर्माण — I.E.P. (Individual Educational Programme] प्रत्येक विशिष्ट बच्चों के वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम (IEP) रिसोर्स टीचर, मास्टर ट्रेनर, द्वारा कराया जायेगा। जिसका मूल्यांकन प्रति तिमाही सामान्य बच्चों के साथ कराया जाएगा और आवश्यकतानुसार उसमें सुधार भी कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्हे परीक्षाओं में अतिरिक्त समय दिया जाना भी उपयुक्त होगा।

समेकित खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम — विशिष्ट बच्चों एवं सामान्य बच्चों को मिलाकर एक समेकित खेलकूद का कार्यक्रम (Intregrated Sport Meet) कराया जा सकता है। जो कि एन०पी०आर०सी० स्तर, बी.आर०सी० स्तर, फिर जिला स्तर पर हो सकता है।

इस खेलकूद प्रतियोगिता में सामान्य बच्चों के साथ-साथ विकलांग बच्चों भाग लेंगे तथा NPRC स्तर पर जीते हुये बच्चों को इनाम देकर प्रोत्साहित करना तथा अध्यापकों की मदद से उन्हें BRC स्तर के लिये तैयार करना और इस प्रकार जिला स्तर पर एक (Intregrated Sport Team) का निर्माण किया जा सकता है।

खेलकूद से सम्बन्धित कुछ प्रतियोगिताये निम्नलिखित है —

1. कुर्सी दौड़ सामान्य एवं एक विशिष्ट बालक
2. केला दौड़ " "
3. जलेबी दौड़ " "

इस प्रकार Wheel Chair Race Caliper Race इत्यादि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता करायी जा सकती है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम — अक्षम बच्चों में कुछ क्षमतायें होती हैं। और उनकी इन्ही क्षमताओं को उभारना है। इस प्रकार जैसे कुछ बच्चों गाना अच्छा गाते हैं। तो कुछ बाँसुरी एवं हारमोनियम अच्छा बजाते हैं। इनकी इन्ही क्षमताओं को उभार कर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता के माध्यम से जन समुदाय के सामने लाने का प्रयास किया जायेगा। सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अन्तर्गत आयोजित होने वाली कुछ प्रतियोगितायें निम्नलिखित हैं—

गायन।

तबला वादन।

बासुरी वादन।

ढोलक वादन इत्यादि।

इसके अतिरिक्त विशेष अवसरों पर जैसे गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गाँधी जयन्ती तथा दीक्षांत समारोहों के आयोजन में इन बच्चों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

ब्रीज कोर्स — अक्षम बच्चों के 6-18 वय वर्ग हेतु एक ब्रिज कोर्स कैम्प लगाया जायेगा। जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े एवं अधिक गंभीर विकलांग बच्चों को रखा जायेगा। एक कैम्प में कम से कम 30 बच्चों को रखा जायेगा जिसमें उनके खाने पीने की व्यवस्था रहेगी और यह कैम्प तीन माह का होगा। जिसमें ऐसे बच्चों को कुछ ऐसी गतिविधियाँ सिखायी जायेगी जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

तथा विद्यालय में जाने योग्य बच्चों विद्यालय में जा सकें।

इस प्रकार की कुछ गतिविधियाँ निम्न हैं—

मोमबत्ती बनाना।

रस्सी बनाना।

पत्तल बनाना।

लिफाफा बनाना।

बढ़ई का कार्य सिखाना इत्यादि।

स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी — समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिये, शिक्षकों के कौशल विकसित करने, स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सकीय आकलन तथा उपकरण वितरण आदि में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है।

स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी हेतु जनपद के अनुभवी एवं ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जा सकते हैं। संगठनों के चयन हेतु, निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है जिसके अर्न्तगत इन संगठनों का डेस्क टाप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल करने के पश्चात् चुनाव किया जाता है।

स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी हेतु पात्रता — विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी ली जा सकती है। जो निम्न पात्रतायें रखती है।

- संस्था सोसाइटी ऐक्ट के अर्न्तगत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो।
- संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 5 के अर्न्तगत पर्जीकृत हो।
- संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता हो।
- विकलांगता के क्षेत्र में काम करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

अनुमानित बजट

सर्वेक्षण	—		
चिकित्सा आकलन	—	13 x 5000	= 65000
ट्रेनिंग			
मास्टर ट्रेनर 10 दिन	—	5 x 13 x 2575	= 167375
फाउण्डेशन कोर्स	—	30 x 174240	= 209088
प्राइमरी स्कूल टीचर			
प्रशिक्षण	—	17200 x 302637	= 1410400
प्रिंटिंग मैटेरियल	—	13 x 8000	= 104000
अन्य व्यय	—	13 x 10000	= 130000
स्पेशल कैम्प 3 दिन	—	15 x 5000	= 75000
व्यवसायिक प्रशिक्षण	—	15 x 5000	= 75000
अभिभावक परामर्श कैम्प	—	15 x 5000	= 75000
उपकरण एवं उपस्कर			= 10000
वितरण शिविर संसाधन			
(तहसीलवार विकास खण्ड)–		5 x 30000	= 150000
		योग	= 2470863

बालिकाओं के विद्यालयों ठहराव हेतु रणनीति –

वर्ष 2003 में किये गये हाऊस होल्ड सर्वे के अनुसार 6-11 वय वर्ग के स्कूल के बाहर बालक/बालिकाओं की संख्या 28719 थी। माह जुलाई 2003 में चलाये गये स्कूल चलो अभियान पूर्व में कराये गये मीना कैम्पेन, ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण, कार्यशाला बैठकों आदि

में आयोजन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जिससे सितम्बर 2003 में वह संख्या घटाकर 5545¹ रह गई है।

अब समस्या होगी इनको स्कूल में रोके रखना अथवा ठहराव की जिसके लिये सब शिक्षा अभियान निम्न प्रयास किये गये।

1. समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण – माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ –

प्राथमिक विद्यालय से सेवित गाँव की पन्द्रह बीस सक्रिय माताओं तथा सभी शिक्षकों के समूह का गठन विद्यालय स्तर पर करके उनको प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके जरिये उन्हें बालिका शिक्षा हेतु उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति सवेदनशील बनाया जायेगा। माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगी इनका यह भी दायित्व होगा कि मौसम विशेष से शालात्याग करने वाले बच्चों के प्रति सवेदनशील हो जिससे वे काम काजी बच्चों तथा कृषि कार्य में लगे बच्चों नियमित रूप से विद्यालय जाते रहे।

महिला प्रेरक दल (W.M.G) – विद्यालय विहीन बस्तियों में बालिकाओं की एक अहम समस्या होती है विद्यालय का दूर होना। ग्रामीण परिवेश में असुरक्षा की भावना से वे अपनी बस्ती से दूर दूसरे गाँव के विद्यालय में पढ़ने या तो खुद जाना नहीं चाहती या उनके अभिभावक नहीं जाने देते हैं। ऐसे गाँवों में बालिकाओं के नामांकन, ठहराव व नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल का गठन कर 15-20 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा इन समूहों/दलों की यह जिम्मेदारी होगी कि स्थानीयस्तर पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गति विधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर सार्थक परिणामों को हासिल करें। बालिकाओं की शिक्षा प्राप्ति की ग्राम स्तर की शिक्षाओं विशेषकर सामाजिक सोच को भी परिवर्तित कर अपनी भूमिका का निर्वाह यह दल करेगी।

ठहराव परिक्रमा एवं तारांकन — कई बार ऐसा होता है कि पारम्परिक तौर तरीके से पठन-पाठन में शैक्षणिक परिवेश में उदासीनता सी लगने लगते हैं। छात्रों की उपस्थिति पंजिका में मात्र उनकी उपस्थिति /अनुपस्थिति दर्ज कर लेना ही अध्यापक अपनी पूरी भूमिका समझते हैं। इसी तथ्य को केन्द्रबिन्दु मानकर मासिक ठहराव (रैली) का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। छात्र उपस्थिति पंजिका के प्रत्येक माह के अंतिम तिथि के बाद वाले कालम में छात्रों की उपस्थिति पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा।

- 15 दिन या इससे उपर उपस्थिति होने पर — हरा निशान
- 7 से 14 उपस्थिति होने पर — पीला निशान
- 6 दिन या उससे कम उपस्थिति पर — लाल निशान

इस तारांकन को MTA/PTA की बैठक में दर्शाया जायेगा। लाल निशान एवं पीला निशान एवं हरे निशान का अर्थ (अपने अर्थ में) बताया जायेगा। जिन बच्चों को लाल निशान मिलेंगे उनके अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा कि वे अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें। इन रंगों के निशानों को सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में प्रचारित प्रसारित किया जायेगा। जिस प्रकार लाल निशान का अर्थ सामान्य रूप से खतरे से लिया जाता है ठीक यहाँ भी उसका अर्थ हमारे लिये ऐसे बच्चों होंगे इन निशानों को गाँव के प्रत्येक घर पर लगाया जायेगा। जिससे यह पता चल जायें कि अमुक घर के बच्चे स्कूल जाने की किस श्रेणी में आते हैं।

ग्रीष्मकालीन शिविर — डी0पी0ई0पी के अन्तर्गत शालात्यागी बालिकाओं/अनुसूचित जाति के बालकों/या कमी स्कूल न जाने वाले 9-14 आयु वर्ग के बच्चों को पुनः मुख्य धारा में जोड़ने के लिये अभिनव प्रयास वर्ष 2000-01 एवं 2001-2002 में किये गये ऐसे 30-40 बच्चों की उपलब्धता की स्थिति में एक ब्लॉक में 10 शिविर का लक्ष्य था। कुल 150 शिविर वर्ष 2000-01 में तथा 130 शिविर 2001-02 में आयोजित किये गये।

शालात्यागी बालिकाओं के आगणन के लिये पिछले 5 शिक्षा सत्रों की छात्र उपस्थिति पंजिकाओं विश्लेषण कर वरीयता क्रम में अधिकतम शालात्याग वाले ग्रामों में शिविर लगाये गये इसमें प्रतिभागी बच्चों तथा प्राथमिक विद्यालय में नामांकन कर नियमित शिक्षा देने का प्रयास चल रहा है। इसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी आवश्यकतानुसार किया जायेगा। इसका वर्षवार विवरण निम्नवत् हैं—

वर्ष	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
शिविरों की सं०	150	150	60	40	40

स्कूल चलो अभियान — प्रदेश सरकार के आवाहन पर डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत विगत 2 वर्षों से स्कूल चलो अभियान सत्रारम्भ में ही चलाये गये है। जिसको सफलता कार्यक्रम की संज्ञा देना अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें मुख्यतः दो चरण होते हैं। प्रथम स्कूल से बाहर बच्चों का चिन्हांकन एवं द्वितीय उनका नामांकन किया जायेगा। इसमें अध्यापकों, ग्राम शिक्षा समितियों, स्वयंसेवी संगठनों छात्रों, जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय/गैर विभागीय अधिकारियों द्वारा जन जागरूकता का अभियान चला कर नामांकन कराया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान में भी प्रतिवर्ष भी स्कूल चलो अभियान प्रस्तावित है।

ब्रिजकोर्स एवं ए०आई०ई० कार्यक्रम — विशेष अपवंचित समूह (Special Focus Group) के बच्चों को विद्यालय में अभी तक न ला पाना सरकारी महकमें के लिये टेढ़ी खीर ही साबित हुआ है। थोड़े समय के लिये तो प्रभाव रहता है। किन्तु लम्बी अवधि के लिये नामुमकिन हो जाता है।

जनपद देवरिया में सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत यह व्यवस्था की जायेगी कि ऐसी बस्तियों/मजरा/पूरवों में जहाँ विशेष वर्ग (मुसहर, नोनिया, तुरहा) बच्चों कम से कम पचास 6-11 वय वर्ग के होंगे। उनमें चार से अठारह माह का आवासीय शिविर (ब्रिज कोर्स) लगाया

जायेगा शिविर के पश्चात उन्हें औपचारिक विद्यालयों में लाया जायेगा। पाँच ब्रिजकोर 2002-03 में 1 तथा 2003-04 में 4 संचालित करने का लक्ष्य है।

कला जत्था – समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था ही प्रभावी माध्यम है। इसके लिये स्थानीय नाट्य/संगीत कलाकारों को प्रशिक्षण देकर विशेष फोकस समूह वाले ग्रामों में उनकी प्रस्तुतियाँ आयोजित की जायेगी। इसका मुख्य उद्देश्य होगा जन समुदाय को 'बेटी हो स्कूल में' का संदेश देना।

बाल शाला / ई0जी0एस (विद्या केन्द्र) – कामकाजी/श्रमिक वर्गों के परिवारों के बड़े बच्चों पर उनके छोटे भाई बहनो की देखभाल की जिम्मेदारी होती है। जिससे वह मौसम विशेष के दिनों में विद्यालय नहीं जाते हैं। और एक बार यदि विद्यालय अनियमित हो जाता है तो बच्चों/अभिभावक दोनों उदासीन हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चों का शालात्याग हो जाता है ऐसी स्थिति में प्रभावित होने वाले ग्राम विशेष में 3-6 वय वर्ग के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के लिये पाँच बालशाला केन्द्रों का संचालन डी0पी0ई0पी के अन्तर्गत किया जा रहा है। तथा डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत तथा 162 विद्या केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 91 विद्याकेन्द्र खोलने का लक्ष्य है।

किशोरी केन्द्र – प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेने के बाद उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु बालिका को कई समस्या का सामना करना पड़ता है इससे दूर करने के उपाय के रूप में ऐसे किशोरियों को उनके मन की पिपासा को पूर्ण करने के लिये उसी गाँव की पढ़ी लिखी महिला को अध्यापिका बनाकर किशोरी केन्द्रों का संचालन स्थानीय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। इस केन्द्र का उद्देश्य उच्च प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता एवं पहुँच में विस्तार करना एवं बढ़ावा देना है।

कोहार्ट स्टडी – डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षों के बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध

किया जायेगा जिन्होंने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने के लिये प्रयास किया जायेगा। जो सर्व शिक्षा अभियान में आवश्यकता पड़ने पर किया जायेगा।

शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण — बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों / बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारण उनके निराकरण तथा उपायों पर चर्चा तथा अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा यह प्रशिक्षण तीन दिवसीय विद्यालय स्तरीय होगा।

कार्यक्रम — शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना — छोटे भाई बहनों के देखरेख में रहने के कारण कुछ बालिकायें विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नहीं दे पाती जिससे विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पाता कुछ बालिकायें विद्यालय में अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड़ देती हैं।

इस अभियान के अन्तर्गत जनपद में संचालित आगनबाड़ी केन्द्रों को अधिक प्रभावी बनाने के लिये तथा इन केन्द्रों में 3-6 वय वर्ग के बच्चों का नामांकन कराने हेतु आई0सी0डी0केन्द्रों का संचालन किया जायेगा। इस हेतु इन केन्द्रों के लिये अतिरिक्त मानदेय एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। जनपद में आई0सी0डी0एस विभाग द्वारा सात विकास खण्डों में 847 आगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। जनपद के जिन विकास खण्डों में आगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन नहीं किया जा रहा है। और जहाँ महिला साक्षरता दर पिछड़ा है, में कुल दो सौ केन्द्र खोले जायेंगे। केन्द्रों हेतु ग्राम विद्यालय का चयन न्यूनतम महिला साक्षरता उच्च शालात्याग दर तथा शैक्षिक पिछड़ापन ही होगा केन्द्रों हेतु कार्यकर्त्रियों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता – बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ऐसे विकास खण्ड जहाँ पर आइ०सी०डी०एस० केन्द्र संचालित नहीं है उनमें से दो विकास खण्डों में स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा शिशु शिक्षा केन्द्र (ई०सी०सी०ई०) का संचालन किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान में भी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन, पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी स्वयंसेवी संगठनों की चिन्हिकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी। जिसके अर्न्तगत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टाप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा संस्तुति प्रदान की जायेगी। यह पूरी प्रक्रिया वर्तमान समय में संचालित डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत अपनायी गयी है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव – शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ उच्चप्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के पारिवारिक, पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बालिकाओं हेतु उनके भावी जीवन के लिये उपयोगी कार्यक्रमों के अभाव से शिक्षा के प्रति उनकी रुचि तथा अभिभावकों की जागरूकता अपेक्षानुकूल नहीं है। शिक्षा प्रणाली में उपर्युक्त कार्यक्रमों के सम्मिलित हो जाने से निसन्देह बालिकाओं के प्रति रुचि बढ़ेगी तथा अभिभावक बालिकाओं के नामांकन एवं उनके शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो जायेगे। सिलाई कढ़ाई, बुनाई, कला चित्रण के साथ साथ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार टोकरियां बनाने, मिट्टी के समान बनाने को प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम — सामुदायिक सहयोग के सन्दर्भ में विभिन्न विभागों जैसे— जिला अर्थ एवं संख्या विभाग विकलांग कल्याण विभाग, पंचायत राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, एवं स्वयंसेवी संगठनों एवं जन प्रतिनिधियों के सहयोग एवं समुदायों के साथ विचार विमर्श एवं सहभागिता के द्वारा आकड़ों के द्वारा वातावरण सृजन किया गया। साथ ही योजना के संचालन के क्रियान्वयन में भी इनके सदुपयोग से सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आकड़ों का संकलन एवं उसके विश्लेषण में विभागीय गतिशीलता के साथ अर्थ एवं संख्या विभाग के सहयोग से जनांकिकी सम्बन्धी मूलभूत आकड़ों का संकलन किया गया है। पंचायत राज विभाग द्वारा प्रकाशित पंचायतन के सहयोग से ग्रामों एवं बस्तियों की सूची प्राप्त की गयी है।

6-14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निरक्षर लोगों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक है। नगरीय क्षेत्र में मलीन बस्तियों की संख्या अधिक होने के कारण निरक्षर बच्चों की संख्या गाँव एवं नगर दोनों में अधिक है। गाँवों में नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा शिक्षा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये बालिकाओं के लिये अलग विद्यालय खोले गये हैं। शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुये समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समिति गठित की गयी। शैक्षिक योजना निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी जानकारी शिक्षा समितियों को प्रदान की गई।

वातावरण सृजन — नियोजन प्रक्रिया के दौरान जनपद की विभिन्न बस्तियों एवं समुदायों के साथ विचार-विमर्श एवं उनका सहयोग प्राप्त कर योजना को मूर्त रूप दिया गया। इन समुदायों के साथ विचार विमर्श के दौरान इस अभियान के उद्देश्यों एवं शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में विस्तृत एवं व्यापक चर्चा की गयी। जिला पंचायत अधिकारी, जनप्रतिनिधियों, एवं जिला पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की गयी और उनको शामिल किया गया।

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण – ग्राम शिक्षा समितियों

एवं नगर शिक्षा समितियों की सक्रिय भागीदारी हेतु इनके प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें नवनिर्वाचित शिक्षा समितियों का सन्दर्भ प्रशिक्षण पुनः प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं पाँच वर्ष के अन्तराल पर नवीन चयनित शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण एवं उन्हें प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाना है।

नवाचार शिक्षा (कम्प्यूटर शिक्षा) – जनपद देवरिया में प्रयोगात्मक तौर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव के अर्न्तगत कम्प्यूटर शिक्षा का प्राविधान है ताकि उस क्षेत्र में बालिकाओं के विद्यालय ठहराव में आशातीत वृद्धि हो सके। प्रत्येक विकास खण्ड में केन्द्रीय विद्यालय में एक कम्प्यूटर की व्यवस्था इस अभियान के अर्न्तगत किये जाने का प्रस्ताव है।

विद्यालयों की स्थिति उन्नति करने में समुदाय की भूमिका – माइक्रो प्लानिंग के उपरान्त विद्यालय में जो समस्याएँ हैं उनका निराकरण करने में सहयोग प्रदान करेंगे। जहाँ विद्यालय के लिये भूमि नहीं है। अथवा जहाँ कम भूमि है वहाँ पर ग्रामवासियों के सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। बच्चों के खेलने के लिये मैदान उपलब्ध कराया जायेगा। तथा इस बात की जानकारी दी जायेगी कि बच्चा बिना खेल के नहीं सिख सकता अतः खेल का मैदान आवश्यक है।

विद्यालय में शुद्ध पर्यावरण को बढ़ावा देना – कहा जाता है कि जैसे परिवेश में हम रहेंगे वैसे ही बनेंगे इस बात को केन्द्रबिन्दु मान कर विद्यालय का पूर्ण सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। जिसमें बागवानी की विशेष महत्ता है। गाँव के प्रबुद्ध नागरिकों पी०टी०ए० छात्र/छात्रा के सहयोग से विद्यालय में वृक्षारोपण फूलों-फलों के पौधों को लगाया जायेगा जिसके सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्राम शिक्षा समिति की होगी। विद्यालय विकास अनुदान एवं अन्य सरकारी अनुदानों से सुन्दर रंगायी पुताई की जायेगी।

साज-सज्जा में वृद्धि — विद्यालयी प्रयोग के लिए सभी आवश्यक सहायक सामग्रियों को भी उपलब्ध कराने में ग्राम शिक्षा समिति जागरूक एवं गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय में शैक्षिक उपकरणों, टाट पट्टी, श्यामपट्ट, डस्टर, चाक ग्लोब, नक्शा, पोस्टर आदि की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाएगा। गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए गणवेश, पेन्सिल रबर, कापी स्लेट बस्ता दिया जाएगा जिसकी आर्थिक सहायता समुदाय से प्राप्त की जायेगी।

विद्यालय सुदृढीकरण करने हेतु सामुदायिक सहभागिता— कई विद्यालयों को बारिश के मौसम में जल भराव के कारण बन्द करने पड़ते हैं इसके लिए विद्यालय प्रांगण में ऊँची-नीची जमीन होने पर मिट्टी भरने की व्यवस्था, चहारदीवारी का निर्माण भवन की छोटी-मोटी मरम्मत हेतु समुदाय का सहयोग लिया जायेगा।

विशेष अवसरों पर जनजागृति हेतु सेमिनार संगोष्ठी का आयोजन— राष्ट्रीय पर्वों जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, आदि पर छात्रों द्वारा प्रभात फेरी, ठहराव परिक्रमा, सांस्कृतिक कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा का आयोजन जन समुदाय के सहयोग से किया जायेगा। विशेष वर्ग के वंचित लोगों के बीच जाकर उनके बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

अध्यापक का सहयोग — सामुदायिक सहयोग के माध्यम से समुदाय के जागरूक प्रबुद्ध एवं शिक्षित लोगों को शिक्षा के प्रति किया जाएगा कि वे विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए समय दे। तथा अध्यापकों के कार्य में सहयोग करें।

विद्यालय पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में ग्रामवासियों का सहयोग — विद्यालय में शिक्षा के स्तर में सुधार हो तथा लगातार उन्नयन होता रहे इसके लिए ग्राम के सम्मानित व्यक्तियों शिक्षित व्यक्तियों एवं शिक्षा के प्रति जागरूक अभिभावकों को गतिशीलता प्रदान की जाएगी। वे विद्यालय में अपना व्यक्तिगत रुचि दिखाते हुए विद्यालय का सतत पर्यवेक्षण करें तथा

मासिक रूप से उसका अनुश्रवण करें तथा शिक्षाके स्तरोन्नयन में उत्तरोत्तर संवर्द्धन हेतु अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें।

स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता से सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम का आयोजन — किसी भी जागरूकता के लिए वातावरण सृजन सबसे अहम् आवश्यक है। शिक्षा के प्रति अभिभावक, शिक्षको तथा स्थानीय समुदाय के बच्चों में जागरूकता करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुकूल वातावरण सृजन के लिए सामुदायिक सहभागिता के कार्यक्रम प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों के संचालन में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर करीब लाया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा समितियों को सुदृढीकृत एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से संबंधित समस्त विकास कार्यों एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य का प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज समितियों का सहयोग लिया जायेगा।

अध्याय 9

गुणवत्ता संवर्द्धन

जनपद देवरिया में शिक्षा की गुणवत्ता का परिदृश्य — वर्ष 1997 में बेस लाइन सर्वे

रिपोर्ट आधार पर बालिका शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिये डी0पी0ई0पी0 ॥ जनपद देवरिया में लागू की गयी एवं शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्यक्रम संचालित किये गये। इस योजना बद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्य स्थल पर सहयोग-समर्थन हेतु जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में किया गया। ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी की नियुक्ति की गई जिन्हे समय समय पर प्रशिक्षित कर उनके सहयोग से नियमित विद्यालय भ्रमण एन0पी0आर0सी0 तथा बी0 आर0सी0 का उनके भौतिक एवं शैक्षिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों के समस्याओं के समाधान, शिक्षण अधिगम सामग्री मेलों का आयोजन, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण किया गया। इस दौरान अनुभव किया गया जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है किन्तु कतिपय क्षेत्र अभी भी इस योजना से वांचित रह गये जिनसे समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका। जैसे —

1. विभिन्न शिक्षण संस्थाओं (मान्यता एवं गैरमान्यता प्राप्त) मकतब, मदरसों में अध्ययनरत बच्चों तथा उनमें कार्यरत शिक्षक भी जनपद में संचालित शैक्षिक सपोर्ट/गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों से लाभान्वित नहीं हो सके।
2. गैर सरकारी हाईस्कूल तथा इंटर कालेजों के साथ कक्षा 6 से 8 तथा 1 से 5 के शिक्षकों व बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं/समस्याओं के निवारण, शैक्षिक

आवश्यकताओं, समस्याओं के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और उनक कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नही लाया गया।

3. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ही संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक जरूरतों पर ध्यान नही दिया गया।

जनपद में विद्यालयों का शैक्षिक परिदृश्य —

1. प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	1522
2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	240
3. मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या (कक्षा 6,7,8 संचालित है।)	264
4. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की संख्या	150
5. विद्या केन्द्रों की संख्या	162
6. मकतब, मदरसों की संख्या	51
7. इंटरमीडिएट कालेज	104
8. माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय	84

स्कूल पूर्व शिक्षा — महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित आई0सी0डी0एस0 परियोजना के आगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में स्कूल पूर्व शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में संचालन किया जा रहा है। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं का सात दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में दिये गये है। इनके पर्यवेक्षण हेतु सम्बंधित एन0पी0आर0सी0 प्रभारियों को भी उनके साथ ही प्रशिक्षित किया गया है। इन केन्द्रों तथा इनके आसपास चलने वाले विद्यालयों के समय-सारणी में अनुरूपता लायी गयी जो बच्चों खासकर बच्चियाँ जो अपने छोटे माई/बहनों की देखभाल, घर के कामकाज के कारण विद्यालय नही जा पाती थी। शिशु शिक्षा केन्द्रों में उनके छोटे माई-बहनों के लिये 2 घंटा

समय बढ़ाया गया ताकि इन बच्चियों को छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी से मुक्त कर उन प्राथमिक शिक्षा हेतु अवसर दिया गया ।

डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत जनपद देवरिया में डायट के नेतृत्व में ग्राम शिक्षा समितियों को ती-दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण के लिये जिला संसाधन समूह (डी०आर०जी०) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी०आर०जी०) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयंसेवकों, शिक्षकों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बी०आर०जी० सदस्यों का चार दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी०आर०जी० के सदस्यों द्वारा प्रशिक्षक के रूप में ग्राम शिक्षा समितियों के लिये विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, तथा उनके स्कूल न आने वाले कारणों के पहचान के लिये सूक्ष्म- नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान ग्राम शिक्षा समिति -संकल्प एवं प्रयास नामक माड्यूल तथा ग्राम शिक्षा समिति कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रिया-कलापों में समुदाय की भूमिका बढ़ी है। स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वाले बच्चों, खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई।

समुदाय की भागीदारी -समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिये विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों पर विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर भी समुदाय के लोगों को भी सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। बच्चों के प्रगति को जानने के लिये अभिभावकों को आमंत्रित किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश अभिभावक कम पढ़े-लिखे या निरक्षर हैं। और कृषि कार्य में लगे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे बच्चों की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते।

शहरी क्षेत्रों में परिशदीय विद्यालयों में अधिकांश बच्चें गरीब परिवारों से आते है। इनके माता-पिता या अभिभावक अधिकांशतः मजदूरी का कार्य करते है तथा स्वयं भी शिक्षित नही होते है। इसलिये इन परिवारों के बच्चों के लिये शिक्षा में कोई सहयोग नही मिल पाता है। इस प्रकार ग्रामीण परिषदीय विद्यालय में शिक्षा के लिये बच्चों को शिक्षकों का ही एक मात्र सहयोग है।

शिक्षकों को सहयोग एवं समर्थन की व्यवस्था - गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, देवरिया के नेतृत्व में शिक्षक की क्षमता बढ़ाने के लिये उनके विषय-वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि एवं शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिये बहुआयामी रणनीति अपनायी गयी। डी०पी०ई०पी० के पूर्व एस०ओ०पी०टी० कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाईयाँ अनुभव की गयी, वो इस प्रकार है -

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय-वस्तु, शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिये एक समान थी इसलिए कक्षा की वास्तविकताओं एवं प्राथमिकताओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नही किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षको को ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका।
- प्रशिक्षण के उपरान्त 'फालोअप' न्याय पंचायत स्तर, ब्लाक स्तर पर शिक्षको को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नही की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत सेवारत शिक्षकों के लिये प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये है। ये प्रशिक्षण परिशदीय प्राथमिक विद्यालय के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों के लिये आयोजित किये गये है। डायट

स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा सन्दर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खण्ड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

शैक्षिक सपोर्ट देने के लिये डायट संकाय के सदस्यों तथा निरीक्षक वर्ग बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को तीन दिवसीय 'शैक्षिक सपोर्ट एवं कार्यशालाओं के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। डायट स्तर पर पैरामीटर इन्डीकेटर्स का प्रयोग करते हुए विद्यालयों बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० श्रेणीबद्ध किया जाना सुनिश्चित है। जनपद में स्कूलों की ग्रेडिंग सारणी 9.1 में निम्नवत् दी गयी है।

सारिणी 9.1

जनपद में स्कूलों की ग्रेडिंग के अनुसार स्थिति

विकास खण्ड	स्कूलों की संख्या जिनका निरीक्षण हुआ।	श्रेणी			
		ए0	बी0	सी0	डी0
देवरिया	113	5	35.	53	20
बैतालपुर	94	3	17	32	42
गौरीबाजार	111	2	16	38	55
रुद्रपुर	125	2	18	60	45
बरहज	84	2	16	24	42
भलुअनी	98	4	22	32	40
भागलपुर	92	3	19	29	41
लार	104	3	24	33	44
सलेमपुर	105	4	23	36	42
भटनी	92	3	18	26	45
भाटपार रानी	93	2	17	23	51
बनकटा	97	1	16	38	42
रामपुर कारखाना	78	4	18	24	32
पथरदेवा	134	4	26	58	46
देसही देवरिया	71	2	17	22	30
नगर क्षेत्र देवरिया	32	1	8	9	14
योग	1523	45	310	537	631

स्रोत— डायट रामपुर कारखाना

विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षण में जो मुद्दे / समस्याएँ चिन्हित की जाती हैं। इसका निस्तारण मासिक बैठकों कार्यशालाओं में किया जाता है। सहयोग एवं समर्थन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की दिशा में कुछ नवाचार किये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

डी0पी0ई0पी0 के अर्न्तगत सेवारत शिक्षक — प्रशिक्षण —

प्राथमिक स्तर — डी0पी0ई0पी0 के अर्न्तगत शिक्षकों को पाँच चक्र प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। गत वर्षों में शिक्षकों में दो चक्र का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तृतीय चक्र का प्रशिक्षण चल रहा है। प्रथम चक्र का प्रशिक्षण डायट स्तर पर ब्लाकवार आयोजित किये गये है। ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्वयकों को प्रशिक्षणों की व्यवस्था की गयी। दूसरे चक्र का प्रशिक्षण बी0आर0सी स्तर पर आयोजित किये गये। इनकी व्यवस्था ब्लाक समन्वयक द्वारा की गयी।

द्वितीय चक्र का प्रशिक्षण 'सबल' प्राथमिक स्तर पर गतवर्ष प्रदान किया गया था जिसकी व्यवस्था ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्वयकों द्वारा की गयी। यह प्रशिक्षण विषय-वस्तु आधारित तथा दक्षता पर बल देने के लिये था।

तृतीय चक्र का प्रशिक्षण 'साधन' प्रशिक्षण माड्यूल नवीन पाठ्य पुस्तक एवं कक्षा शिक्षण आधारित है। साधन विचार पत्रक के माध्यम से न केवल प्रशिक्षकों वरन शिक्षकों के लिये भी आदर्श पाठ्य योजनाओं के माध्यम से वे अपने प्रशिक्षण एवं शिक्षण को उपयोगी बना रहे हैं।

उच्च प्राथमिक स्तर — उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिये डी0पी0ई0पी0 योजना में प्रशिक्षण की कोई योजना नहीं है। इस दृष्टि से इन शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत पूरा किया जायेगा है।

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति का विवरण —

सारिणी - 9.1 अ

भौक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1. शिक्षकों की कुल संख्या	3622	974
2. हाई स्कूल से कम योग्यता धारी शिक्षक	0	0
3. केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	0	0
4. केवल इंटरमिडीएट उत्तीर्ण (अप्रशिक्षित)	35	0
5. स्नातक (अप्रशिक्षित)	13	0
6. परास्नातक (अप्रशिक्षित)	0	0
7. इंटरमिडीएट (प्रशिक्षित)	2368	587
8. स्नातक (प्रशिक्षित)	996	293
9. परास्नातक (प्रशिक्षित)	210	94

उक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में 3574 शिक्षक प्रशिक्षित हैं तथा पू०मा०वि० के 974 अध्यापक प्रशिक्षित हैं।

सारिणी 9.2-ब

क्र० सं०	शिक्षण अनुभव	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1.	5 वर्ष से कम	535	481
2.	5 से 10 वर्ष तक	268	136
3.	10 से 15 वर्ष तक	581	84
4.	15 से 20 वर्ष तक	764	76
5.	20 से 25 वर्ष तक	637	45
6.	25 से 30 वर्ष तक	342	52
7.	30 वर्ष से अधिक	332	25

श्रोत- बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

सारिणी 9.2 से स्पष्ट होता है कि जनपद में 535 शिक्षक 5 वर्ष से कम अनुभव वाले हैं तथा 677 शिक्षक 30 वर्ष या उससे अधिक सेवाअवधि वाले हैं। इनके ज्ञान को नवीन वस्तु-विषय के अनुसार अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। साथ ही नवीन पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण करने के लिये इनको जानकारी देने की आवश्यकता है।

योग्य, उत्साही तथा नवाचार कार्यक्रम को संचालित करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। विद्यालय भवन उसके आस-पास के वातावरण का स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिये शिक्षकों, छात्रों, तथा अभिभावकों को एक साथ मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण प्रभावी बनाने के लिये शिक्षकों के लिये वर्ण माला, अंक ज्ञान सम्बंधी चार्ट कहानी, चित्रण आदि बनवाने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव - डी०पी०ई०पी० के तहत आयोजित तीन चरणों के शिक्षक प्रशिक्षणोपरान्त शिक्षकों की समझ एवं शिक्षण विद्याओं में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। कक्षा

शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हो रहा है। बच्चों की भागीदारी बढ़ी है उनके लिये शिक्षा रूचिकर हुई है। बच्चों भी कक्षा में सक्रिय हुए हैं।

प्रशिक्षणों की संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण — डी०पी०ई०पी० के तहत जनपद देवरिया में बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० की स्थापना की गयी है। बी०आर०सी० स्तर पर समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन०पी०आर०सी० स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही है। इन्हें अकादमिक पर्यवेक्षण सहयोग सम्बंध तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर दिया गया।

बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों सह समन्वयकों को उनके कार्य के सम्बन्ध में पाँच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के सन्दर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया गया है।

समन्वयकों की भूमिका — बी०आर०सी० द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किए जा रहे हैं। बी०आर०सी० को सन्दर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाईयों के समाधान हेतु कर रहे हैं। वार्षिक कार्य योजना तथा बजट का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। ये विद्यालय भवन, मासिक बैठकों का आयोजन कक्षाओं का अवलोकन, तथा फीड बैक प्रदान करते हैं। एन०पी०आर०सी० स्तर पर संचालित क्रिया-कलापों का पर्यवेक्षण करते हैं तथा शिशु शिक्षा केन्द्र तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र का अनुश्रवण करते हैं।

एन०पी०आर०सी० समन्वयकों की भूमिका — संकुल स्तर पर शैक्षिक तथा पाठ्य सहगाम क्रियाकलापों का केन्द्रीय बिन्दु एन०पी०आर०सी० है। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण आयोजन करना, शिक्षकों के अनुभव का परस्पर विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन०पी०आर०सी० समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं।

बेस लाइन स्टडी तथा मध्यावधि एसेसमेंट स्टडी छात्रों के अनुसार छात्रों की

उपलब्धि –

कक्षा 1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनु० जा० मध्यमान प्रतिशत	अन्य/पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	54.35	51.60	46.09	55.65	60.45
मध्यावधि सर्वे	68.12	63.62	63.42	67.03	68.80
उपलब्धि में वृद्धि	13.77	12.02	16.52	11.38	8.35

श्रोत- विभागीय आकड़े

कक्षा 1 गणित में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनु० जा० मध्यमान प्रतिशत	अन्य/पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	53.93	48.86	49.05	51.14	60.43
मध्यावधि सर्वे	75.84	67.09	69.68	71.11	75.80
उपलब्धि में वृद्धि	21.91	18.23	16.18	20.87	15.35

श्रोत विभागीय आकड़े

कक्षा 5 भाषा में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनु० जा० मध्यमान प्रतिशत	अन्य/पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	41.27	41.11	39.95	42.17	42.44
मध्यावधि सर्वे	49.75	52.23	21.58	50.81	50.45
उपलब्धि में वृद्धि	8.48	11.12	12.63	8.64	8.01

श्रोत- विभागीय आकड़े

कक्षा 5 गणित में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक	बालिका	अनु० जा०	अन्य/पिछड़ा वर्ग	अन्य वर्ग
	मध्यमान	मध्यमान	मध्यमान	मध्यमान	मध्यमान
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	32.85	33.45	30.75	33.70	33.85
मध्यावधि सर्वे	44.49	45.68	46.23	44.47	44.51
उपलब्धि में बृद्धि	11.64	12.23	15.48	10.77	10.66

श्रोत- विभागीय आकड़े

कक्षा 1 भाषा में छात्रों के उपलब्धि का स्तर

स्तर	बालक		बालिका		योग	
	संख्या / प्रतिशत		संख्या / प्रतिशत		संख्या / प्रतिशत	
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	61	19.9	99	28.5	160	24.4
न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि	52	16.9	54	15.6	106	16.2
सम्पूर्ण दक्षता प्राप्ति के लगभग	66	21.5	67	19.3	133	20.3
सम्पूर्ण दक्षता प्राप्त	128	41.7	127	36.6	256	39.1

श्रोत- विभागीय आकड़े

कक्षा 1 गणित में छात्रों के उपलब्धि का स्तर

स्तर	बालक		बालिका		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	38	12.34	77	22.19	115	11.56
न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि	39	12.66	45	12.97	84	12.82
सम्पूर्ण दक्षता प्राप्ति के लगभग	64	20.78	88	25.36	152	23.21
सम्पूर्ण दक्षता प्राप्त	167	54.22	137	39.48	304	46.41

श्रोत- विभागीय आकड़े

कक्षा 4 भाषा में छात्रों के उपलब्धि का स्तर

स्तर	बालक		बालिका		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	72	25.5	57	20.94	129	23.0
न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि	157	55.07	154	55.0	311	55.03
सम्पूर्ण दक्षता प्राप्ति के लगभग	49	17.4	65	23.2	114	20.03
सम्पूर्ण दक्षता प्राप्त	4	1.04	4	1.04	8	1.04

श्रोत- विभागीय आकड़े

कक्षा 4 गणित में छात्रों के उपलब्धि का स्तर

स्तर	बालक		बालिका		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
न्यूनतम अधिगम स्तर से कम	121	42.9	160	38.2	228	40.6
न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि	118	41.8	128	45.7	246	43.8
सम्पूर्ण दक्षता प्राप्ति के लगभग	43	15.2	44	15.7	27	15.5
सम्पूर्ण दक्षता प्राप्त	0	0.0	1	0.4	1	0.2

श्रोत- विभागीय आकड़े

मध्य सत्रीय मूल्यांकन का सर्वेक्षण के आधार पर पता चलता है 19.9 प्रतिशत बालक, 28.5 प्रतिशत बालिका अधिगम स्तर को भी प्राप्त नहीं कर सकें हैं। कक्षा 1 गणित में बालक 12.3 प्रतिशत 22.19 प्रतिशत कुल 11.56 प्रतिशत बच्चों न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर सकें हैं।

विशेष बच्चों के बारे में — समाज के 6 से 14 वय वर्ग के समस्त बच्चों को शिक्षा के मु- धारा से जोड़ना हमारी पहली प्राथमिकता है। समाज में कुछ बच्चें ऐसे भी हैं जो विद्याल- शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों में बाल श्रमिक, मलीन बस्तियों में रहने वाले बच्चें त- विकलांग बच्चें आते हैं जो अपने कठिनाईयों, समस्याओं, परिस्थितियों के कारण विद्यालय न- आ पाते। फलस्वरूप शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चों क- शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये उनके माता पिता को जागरूक बनानें तथा इन बच्- में आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता है। शिक्षकों को इन विद्यालयों की पहचान कराकर उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। ये बच्- प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय-सारणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रह- हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चें औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवे- लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं। अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इन- स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रह- वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने क- आवश्यकता है।

स्कूलों में कक्षाओं की स्थिति —

परिषदीय विद्यालय प्राथमिक स्तर	एकल अध्यापकीय विद्यालय	दो अध्यापकीय विद्यालय	तीन अध्यापकीय विद्यालय	चार अध्यापकीय विद्यालय
	37	177	809	488

श्रोत :- कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया

विद्यालय में शिक्षकों की संख्या सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि प्राथमि- विद्यालयों में 2.46 प्रतिशत विद्यालय एक शिक्षक वाले तथा 11.8 प्रतिशत विद्यालय दो शिक्ष- वाले हैं। 53.43 प्रतिशत तीन अध्यापक वाले तथा 32.53 प्रतिशत चार अध्यापक वाले विद्याल- हैं। इस स्थिति में अधिकांश विद्यालयों में एक अध्यापक को एक समय में एक साथ ही क-

कक्षाएँ चलानी पड़ती है। इसके लिये शिक्षकों को बहु कक्षा शिक्षण प्रणाली की जानकारी देनी चाहिये। अतः उन्हें बहु-कक्षा शिक्षण का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण की रूपरेखा

—

जनपद देवरिया में 6 से 14 वय वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवन में उपयोग होने वाली तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिससे स्कूली शिक्षा व्यवस्था के गुणवत्ता में परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति, कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त किया जायेगा जिससे जीवनोपयोगी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कार्य के लक्ष्य इस प्रकार है —

1. 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी वर्ग तथा लिंग के बच्चों पाँच वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करें यह लक्ष्य वर्ष 2006 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी वर्ग के बच्चों आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें यह लक्ष्य वर्ष 2009 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. वर्ष 2010 में समस्त प्रशिक्षणों एवं कार्यों का अवलोकन, अनुश्रवण तथा सुझावों के माध्यम से विद्यालयों में प्रभावी रूप देने हेतु सघन अभियान चलाया जायेगा। यह कार्य सन्दर्भ व्यक्तियों बी०आर०सी, एन०पी०आर०सी०, डी०पी०ओ० द्वारा नामित सदस्यों तथा डायट के विशेष सहयोग द्वारा सभी को समय तथा क्षेत्र विभाजन करके पूरे वर्ष में लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. प्राथमिक स्तर पर सभी वय वर्ग के बालक/बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को वर्ष 2008 तक तथा समग्र प्रारम्भिक स्तर पर वर्ष 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. सभी वर्ग तथा लिंग के 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों का स्कूल में शत् प्रतिशत् ठहराव का लक्ष्य तथा सम्प्राप्ति स्तर के लक्ष्य को वर्ष 2010 तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

उपरोक्त कार्यक्रम के लक्ष्यों/उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षकों तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की भूमिका अत्यन्त आवश्यक है इसलिये सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिये जनपद का एक 'बीजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद, विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी।

आवर्तक(प्रतिवर्ष)	अनुमानित लागत (रु० लाख में)
1. क्रियात्मक शोध/अध्ययन	2.0
2. कार्यशाला/सेमिनार	2.0
3. प्रकाशन/मुद्रण	1.5
4. कंटेन्जेन्सीज	0.2
5. वाहन रखरखाव/पी०ओ०एल०	0.5
योग	6.2

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण की रूपरेखा

—

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता आधारित प्रा० शिक्षा के सार्वजनीकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद देवरिया में 6-14 वय वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवन में उपयोग होने वाली तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था के गुणवत्ता में परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त किया जायेगा जिससे जीवनोपयोगी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कार्य के लक्ष्य इस प्रकार है—

1. 6—14 वय वर्ग की सभी बच्चों को औपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी वर्ग तथा लिंग के बच्चें 5 वर्ष की प्रारम्भिक पूरी करें। यह लक्ष्य वर्ष 2006 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी वर्ग के बच्चें 8 वर्ष की शिक्षा पूरी करें। यह लक्ष्य वर्ष 2009 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. वर्ष 2010 में समस्त प्रशिक्षणों एवं कार्यक्रमों का अवलोकन, अनुश्रवण, तथा सुझावों के माध्यम से विद्यालयों में प्रभावी रूप देने हेतु सघन अभियान चलाया जायेगा। यह कार्य सन्दर्भ व्यक्तियों, प्रशिक्षकों बी०आर०सी०/ए०बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी०, ए०बी०एस०ए०, डी०पी०ओ० द्वारा नामित सदस्यों तथा डी०आई०ई०टी० के विशेष सहयोग द्वारा सभी को समय तथा क्षेत्र विभाजन करके वर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया जायेगा।
5. ऐसी शिक्षा प्रदान की जायेगी जिससे कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के उपरान्त बच्चें अगली शिक्षा का बोझ स्वयं उठा सकें अथवा जीवनयापन के साधन आसानी से जुटा सकें।
6. प्राथमिक स्तर पर सभी वय वर्ग के बालक/बालिका समुदायों और समूह के मध्य अन्तर को वर्ष 2008 तक तथा समग्र प्रारम्भिक स्तर पर वर्ष 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
7. सभी वर्ग तथा लिंग के 6—14 वय वर्ग के बच्चों का स्कूल में शत-प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य तथा सम्प्राप्ति स्तर के लक्ष्य को वर्ष 2010 तक सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

उपरोक्त कार्यक्रम के लक्ष्यों/उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षको की तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिए सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'बीजन' विकसित किया जाएगा जिसमे जनपद विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इसके लिए 4 दिवसीय विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से ब्लाक/न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों के साथ ही उस ब्लाक के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

जिसमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यो तथा लक्ष्यों, बच्चो की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षको, विद्यालयों तथा कक्षा-कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपस में सहभागिता आधारित निश्कर्ष और सहमति तय की जायेगी। इन कार्यशालाओं का मुख्य लक्ष्य होगा कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार एवं अवधारणा विकसित की जायेंगी।

सेवारत शिक्षको के शिक्षण कौशलो/दक्षताओं में अभिवृद्धि तथा उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। ये प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने के रणनीति के स्थान पर सेवारत शिक्षकों का सतत् प्रशिक्षण प्रक्रिया के रूप में आयोजित/संचालित किये जायेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण का इस प्रकार क्रमबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी०आर०सी० स्तर पर 8-10 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि का प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें एन०पी०आर०सी० स्तर पर किये जाएंगे। प्रशिक्षण की यह कार्य योजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर कठिनाइयों के अभिमुखिकरण को दूर करने, उसे समझने-समझाने में सहायक सिद्ध होगी।

इसी क्रम में यह भी ध्यान दिया जाना है कि डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत प्रशिक्षण के अनुभवों व वर्तमान में व्यवहारिक कठिनाइयों की समीक्षात्मक अध्ययन कर यथा बहुकक्षा बहुस्तरीय क्रियात्मक शिक्षण विधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के प्रभावी और बेहतर उपयोग के लिए सभी पाठों को आदर्श पाठ के रूप में विकसित कर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिवर्ष आयोजित किये जायेंगे।

सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण -

प्रथम वर्ष- प्रथम वर्ष में पाठ्य पुस्तकों के पाठों पर आधारित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक और

शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस 8 दिवसीय प्रशिक्षण में पूर्ण रूप से आदर्श पाठ विकसित कर उसका प्रस्तुतीकरण कराया जायेगा। इस प्रशिक्षण के उपरान्त इसी के क्रम में लघु आबादी के लिये प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेगी जिनका विवरण इस प्रकार से है—

1. विजनिंग कार्यशालाएं— 3 दिवसीय एन0पी0आर0सी0 स्तर पर
2. एक-एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं जो बहुकक्षा- शिक्षण को सरल बनाने पर बल देगी कि दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों पर आधारित शिक्षण-सामग्री निर्माण हेतु किया जायेगा। यह न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किया जायेगा।
3. कक्षा-शिक्षण, बहु कक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण, में सार्थक प्रयोग/सहयोग, प्रदान किये जाने वाले एकदिवसीय मैटेरियल मेला का आयोजन एन0सी0पी0आर0 स्तर पर।
4. विकास खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अर्न्तगत एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो आदर्श पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होगी।
5. बी0आर0सी स्तर पर गतिविधि विकास की कार्यशाला का आयोजन कर प्राप्त गतिविधियों का संकलन एवं क्षेत्र में उसका प्रसारण किया जायेगा।
6. बी0आर0सी0 स्तर पर बालगीतों, बाल कहानियों, का विकास कार्यशाला का आयोजन कर उनका संकलन एवं क्षेत्र में प्रसारण।

यह वर्ष के पाँच महिनों में आयोजित की जायेगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा वि0बे0शि0 अधिकारी द्वारा नामित स0बे0शि0 अधिकारी की सहायता से डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें जनपद के समस्त ब्लाकों से एक-एक कुशल प्रशिक्षक भी सम्मिलित होंगे।

एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेख भी तैयार किया जायेगा। बी0आर0सी0 और डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस हेतु रू0 75 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष – द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार गणित की विषय वस्तु पर आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों विधियों पर आधारित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन किया जायेगा। इस 8 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरान्त तथा उसी अनुक्रम में लघु अवधि का प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें भी आयोजित की जायगी। जो इस प्रकार है—

1. बी0आर0सी0स्तर पर बहुकक्षा शिक्षा तथा बहु स्तरीय शिक्षण हेतु 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण तथा समय प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीने में आयोजित होंगे जिसमें डायट द्वारा तैयार किये गये। एजेण्डा के आधार पर बी0आर0सी0स्तरीय प्रशिक्षण की फालोअप को केन्द्र माना जायेगा।
3. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिये शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षकों के प्रशिक्षण पर प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष – तृतीय वर्ष में सर्वप्रथम 10 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः सामाजिक विषय तथा विज्ञान के पाठों पर आधारित होगा तथा साथ ही साथ मूल्यांकन के नवीन पर भी केन्द्रित होगा। इसी अनुक्रम में बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अन्य प्रशिक्षण/कार्यशालायें भी आयोजित करायी जायेगी जिनका विवरण निम्नवत् है—

1. तीन दिवसीय कार्यशाला/प्रशिक्षण जो विज्ञान शिक्षा को रुचिकर बनाने तथा पाठों से सम्बन्धित पाठों से सम्बन्धित निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा। यह प्रशिक्षण कार्यशाला बी0आर0सी0स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

2. बी0आर0सी0 स्तर पर ही दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय के पाठों को प्रभावी एवं सरल बनाने तथा इसके पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. सतत् तथा व्यापक छात्रमूल्यांकन हेतु वि्वज प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा।
4. एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं, प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए 5 माह में आयोजित की जायेगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
5. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विज्ञान/सामाजिक विषय से सम्बन्धित एक दिवसीय भ्रमण कार्यशाला जिसमें एन0पी0आर0सी0 के समस्त विद्यालयों के कक्षा 4 व 5 के 5-5 बच्चे प्रतिभाग करेंगे।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रू0 70 की दर से अनुमानित है तथा रू0 75 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष — चतुर्थ वर्ष में 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण पर आधारित होगा। इसी तारतम्य में बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अन्य प्रशिक्षण, कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जो इस प्रकार हैं —

1. अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी जिसमें न्याय पंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमन्त्रित किया जाएगा।
2. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर ही गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुति तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला की जायेगी।
3. कक्षा शिक्षण में दृश्य-श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बन्धी 2 दिवसीय कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी।

4. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 माह में आयोजित की जायेगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70.00 की दर से अनुमानित है। तथा इस हेतु रू0 75 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवा वर्ष — पाँचवाँ वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर आवश्यकतानुसार पुनर्बोधत्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरान्त आगामी प्रशिक्षण की रूप रेखा तथा विशय—वस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों/ कार्यशालाओं के अनुभवों आवश्यकताओं और फीड बैक के आधार पर किया जायेगा।

पाँचवे वर्ष में एन0पी0आर0सी0 स्तर पर कक्षा—3, 4 व 5 के छात्र—छात्राओं की कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी जो विभिन्न विषयों तथा कलात्मक क्रियाओं अभिव्यक्ति आदि की दक्षताओं/कौशलों के विकास से सम्बन्धित होगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70.00 की दर से रू0 75 लाख अनुमानित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेगे जिनका विवरण इस प्रकार है —

1. अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य—पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के सम्बन्ध में प्रत्येक विद्यालय से एक—एक शिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जाएगा।
2. विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा उससे कम हो उनके लिए आयोजित की जाएगी।
3. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा—भाषी बच्चे तथा शिक्षक है ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15-20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।
5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 15 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण जो नवीन शिक्षण विधियों, गतिविधि तथा सामग्री निर्माण तथा कक्षा में उपयोग पर आधारित होगा डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रति वर्ष नव नियुक्त सहायक अध्यापक-अध्यापिकाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
6. 05 दिवसीय प्रशिक्षण जो मुख्यतः नेतृत्व, समय-प्रबन्धन, विद्यालयी अभिलेखों के रख-रखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा, आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए प्रदान किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण की रूप रेखा -

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी जबकि प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की ही तरह उच्च प्रा० विद्यालयों के अध्यापकों की ही तरह उच्च प्रा० विद्यालयों के शिक्षकों को भी शैक्षिक सपोर्ट की आवश्यकता महसूस की गयी है।

अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए भी प्राथमिक शिक्षकों की भाँति प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6-8 के शिक्षक/शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गयी है कि प्राथमिक कक्षाओं की तुलना में उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विधियों की जगह पर पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में उपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गयी है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रति वर्ष आयोजित किये जायेंगे।

प्रथम वर्ष — प्रथम वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तरीय गणित शिक्षकों का गणित विषय पर आधारित प्रशिक्षण होगा जिसमें अभिप्रेरणात्मक प्रशिक्षण के साथ-साथ गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय-वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग सम्बन्धी 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

इसी अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठयोजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी तारतम्य में बी0आर0सी0 स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित होगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से अनुमानतः रू0 17 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष — शिक्षकों को विज्ञान विषय का शिक्षण विषय-वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर विज्ञान के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठयोजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 1 दिवसीय मैटेरियल मेला का आयोजन जिसमें शिक्षकों द्वारा विज्ञानविषय से सम्बन्धित शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी तारतम्य में

बी०आर०सी० स्तर भी एक दिवसीय मैटेरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू० 70.00 की दर से अनुमानतः रू० 17 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष — तृतीय वर्ष में उच्च प्राथमिक अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षकों को विषय-वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठयोजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशालाएं एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित की जायेगी। वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित होगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षण प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू० 70 की दर अनुमानतः रू० 17 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष — चतुर्थ वर्ष में शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी०आर०सी० स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपुरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इस के साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला एन०पी०आर०सी० स्तर पर आयोजित की जायेगी।

- प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर एन० पी०आर०सी० स्तरीय मासिक बैठकों वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेगी जिनका पर्यवेक्षण एन० पी०आर०सी० तथा डायट के सन्दर्भ सदस्यों के माध्यम से किया जायेगा।

- छात्र/छात्राओं की भौतिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बन्धी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरान्त इस तारतम्य में क्विज प्रश्न/टेस्ट आइटम बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षण प्रशिक्षण पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से अनुमानतः 17 लाख रू0 प्रस्तावित है।

पाँचवाँ वर्ष – पाँचवे वर्ष में गत वर्षों में सम्पन्न प्रशिक्षणों के आधार पर पुनर्बोधोन्मुख प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 10 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की रूप रेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभव तथा फीड बैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा इसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा।

पाँचवें वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 की दर से अनुमानतः रू0 17 लाख प्रस्तावित है।

- प्रस्तावित प्रशिक्षणों में दूरस्त शिक्षा माध्यम का अधिकतम उपयोग किया जायेगा।
- उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में बी0आर0सी0 स्तर पर संचालित किये जायेंगे।
- उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है—

1. नेतृत्व क्षमता प्रशिक्षण –

इसके अन्तर्गत सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व प्रशिक्षण तथा समय प्रबंधन एवं विद्यालय प्रबंधन प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण 2 दिवसीय होगा जिसका माड्यूल विकास डायट द्वारा सीमेट इलाहाबाद के सहयोग से किया जायेगा।

2. कम्प्यूटर प्रयोग/उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण –

देश काल और परिस्थिति के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर सम्बन्धी जानकारी दी जाय। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड में कुल 8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षणों की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

इन प्रशिक्षणों के लिए डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरान्त उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जाएगा। इस हेतु प्रशिक्षण माडयूल्ड का विकास डायट तथा एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर सम्बन्धी शिक्षण प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्षों में की जायेगी।

3. लिंग भेद के प्रति संवेदनशीलता –

उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक प्रत्येक विद्यालय से आमन्त्रित कर बी0आर0सी0 स्तर पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी जो कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्यवहार में संवेदनशीलता लाने पर केन्द्रित होगा।

4. अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम –

डायट के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जिनका प्रकार निम्न है—

1. शिक्षा मित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण – जनपद के 403 शिक्षा मित्रों तथा 162

ई0जी0एस0 केन्द्रों के आचार्य जी के लिए डायट स्तर पर 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण

आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र के सेवारत शिक्षा प्रशिक्षण के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. वैकल्पिक शिक्षा – 15 दिवसीय प्रशिक्षक प्रतिवर्ष डायट पर आयोजित किया जायेगा जिसमें जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण होगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा जिसका माड्यूल एस0सी0ई0आर0टी0 तथा डायट के सहयोग जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा के पर्यवेक्षण बी0आर0सी0 एवं ए0बी0आर0सी0 के समन्वयकों के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। जनपद के समस्त समन्वयक, सह समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। यह प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जायेगा।
3. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की आँगनबाणी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं का प्रशिक्षण – पूर्व प्राथमिक के दृष्टि से 100 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं के लिये 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार 'आधारशिला' (भाग I व II) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। तथा प्रशिक्षण केन्द्र मुख्य बिन्दु इस प्रकार है – स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का सर्वेदीकरण, 3-6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, भाषीरिक विकास, भाषा कौशलों का विकास, बच्चों में

सामाजिक-संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास के लिये लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त पाँच केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन-चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदन्तर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण —डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6-8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के सन्दर्भ में सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया जायेगा तथा इसे जनपद के आवश्यकता के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिये आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारण्टी योजना, ई0सी0सी0ई0 योजना अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये। प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा जिससे बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 प्रशिक्षण — जनपद में विकास खण्ड स्तर गुणवत्ता विकास कार्यक्रम के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका पाँच दिवसीय ओरियेंटेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया

जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास सिमेट द्वारा डी०पी०ई०पी० के अर्न्तगत किया गया है। ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० के लिये अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण से मुख्य बिन्दु इस प्रकार है— अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालय, बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी०, तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो, ई०सी०सी०ई० केन्द्रो, ई०जी०एस० केन्द्र आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षणों हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई०एम०आई०एस०, माइक्रो प्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेगे।

6. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण — स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करना, ग्राम शिक्षा योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का जागरूक अभिभावकों के लिये तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर आयोजित किये जायेगें तथा एस०एस०ए० के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी०पी०ई०पी०— III के अर्न्तगत किया गया है। वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित परिवर्तित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिये 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेगें — ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्रों में डबलू०एम०जी०, एम०टी०ए०, पी०टी०ए०, युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेगें। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रो प्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आकड़ों और स्कूल

विकास योजनायें प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. सर्व शिक्षा अभियान परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण — सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्य योजना की रणनीतियों के सम्बंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे। सभी प्रकार के प्रशिक्षणों का अनुभवों की विभिन्न स्तरों पर सेयरिंग की जायेगी तथा इनका डाक्यूमेन्टेशन भी किया जायेगा।

शिक्षण समय को बढ़ावा —

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 210 दिन कुल कार्यदिवस के लिये खुला। निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ तथा 170 दिवस शिक्षण के लिये उपलब्ध हुये।

सारिणी.1

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	210	210
शिक्षण दिवस	170	170
परीक्षा	10	10
अन्य कार्य	10	10
नष्ट हो जाने वाले दिन	10	10
समुदाय से सम्पर्क	10	10

सारिणी. 9.2

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार—

	प्राथमिक स्तर वादन/समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन/समय
1. भाषा— 1. हिन्दी	प्रति घण्टा 40 मिनट X 9	40 मिनट X 9
2. गणित	प्रति घण्टा 40 मिनट X 8	40 मिनट X 10
3. विज्ञान	प्रति घण्टा 40 मिनट X 4	40 मिनट X 6
4. भाषा— 2. अंग्रेजी	प्रति घण्टा 40 मिनट X 3	40 मिनट X 5
5. भाषा— 3. संस्कृत	प्रति घण्टा 40 मिनट X 3	40 मिनट X 3
6. सामाजिक विषय	प्रति घण्टा 40 मिनट X 4	40 मिनट X 6
7. समाजोपयोगी कार्य	प्रति घण्टा 40 मिनट X 5	40 मिनट X 3
8. कला शिक्षण	प्रति घण्टा 40 मिनट X 4	40 मिनट X 3
9. अन्य प्रशिक्षण भारीरिक शिक्षा	प्रति घण्टा 40 मिनट X 8	40 मिनट X 3

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर कार्य हेतु 170 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 170 दिन की उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 210 कार्य दिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 210 सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्य में नष्ट हो जाने वाले दिनों को समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 210 दिन उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय के अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षक को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय-गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री -

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्य पुस्तकों को जुलाई 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों के वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से लगभग 1.20 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 180 लाख रुपया व्यय होगा। नवीन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक संदर्शिकाएँ जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थी। उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेंट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रू0 225 लाख धनराशि व्यय होंगे।

प्राथमिक कक्षाओं (1-5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ०प्र० द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6-8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6-8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्य पुस्तकों का विकास एस०सी०आर०टी० के तत्वाधान में किया जा रहा है। ये पाठ्य पुस्तकें एस०सी०ई०आर०टी० के विशिष्ट संस्थानों राज्य सन्दर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, वाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही है। इन पाठ्य पुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2002-2003 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हे लागू किया जायेगा। इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति, जन-जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी जिससे 40 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः 60 लाख धनराशि व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री -

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षा अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो भावी जीवन के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिए अच्छी तरह तैयार कर सकें। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ट एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका -

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना -

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्य योजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद विकास खण्ड न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास ई0एम0आई0एस0 आकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा। इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा। शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग समर्थन प्रदान करने की उपर्युक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता सम्वर्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना -

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विशय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान

करने बी०आर०सी० एन०पी०आ०सी० समन्वयकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी०ई०सी० प्रशिक्षण, ई०सी०सी० प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास" कार्यक्रम को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध-मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी०आर०सी० बी०एस०ए०/एस०डी०आई० प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी०आर०सी० के समन्वयक, एन०पी०आर०सी० के संकुल प्रमारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यमों से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उसमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, भौक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक सन्दर्भ समूह का सुदृढीकरण -

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ शिक्षा विद, योग्य शिक्षक आदि सदस्य है। अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्रथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस०सी०ई०आर०टी० के सहयोग से क्षमता विकास

कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूल का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं। उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमता के विकास में लिया जायेगा इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवों एवं ख्याति प्राप्त संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति के स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिये शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विशयों जैसे पाठ्यक्रम कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यवहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। शिक्षकों समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना को निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन

रिसर्च शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन भाग्य परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से जनपद स्तर पर क्लास एवं आवर्जवेशन बड़ी भी की जायेगी।

एक्शन रिसर्च –

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से पांच दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट इलाहाबाद एस0सी0ई0आर0सी0 लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा। शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूढने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध के प्रक्रिया को संकुल स्तर पर तथा अनवरत विद्यालय स्तर पर ले जायेगा। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है—

1. बच्चों के सतत व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
2. कक्षा के प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाने के तरीके।
3. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।
4. महिला शिक्षिकाओं का रोल पर सेंसन परिवर्तन करने के लिए रणनीतियां।
5. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतो का विकास।
6. विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
7. कार्य निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में प्रबंधन के मुद्दे।
8. जहाँ बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर कम है उसके कारणों की पहचान।
9. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है।

10. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न दिशयों का शिक्षण किस प्रकार हों।
11. विद्यालयों के सन्दर्भ में समुदाय के सहयोग के अभाव के कारण का अध्ययन।
12. बच्चों की विद्यालय में अनियमित उपस्थिति के कारणों का अध्ययन।
13. मध्यान्तर के पश्चात विद्यालय से छात्रों के पलायन के कारणों का विश्लेषणात्मक निरूपण।
14. अध्यापकों के पठन पाठन के स्तर में वृद्धि हेतु प्रत्येक 6 माह बाद मूल्यांकन।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई०एम०आई०एस० के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लॉक/प्रत्येक गांव प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा ब्लॉकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्रॉप आउट की अधिकता है इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाले बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकता है।

ई०एम०आई०एस० ऑकड़ों के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डिकेटर्स के सन्दर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा उदाहरण के लिए रेपिटेशन रेट, कम्प्लीजन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई०एम०आई०एस० से प्राप्त ऑकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा क्रियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली –

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था जो वर्तमान में है उचित है किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन०पी०आर०सी० स्तर पर तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी०आर०सी० स्तर पर की जायेगी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्नपत्र डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेंगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करने के लिये सतत-व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस0सी0ई0आर0टी0 उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबन्धी एक प्रणाली का विकास किया गया है।

इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र से आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक प्रशिक्षण माड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद् विषयक प्रशिक्षण डायट, बी0आर0सी0 स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा। जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें। डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारणी द्वारा प्रदर्शित है -

क्र0सं0	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य डी0पी0ओ0 स्टाफ, ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0, बी0आर0सी0 समन्वयक	4 दिन
2.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	1 माह
3.	बी0आर0सी0 समन्वयक सह समन्वयक तथा एन0 पी0आर0 सी0 समन्वयको का प्रशिक्षण	बी0आर0सी0 समन्वयक, सह समन्वयक तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	7 दिन
4.	ई0सी0सी0ई0 केन्द्र के अनुदेशकों	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों	7 दिन

का प्रशिक्षण

तथा सहायिकाएं

5. नवनियुक्त शिक्षा मित्र/आचार्य शिक्षा मित्र/आचार्य जी

	जी का प्रशिक्षण 1. आधारभूत प्रशिक्षण 2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		30 दिन 15 दिन
6.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० हेतु प्रशिक्षण	समन्वयक	3 दिन
7.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी०आर०सी० का प्रशिक्षण	बी०आर०सी० के सदस्य	2 दिन
8.	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
9.	एस०ओ०पी०टी० अन्तर्गत विज्ञान/ गणित प्रशिक्षण	उच्च प्राथमिक विद्यालय के विज्ञान/गणित अध्यापक	10 दिन
10.	एस०ओ०पी०टी० अन्तर्गत अंग्रेजी प्रशिक्षण	उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंग्रेजी अध्यापक	6 दिन
11.	संस्कृत/उर्दू विषय के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	संस्कृत/उर्दू शिक्षक	5 दिन
12.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
13.	क्रियात्मक भोध हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	5 दिन

14.	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, डायट स्टाफ व चुने हुए शिक्षक	3 दिन
15.	भौक्षिक सपोर्ट, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई	3 दिन
16.	मैटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	3 दिन
17.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0 वि0 के शिक्षक	5 दिन
18.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	5 दिन
19.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान/गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	3 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला (हिन्दी/स्थानीय बोली)	चिन्हित शिक्षक	3 दिन
21.	मुल्यांकन प्रपत्र एवं प्रश्न बैंक का निर्माण एवं उनका परीक्षण (कार्यशाला)	चुने हुए बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	2 दिन
22.	उच्चारण दोश, भिन्न, दशम0लव एवं गुणनखण्ड विषयक कार्यशाला	प्राथमिक शिक्षक/शिक्षिकाएं	1 दिन

23.	बहुकक्षा/बहुश्रेणी शिक्षण हेतु “सेल्फ लर्निंग मैटीरियल” का विकास सम्बन्धी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	5 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य-दृश्य माध्यम बी०आर०सी० समन्वयक व चुने हुए से उपयोग सम्बन्धी कार्यशाला	विद्यालय के शिक्षक	2 दिन
25.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	3 दिन
26.	बाल श्रमिकों हेतु संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री का विकास	डायट संकाय सदस्य तथा शिक्षक	5 दिन
27.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण/कार्यशाला	बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयक	2 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविज्ञान में डायट, बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० की समेकित भूमिका होगी। एन०पी०आर०सी० अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी०आर०सी० को देगा तथा समीक्षा करके बी०आर०सी० प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए०आर०डी० के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेण्डा तैयार किया जायेगा। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा “श्रेणीकरण” के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6-8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई०सी०सी०ई० केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी०आर०सी० तथा एन०पी०आर०सी० में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के सन्दर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत चलाई गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जासके। विद्यालयों एन०पी०आर०सी० बी०आर०सी० का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिह्नित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी०आर०सी० की भूमिका –

ब्लाक स्तर पर स्थापित में संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

1. सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजन करेंगे।
2. वैकल्पिक शिक्षा, ई०जी०एस०, शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
3. अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन०पी०आर०सी० तथा डायट के बीच सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
4. बी०आर०सी० स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु संदर्भ समूह विकसित करेंगे।
5. विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
6. ई०एम०आई०एस० आकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
7. शोध व मूल्यांकन अध्ययन के लिये शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
8. समुदाय के सदस्यों का बी०आर०सी० के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिये पंचायत राज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
9. बी०आर०सी० स्तर पर सहायक सामग्री निर्माण कार्यशालाओं के का आयोजन करेंगे।
10. स्कूल डेवलपमेंट प्लान का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।

11. प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर सवेदनशील बनायेंगे।

एन0पी0आर0सी की भूमिका — न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे/इस केन्द्र द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम/गतिविधियाँ संचालित की जायेगी।

1. न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक, अकादमिक एवं शिक्षणोत्तर कार्यक्रमों/गतिविधियों को संचालित करना।
2. विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई0सी0सी0ई0 तथा ई0जी0 एस0 केन्द्रों का आकदमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
3. बी0ई0सी0 के सदस्यों डबलू0एम0जी0/पी0टी0ए0/एम0टी0ए0 सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
4. न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम माह में दो बार प्रभारी अध्यापक द्वारा भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतिकरण करना।
5. शिक्षकों के लिए मासिक गोष्ठी/कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
6. एन0पी0आर0सी0 अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए श्रोत केन्द्र के रूप में अपने आप को विकसित करेंगे।
7. ई0एम0आई0एस0 आकडों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
8. स्कूल डेवलपमेण्ट प्लान का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
9. शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।

1. नवाचार कार्यक्रम —

बहुत से बच्चे व्यवसाय में संलग्न होने के कारण विद्यालय में नहीं जाते हैं या जिन्होंने प्राथमिक स्तर की पढ़ाई पूर्ण कर विद्यालय जाना बन्द कर दिया है। उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिल करने व ठहराव बनाये रखने के लिए तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु कौशल विकास में दक्ष करने के लिए कार्यानुभव प्रशिक्षण बहुत प्रभावी होगा। इसी प्रकार यदि लड़कियों को उनके

इच्छानुसार सिलाई कढ़ाई, फैशन डिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, आदि का प्रशिक्षण देने से उनका उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में ठहराव बनाए रखने के लिए सहायता मिलेगी।

इससे पूर्व बी०ई०पी० जनपदों में उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं के लिए इसका पायलेट प्रोजेक्ट चलाया जा चुका है जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सकारात्मक रहे हैं। इससे न केवल बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है बल्कि उनका ठहराव भी बना हुआ है। विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव हेतु कार्यानुभव कार्यक्रम अत्यन्त ही सहायक होता है। जिन स्थानों पर यह योजना संचालित की गई वहाँ कोई भी छात्रा विद्यालय से ड्रॉप आउट नहीं हुई यह निश्कर्ष इस धारणा की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करते हैं।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के समस्त विकास खण्डों में पांच-पांच उच्च प्राथमिक विद्यालयों/कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय को चिह्नित किया जायेगा। इस कार्य में यह योजना है कि प्रत्येक उ०प्र०वि० की स्थानीय आवश्यकता के आधार पर वहाँ बच्चों को ऐसे कौशलों में प्रशिक्षित किया जाय।

कार्यानुभव प्रशिक्षण इस प्रकार से नियोजित किया जायेगा कि एक बार विद्यालय में कच्चा माल उपलब्ध करा दिया जायेगा उस कच्चे माल से जो सामान तैयार होगा उसके विक्रय से प्राप्त बचत धनराशि में से कुछ अंश बालक-बालिकाओं को पारिश्रमिक के रूप में प्रदान किया जायेगा तथा मूल धनराशि से पुनः कच्चा माल लिया जायेगा। इस प्रकार से यह प्रक्रिया निरन्तर बिना किसी अतिरिक्त भार के चलती रहेगी है। उक्त कार्यानुभव प्रशिक्षण बी०आर०सी० की आवश्यकता के आधार पर सभी उ०प्रा० विद्यालय में लागू किया जायेगा।

डायट स्तर पर भी सेवापूर्ण प्रशिक्षणार्थियों के कार्यानुभव प्रशिक्षण को और प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा और चाक, मोमबत्ती, जेम, जेली, अचार, मुरब्बा आदि का निर्माण कराया

जायेगा। डायट द्वारा विक्रय करके प्राप्त बचत धनराशि, लैब एरिया के विद्यालयों को सुदृढ़ बनाने हेतु व्यय किया जायेगा।

2. छात्रों के लिये सामग्री विकास -

निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पूरक शिक्षण सामग्री विकसित की जायेगी। जिसमें जनपद व क्षेत्र स्तर की विभूतियों, ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थलों की जानकारी आदि हो सकती है। अनुपूरक शिक्षण सामग्री को प्रचलित पाठ्यक्रम के साथ ही रखा जायेगा। जिससे छात्र अपने स्थानीय महत्व के स्थलों, महान व्यक्तियों आदि के बारे में जान सकें और उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सकें। विषय वस्तु के विकास के लिये विभिन्न स्तरों प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक के शिक्षकों, स्थानीय शिक्षाविदों, समाजसेवी व्यक्तियों की कार्यशालाये आयोजित की जायेगी, साथ ही उपलब्ध साहित्य से भी योगदान लिया जायेगा।

3. शिक्षण की प्रक्रिया में समुदाय की सहभागिता -

प्राथमिक विद्यालयों में गुणात्मक अभिवृत्ति हेतु, ग्राम शिक्षा समितियों का गठन कर समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया गया है। प्रतिमाह ग्राम शिक्षा समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित किये जाने की व्यवस्था है किन्तु व्यवहारिक तौर पर देखने में आता है कि बैठक नियमित रूप से नहीं होती है। और अगर बैठक आयोजित भी होती है तो इनका मुख्य केन्द्र विद्यालय परिसर की समस्याओं तक ही सीमित रहता है। बच्चों की शैक्षिक व उपलब्धि पर कोई चर्चा नहीं होती है। समुदाय की सहभागिता को इस ओर भी बढ़ाया जायेगा। इसके लिये समुदाय के लोग अभिभावकों को कक्षा पठन-पाठन की प्रक्रिया को देखने के लिये आमंत्रित करेंगे। जिससे अभिभावकों में बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो और बच्चों की शिक्षा पर विद्यालय के साथ-साथ घर पर भी ध्यान दिया जा सके। समय-समय पर अभिभावकों को बच्चों की प्रगति-पत्र के माध्यम से उनके उपलब्धि से भी अवगत कराया जायेगा। अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को, विद्यालय के वार्षिक समारोह में सम्मानित

किया जायेगा। ऐसा करके स्थानीय अच्छे कार्यकर्ताओं का विद्यालय शिक्षण व विद्यालय के अन्य क्रियाकलाप में सहयोग भी प्राप्त हो सकेगा। विद्यालय से जुड़कर समुदाय इसे अपना ही अंग स्वीकार कर सकेगा। यह सोच विद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण होगी।

उत्कृष्ट कार्य हेतु सरकार/प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्य योजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रम का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से तहसील, ब्लाक, व न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कार्य निष्पादन वाले 2 बी०आर०सी० को रू० 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन०पी०आर०सी० को रू० 7000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित 2 ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः 15000 तथा रू० 10000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन-पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक-एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार के धनराशि का उपयोग बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान की अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता -

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे। जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर बिलबोर्ड्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियाँ का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उच्च स्तर के कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद-विवाद/ चर्चाओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

अध्याय—10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान के कार्य अवधि वर्ष 2002 से 2010 तक होगी। इस अवधि में 6-14 वर्ष के सभी के बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जायेगी। इसका प्रबंधन उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद निशातगंज लखनऊ द्वारा किया जायेगा। परियोजना क प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगी। प्रबंधन लोक तांत्रिक एवं जन समुदाय की सहभागिता परक होगा।

प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा वित्तीय निवेशों को अवधि प्रवाह करने के लिये एक प्रबंध तंत्र तैयार किया गया है।

निर्णय कर्ता समितियां	प्रबंध तंत्र	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति यू०पी०ई०एफ०ए०पी०बी०	राज्य परियोजना कार्यालय	एस०सी०ई०आर०टी०
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	सीमेट (इलाहाबाद)
क्षेत्र शिक्षा समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	डायट, एन०जी०ओ०
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यपक/अध्यापक	ब्लाक संसाधन केन्द्र संकुल संसाधन केन्द्र

ग्राम शिक्षा समिति — ग्राम स्तर पर शिक्षा सम्बंधी कार्यों को करने हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है जिसका स्वरूप निम्नवत् है—

1. ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक और यदि एक से अधिक स्कूल हो तं प्रधानाध्यपाकों में से वरिष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।

3. स्कूल के छात्रों के तीन संरक्षक (एक महिला अनिवार्य) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।

समिति के अधिकार एवं अधिकार एवं दायित्व –

1. स्कूल के विकास एवं सुधार की योजनायें तैयार करना।
2. स्कूलों के विकास कार्यों को भूतरूप देने हेतु प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रबंधन करना।
3. पंचायत क्षेत्रान्तर्गत बेसिक शिक्षा के गुणवत्ता सम्बर्धन हेतु बेसिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ शिक्षा के केन्द्रों का संचालन करवाना एवं उसका प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
4. बेसिक विद्यालयों के भवन और शैक्षिक उपकरणों में सुधार हेतु जिला पंचायत को आवश्यक सुझाव देना।
5. ऐसे समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना जो बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हो।
6. पंचायत क्षेत्रान्तर्गत स्थित विद्यालयों के कर्मचारियों को कार्य शिथिलता की दशा में लघु दण्ड की व्यवस्था करने हेतु उच्चाधिकारियों को लिखना।
7. बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित अन्य कार्यों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना जो राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को प्रस्तावित किये जाये।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति नीति निर्धारण के साथ साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्यरत है यथा विद्यालय भवन निर्माण बेसिक शिक्षा में अपेक्षित सुधार शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ऐसा देखा जाये कि ग्राम समिति बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यों में जनसहभागिता एवं सक्रियता प्राप्त करने में सफल हुई है इसमें ही ध्यान में रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन किया जायेगा। इसमें अत्यधिक सक्रिय एवं प्रभावी रूप से सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित

करने के साथ ही बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजनाओं को तैयार करना एवं समयबद्ध रूप से उसे क्रियान्वित करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में इसे प्रशिक्षित कर दक्ष बनाने का प्रयास किया जायेगा जिससे बुनियादी स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकें।

इसके अतिरिक्त शिक्षा गारण्टी योजना के अर्न्तगत केन्द्रों की माँग वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की माँग तथा शिक्षा के लिये प्रभावी परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति के अधिकार एवं दायित्वों के अर्न्तगत है शिक्षामित्रों अनुदेशकों, आचार्यों आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं उनके अन्य कर्मचारियों के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा ही किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण पर नियंत्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण का पर्यवेक्षण भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा ही किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन०पी०आर०सी०) –

जनपद के समस्त न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण डी०पी०ई०पी० योजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। एन०पी०आर०सी० भवन को सुसज्जित करने हेतु आवश्यक धन समस्त संकुल प्रभारियों को दिया जा चुका है। संकुल प्रभारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण भी कराया जा चुका है इन्हे अत्यधिक सक्रिय एवं कार्यकुशल बनाने हेतु समय-समय पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया है। पुनःश्च इन्हे अत्यधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाने के प्रयास जारी है।

कार्य एवं दायित्व –

1. न्याय पंचायत के अर्न्तगत अवस्थित विद्यालयों का एकेडमिक सहयोग करना।
2. अध्यापकों की बैठक आयोजित कर शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली कठिनाईयों को जानना एवं उनके समाधान हेतु उनके समाधान हेतु उचित विचार विमर्श कर उसका निराकरण सुनिश्चित करना।

3. ग्राम शिक्षा समिति से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना।
4. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
5. ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्धन हेतु प्रयास करना एवं वातावरण निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
6. न्याय पंचायत स्तरीय सूचनाओं का संकलन एवं प्रेषण करना।
7. माह के अंतिम शनिवार को एन0पी0आर0सी0 पर शिक्षकों की बैठक आयोजित करना एवं उनके कठिनाईयों को दूर करने हेतु प्रयास करना।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति — जनपद की भाँति विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड सलाहकार कमेटी गठित है। जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारण एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होगी। क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है।

1. ब्लाक प्रमुख/बी0डी0ओ0	— अध्यक्ष
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	— सदस्य सचिव
3. विकास खण्ड का एक प्रधान	— सदस्य
4. विकास खण्ड का वरिष्ठम प्रधानाध्यपक	— सदस्य

अधिकार एवं दायित्व — इस समिति के प्रमुख कार्य ब्लाक संसाधन एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के कार्यों में समन्वय स्थापित कर जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना तथा क्षेत्र पंचायत के अर्न्तगत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराना एवं उसका समय समय अनुश्रवण कर उचित मूल्यांकन करना मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समिति एवं जिला परियोजना समिति के बीच मुख्य सम्पर्क सूत्र के दायित्व का निर्वाह करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना जवाहर ग्रामीण

समृद्धि योजना के लिये आवंटित धनराशि से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने आवश्यक सहयोग प्रदान करना। इस समिति की माह में एक बैठक अनिवार्य रूप से होगी।

प्रशासनिक संगठन—ब्लाक स्तर— प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण परियोजना के कार्यों को क्रियान्वित कराने के लिये उत्तरदायी है। नियमित रूप से परियोजना कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण उनके प्रधान दायित्व है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के साथ ही अपेक्षित प्रगति के लिये उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना भी उनका दायित्व होगा। इस कार्य हेतु उन्हें अधिकार एवं सुविधा प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय-समय पर एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में सहायक बेसिक शिक्षा /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक की विशेष जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे मुख्य रूप से विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख कार्य एवं उत्तर दायित्व निम्नलिखित होंगे -

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण।
3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी एवं सक्रिय बनाना।
4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक आयोजित करना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आकड़े एकत्रित कर उसे संकलित कराना।
6. सभी प्रकार के छात्रवृत्तियों का सही वितरण सुनिश्चित कराना। तथा उसकी सूचना एकत्रित कराना।
7. खाद्यान्न वितरण सही ढंग से कराना एवं उसकी सूचना एकत्रित कराना।

8. खण्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के समस्त बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें समय से वितरित कराना।
9. विद्यालयों का प्रभावी निरीक्षण करना। तथा शैक्षिक गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाना।
10. विद्यालयों में मानक के अनुसार छात्र-अध्यापक अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षामित्रों की नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना।
11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक समितियों के बीच समन्वयन स्थापित करना।
12. ई0जी0एस0 तथा ए0 आई0ई0 केन्द्रों का संचालन कराना तथा इन केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति आख्या नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराना।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक हेतु डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र के भवन में स्थायी रूप से कार्यालय की व्यवस्था कर दी गयी है। इस कार्यालय से सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारियों की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस कार्य हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि एवं कार्य कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख रखाव रू० 18000.00 प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हें ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता प्रदान करने हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड पर नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0) — इस जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित है। और सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवन निर्मित हो चुके हैं। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवन सुसज्जित हैं। तथा उनमें समन्वयक एवं सह समन्वयक नियुक्ति है जो प्रशिक्षित हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक

ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा। उ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के परियोजना कार्यो व पर्यवेक्षण, सूचनाओं का एकत्रीकरण,संकलन, विद्यालय सांख्यिकी का संकलन एवं सभी प्रकार के बैठकों के आयोजन तथा कार्यो के मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करेगा।

शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्धन व समर्थन में प्रायः यह देखा गया है कि बी०आर०सी० समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण मे ही व्यतीत होता है। अत प्रत्येक बी०आर०सी० को एक कम्प्यूटर देने की योजना है। जिसके लिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक बी०आर०सी० को एक लाख रू० का प्राविधान प्राविधानित किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन किया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व —

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करेगें।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण को सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है, अथवा नहीं।
3. विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित विद्यालयों के एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना तथा शैक्षिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. विकास क्षेत्र स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उनका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर गये बच्चों के सम्बन्ध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामांकन कम्प्यूटराइज्ड विवरण तैयार करना।

8. ब्लाक विद्यालयों सांख्यिकी का समय समय पर एकाकीकरण करना व सेवुल रैपिड अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति -

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीतियों का निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण हेतु जनपद स्तर पर जिला परियोजना समिति जिला शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है। जिसके अध्यक्ष के रूप में जनपद के जिलाधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है। इस प्रकार जिला परियोजना समिति निम्नवत् गठित है।

जिलाधिकारी	—	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	—	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	—	सचिव
प्राचार्य डायट	—	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	—	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	—	सदस्य
वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	—	सदस्य
अधिसासी अभियन्ता (आई०ए०एस)	—	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	—	सदस्य
दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय)		
जिलाधिकारी द्वारा नामित	—	सदस्य
दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)	—	सदस्य
स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि		
जिलाधिकारी द्वारा नामित	—	सदस्य

जिला परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व — यह समिति सर्व शिक्षा अभियान के

लिये सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा निर्धारित किये गये सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इस समिति को जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता सुधार एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के सम्बंध में इसके निर्णय अत्यन्त क प्रभावी होंगे। क्षमता सम्बर्द्धन गुणवत्ता, सम्बर्द्धन, निर्माण के लिये प्रचार-प्रसार के लिये समस्त कार्य इसी समिति के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है। यह समिति जनपद के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान की संरचना, संचालन, एवं निर्देश के लिये जनपद की सर्वोच्च शक्ति समपन्न होगी जनपद में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम व संचालन का पूर्ण दायित्व इस समिति का होगा।

प्रशासनिक तंत्र — जिला परियोजना कार्यालय —

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला परियोजना समिति के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना क जायेगी। जिससे निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत होंगे।

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	1 पद	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
2. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	1 पद		प्रतिनियुक्ति
3. जिला समन्वयक	5 पद		प्रतिनियुक्ति/नियत वेतन पर
4. तकनीकी सलाहकार	1 पद		रू0 15000 नियत वेतन पर
5. अवर अभियन्ता	3 पद		रू0 10000 नियत वेतन पर
6. कम्प्यूटर आपरेटर	1 पद		रू0 8000 नियत वेतन पर
7. लेखाकार	1 पद		रू0 8000 नियत वेतन पर
8. सांख्यिकी सहायक	1 पद		रू0 8000 नियत वेतन पर
9. लिपिक	2 पद		रू0 7000 नियत वेतन पर
10. परिचारक	2 पद		रू0 5000 नियत वेतन पर

तकनीकी पर्यवेक्षक की व्यवस्था है -

निर्माण कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक तकनीकी सलाहकार का पद सृजित किया गया है। उसके अतिरिक्त 3 अवर अभियन्ता रहेंगे। प्रत्येक अवर अभियन्ता 5 विकास खण्डों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे।

एजुकेशनल मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम (ई0एम0आई0एस0) -

सर्व शिक्षा अभियानके अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में सुदृढ़ एवं क्रियाशील ई0एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा कैप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डास साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर भी उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चिकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 के भौक्षिक आकड़े उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटावेश तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चिकृत आने

की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बंधी गतिविधियों का अनुश्रवण, आकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित की एक अद्यावधिक एवं उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष व्यापक सांख्यिकी के कार्य को सम्पादित करने के लिए स्थापित कम्प्यूटराइज ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एवं ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एवं 3 कम्प्यूटर आपरेटरर्स/सांख्यिकी सहायक नियुक्त किये जायेंगे जिससे विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा के रिपोर्ट का विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आकड़ों के एवं संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा। जिसका उपायों शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिकाधिक रूप से किया जाएगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व –

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे—

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों कर मुद्रण एवं वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित करना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे गये सांख्यिकी प्रपत्रों का एकत्रीकरण।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चेकिंग सम्पादित करवाना। तथा परिर्वतन यदि कोई हो, उसे अभिलिखित कराना।

- समयवद्ध रूप से दिसम्बर 2001 के अंत तक डाटा इन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार करा कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुल वार एवं विकास खण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट की विश्लेषण तैयार करना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डायट् जिला समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिये नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों का कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

प्रशिक्षण — जनपद के समस्त विद्यालयों से सम्बन्धित विद्यालय से सम्बन्धित आकड़ों से विद्यालय सांख्यिकी जो शिक्षा सूचना प्रणाली के नाम से विकसित किया गया है का प्रशिक्षण ई0एम0आई0एस अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों संकुल प्रभारी ब्लॉक संसाधन केन्द्र के समन्वयक, सहसमन्वयकों व जनपद स्तर पर प्रशिक्षण कराये जाने का प्रस्ताव है जिसमें सम्बन्धित प्रपत्र को शुद्ध भरने संकलन विश्लेषण का प्रशिक्षण दिया जायेगा। ब्लॉक संसाधन केन्द्र के समन्वयक, सहसमन्वयक, एवं न्याय पंचायत प्रभारियों को सम्बन्धित प्रपत्र के दो प्रतिशत सैम्पल चेकिंग के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा। जिससे सम्बन्धित आकड़ों की शुद्धता की जाँच नियमित रूप से हो सके।

प्रशिक्षण की कार्य योजना —

1. ई0एम0आई0एस का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर) — यह प्रशिक्षण तीन दिवसीय होगा जिसमें जिला परियोजना अधिकारी, समस्त समन्वयक, सह समन्वयक, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे।

2. ई0एम0आई0एस का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर) – यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /उप विद्यालय निरीक्षक ब्लाक संसाधन केन्द्र व समन्वयक एवं समबन्धित ब्लाक के समस्त न्याय पंचायत प्रभारी इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे

3. ई0एम0आई0एस का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्तर पर) – यह प्रशिक्षण एस0पी0ओ0 द्वारा सिमेट तथा डी0पी0ओ0 के ई0एम0आई0एस0 अधिकारी , कम्प्यूटर आपरेट भाग लेगे।

आकड़ो का एकत्रीकरण तथा भाद्धता की जाँच – नीपा नई दिल्ली द्वारा तैयार किय गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है। जिस पर प्रतिवर्ष 30 सितम्बर की स्थिति व अनुसार आकड़ो का एकत्रीकरण किया जायेगा। तथा साफ्टवेयर उपलब्ध होने के पश्चात कम्प्यूटर पर डाटा इन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी जिसकी अपर्न निर्धारित समय सारणी होगा। प्रतिवर्ष विद्यालयों से भरे विद्यालयों से भरे हुये प्रपत्रों का प्रिन्ट आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा।

आकड़ो का उपयोग – ई0एम0आई0एस रिपोर्ट जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकेगा। जैसे जी0ई0आर0 ड्राप आउट दर, एन0ई0आर0 रिपीटिशन दर, छात्र अध्यापक/कक्षाकक्ष अनुपात एकल अध्यापकीय विद्यालय, विद्यालयों में बच्चों को पढाने के लिये ब्लेकबोर्ड, हैण्डपाइप, बच्चों को पढाने में उपयोगी सामग्री विद्यालय में बिजली, चहारदिवारी, पुस्तक बैंक, खेल का मैदान, कम्प्यूटर आदि की सुविधा है अथवा नहीं। विकलांग बच्चों के लिये रैम्प्स है या नहीं। जो बच्चें स्कूल नहीं जा रहे है उनके रीजन वाइज एक निश्चित आयु वर्ग वार आकड़े उपलब्ध ई0एम0आई0एस0 माइक्रोप्लानिंग का उपयोग निम्न कार्यों के लिये की जायेगी—

1. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण
2. निःशुल्क पाठ्य पुस्तको के वितरण हेतु

3. छात्र/छात्राओं का विवरण ।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों का विवरण ।
5. शिक्षकों का विवरण ।
6. विकलांगतावार बच्चों के आकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
7. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षाकक्षों की आवश्यकता
8. छात्र, अध्यापक, अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्र की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान ।
9. विभिन्न स्तर पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर ।
10. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों एवं न्याय पंचायत का चिन्हिकरण ।

को-हार्ट स्टडी – प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों छात्र/छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहार्ट स्टडी करायी

जायेगी। यह कार्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के सहयोग से एन०पी० आर०सी० समन्वयक के द्वारा बी.आर०सी० समन्वयकों के समीक्षात्मक निर्देशन में कराया जायेगा। इसके साथ ही वाह्य एजेन्सी द्वारा समीक्षा करायी जायेगी। यह कार्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के सहयोग एन०पी०आर०सी० समन्वयक के द्वारा बी०आर०सी० समन्वयकों के समीक्षात्मक निर्देशन में कराया गया।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम् – ई०एम०आई० एस के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रति माह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी। जिन कार्यक्रमों की प्रगति धीमी है उनकी ओर सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा। तथा प्रगति को बढ़ाने की कार्यवाही की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान – जिला स्तर पर शुरू से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है।

- राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना। शिक्षा के अभिन्न कार्यक्रमों द्वारा और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोधकार्यों के लिये डायट् स्टाफ की क्षमता का विकास करना।
- ब्लॉक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना।
- जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिये शोध कार्य करना। तथा इसके परिणामों निश्कर्षों की जानकारी सर्व संबंधित को किया जा सके।
- जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्ता मूलक निरीक्षण करने हेतु बी०आर. सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करा कर शिक्षकों का मार्गदर्शन करना।
- बी० आर० सी० के समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण के लिये आवश्यक निर्देशन व नियंत्रण करना।
- जिले स्तर पर अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों का नियोजन करना।
- जिला स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करेंगे।
- लक्ष्य समूह के छात्र/छात्राओं के न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये बेस लाइन सर्वे कराना।
- शिक्षण कार्य की प्रगति के लिये नवाचार का विकास करना।
- शैक्षिक आकड़ों (ई०एम०आई०एस०) के माध्यम से संकलित कराकर उसका विश्लेषण कर नियोजन में उसके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के कर्मियों का प्रशिक्षण करना।

निधि का हस्तान्तरण (फ्लो आफ फंड) — प्रतिवर्ष कार्ययोजना एवं बजट बनाकर राज्य

परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा। राज्य परियोजना कार्यालय से धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण को अवमुक्त की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक में खाता खोला जायेगा जिसका परिचालन लेखाधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के खाते का संचालन प्राचार्य डायट व उनके लेखा विभाग के अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

बी०आर०सी०/एनपी०आर०सी० स्तर पर ही संयुक्त खाते खुले हैं जिनके संचालन 'उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना' के नियमों के अनुरूप किया जा रहा है। वित्तीय सन्दिग्दर्शिका में अंकित नियमों को अक्षरशः पालन किया जायेगा इस अभियान में अधिकांश धनराशियों ग्राम शिक्षा निधि में खाते में हस्तान्तरित की जायेगी जिनके खाते बैंक में ही पूर्व से ही संचालित हैं

जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रतिमाह आय व व्यय का विवरण राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

फंड फ्लो डायग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय

1. जिला परियोजना कार्यालय
2. ब्लाक संसाधन केंद्र
3. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र
5. स्वयं सेवी संस्थाएँ

1. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण
2. ब्लाक संसाधन केन्द्र
4. ग्राम शिक्षा समिति

आडिट व्यवस्था – सर्व शिक्षा अभियान में लेखों की आडिट व्यवस्था चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के माध्यम से किया जायेगा। वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही आडिट कार्य कराया जायेगा। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमानुसार जनपदीय कार्यालय का आडिट महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा आंतरिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्था भी लागू की जा सकती है।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	<ul style="list-style-type: none"> • District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ट विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताएँ हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	<p>भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत-प्रतिशत आच्छादन हेतु।</p> <p>➤ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है।</p> <p>अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।</p>
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	<ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल-कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी.एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैच्छिक संस्थाएँ एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत-प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में⁰⁵..... प्राथमिक एवं⁰⁵..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2002-03 में 30 एवं 2003-04 में 50 की प्राप्ति हो चुकी है कुल संख्या 670 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	300	
2005-06	190	
2006-07	100	
योग	590	

PROJECT COST
ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-04

Deoria

(in thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2003-2004		
			Cost	Phy	Fin
A	ACCESS				
A1	New Primary School Unserved	259	40	10360	
A2	New Upper Primary Schools	451	64	17820	
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	78	9360	
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04	2.25	40	540	
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04	8	40	2160	
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)	10	192	11520	
A8	Teaching Learning Equipment		0		
A8.1	PS	10	40	400	
A8.2	UPS	50	64	3200	
A9	TLE UPS not covered OBB	50	0	0	
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	
	Total		0	55460	
	intervention for out of school children		0		
A11	Alternative Schools		0		
A11.1	EGS (for 25 child per center)	0.845	162	3422.25	
A11.2	Honaria	1	0	0	
A11.3	Training	1.5	0	0	
A11.4	Contingency	0.468	0	0	
A11.5	Equipment	1.76	0	0	
A11.6	Adm. & Management Cost	6.056	0	0	
A12	Ghar	0.845	0	0	
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	
A15	Bridge/Remedial course PS	180	1	180	
A16	Bridge Course at NPRC level	0.845	176	5948.8	
A17	Strengthening Maqab/Madarsa(per center)	15.35	0	0	
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	
	ACCESS Subtotal		0	65011.05	
R	RETENTION				
R1	Reconstruction - PS	191	20	3820	
R2	Reconstruction - UPS	293	10	3830	
R3	Additional Classrooms		0		
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	40	2800	
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	20	1400	
R4.1	Toilets Upper Primary	10	10	100	
R4.2	Toilets Primary	10	50	500	
R5.1	Drinking Water Primary	15	0	0	
R5.2	Drinking Water Upper Primary	15	0	0	
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	1522	7610	
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	240	1200	
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	
R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	
R7.4	Salary of Fresh SM(PS)	2.25	0	0	
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	1053	26082	
R10.1	School Improvement gran(p.a./school) Ps	2	1547	3094	
R10.2	School Improvement gran(p.a./school) UPS	2	365	730	
R12	Promoting Girls Education		0		
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	
R12.2	MCCA	75	0	0	
R12.3	Meena Manch	4	0	0	
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	
	Opening of ECCE centers		0		
R13	Strengthening ICDS centers		0		
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0		
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.375	0	0	
R13.4	Contingency(per center)	1.5	0	0	
R13.5	Training		0		
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	
R16	Community Mobilization		0		
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day	0.48	1026	492.48	
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	0	
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)UPS-Innovative Prog.	60	0	5000	
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	
	RETENTION Sub Total		0	56638.23	
Q	QUALITY IMPROVEMENT				
Q1	Training Programmes		0		
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra((perseon for 30 days)	2.1	743	1560.3	
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher((person for 30 days)	0.07	0	0	
Q1.3	In-service Teachers Trg.((person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	4300	6020	
Q1.4	In-service Teachers Trg.((person for 20 days) UPS	1.05	895	1044.75	
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra((personfor 20 days)	0.07	0	0	
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers((person for 30 days)	0.07	0	0	
Q1.7	days)	0.07	0	0	
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators((person for 10 days)	0.07	0	0	
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET((person for 20 days)	0.07	0	0	
Q.10	ABSA/SDI Trg.((person for 5 days)	0.07	0	0	
Q2	IED Provision for disable children	1.2	1530	1836	
Q2.1	IED-Medical Assessment	2.3	0	0	
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	
Q2.5	Support Services	5	0	0	
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	
Q2.8	and Appliances	15	0	0	
Q2.9	... Counselling and IEP formation	10	0	0	

Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0
Q2.14	Master Trainer Training @ 1.31x2x2	1.31	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Prg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0
Q5	Teacher Learning Material		0	0
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	4080	2040
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	2125	1062.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	191971	9598.55
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	30080	4512
Q5.5	School Library	0.15	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0
Q5.9	Schools Awards	25	0	0
	QUALITY	Sub Total	0	27874.1
C	CAPACITY BUILDING		0	
C1	DIET Capacity Building		0	0
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	28	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vehicle	80	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0
C2	Block Resource Center		0	0
C2.1	Civil Construction	800	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	8	15	90
C2.7	Maintenance of Equipment	2	0	0
C2.8	Maintenance of Building	10	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	15	75
C2.10	Consumables	5.0	0	0
C2.11	Contingency	12.5	15	187.5
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0
C2.13	Contingency - ABSA	5.0	0	0
C3	School Complex (NPRC)		0	0
C3.1	Construction	70	0	0
C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	176	176
C3.4	Contingency	2.5	176	440
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	176	422.4
C4	District Project Office/Management		0	0
C4.1	Staffing		0	0
C4.2	BSAAO/DC	15	5	900
C4.3	Salary of AE	15	1	180
C4.4	Equipment Maintenance	30	1	30
C4.5	Furniture/Fixtures	30	1	30
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0
C4.8	Travelling Allowances	10	10	100
C4.9	Consumables	40	1	40
C4.10	Telephone/FAX	30	1	30
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	1	100
C4.12	Payroll	10	9	1080
C4.13	Hiring of Vehicle	10	1	10
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	1522	2130.8
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	240	336
C4.16	Contingency	100	1	100
C4.17	AVIP & #	10	1	10
	Total		0	6467.7
C5	MIS		0	
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	1	554
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0
C5.6	Computer Software	20	0	0
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0
C5.8	Printing & Distribution of Data Formats	40	0	0
C5.9	Maint. of Equip & Consumables	20	0	0
C5.10	Computer Consumable	25	0	0
C5.11	Training Of Computer Staff	10	0	0
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0
	CAPACITY	Sub Total	0	7021.7
	GRAND TOTAL		0	158345.08

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Deoria

(In thousand)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy
A	ACCESS													
A1	New Primary School Unservd	259	0	0	40	10360	0	0	5	1280	0	0	45	11640
A2	New Upper Primary Schools	451	26	11726	64	17920	0	0	5	1400	0	0	95	31046
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	78	5580	78	9360	78	9360	78	9360	78	9360	390	43020
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	40	540	40	990	45	1113.75	45	1113.75	170	3757.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	40	2160	40	4320	45	4860	45	4860	170	16200
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	192	11520	192	23040	207	24840	207	24840	798	84240
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A8.1	PS	10	0	0	40	400	0	0	5	50	0	0	45	450
A8.2	UPS	50	31	1550	64	3200	0	0	5	250	0	0	100	5000
A9	TLE UPS not covered OBB	50	30	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1500
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	20356	0	55460	0	37910	0	43353.75	0	40373.75		197453.5
	Interventions for out of school children		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A11	Alternative Schools		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A11.1	EGS (for 25 child per center)	0.845	0	0	162	3422.25	162	3422.25	162	3422.25	162	3422.25	648	13689
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	AIE/ Primary-including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	0	0	0	0	0	0	1	180
A16	Bridge Course at NPRC level	0.845	0	0	176	5948.8	0	0	0	0	0	0	176	5948.8
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	0	0	1	250	0	0	1	250
	ACCESS Subtotal		0	20356.00	0	65011.05	0	41332.25	0	47026.00	0	43796.00	0	217521.31
R	RETENTION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	20	3820	13	2483	10	1910	10	1910	53	10123
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	10	3830	10	3830	10	3830	0	0	30	11490
R3	Additional Classrooms		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	40	2800	138	9660	100	7000	100	7000	378	26460
R3.2	Add. Classroom Upper Primary Schools	70	10	700	20	1400	50	3500	9	630	0	0	89	6230
R4.1	Toilets Upper Primary	10	0	0	10	100	20	200	10	100	0	0	40	400
R4.2	Toilets Primary	10	30	300	50	500	300	3000	190	1900	100	1000	670	6700
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1572	7610	1562	7810	1562	7810	1567	7835	6213	31065
	Repair & Maintenance of School UPS	5	209	1045	240	1200	304	1520	304	1520	309	1545	1366	6830

